लोक-सभा

वाद-विवाद

द्वितीय माला

खण्ड २५, १९५९/१८८० (शक)

[९ से २० फरवरी १९५९/२० माघ से १ फाल्गुन १८८० (शक)]

2nd Lok Sabha

सत्यमेव जयते

...vation Unit
8-5-92
...nigated
...15/11/83
Parliament Library

सातवां सत्र, १९५९/१८८० (शक)

(खण्ड २५ में अंक १ से १० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

विषय-सूची

[द्वितीय माला, खण्ड २५, अंक १ से १०——९ फरवरी से २० फरवरी, १९५९/२० माघ से १ फाल्गुन, १८८० (शक)]

पृष्ठ

अंक १——सोमवार, ९ फरवरी, १९५९/२० माघ, १८८० (शक)

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण १

श्री ठाकुर दास मल्होत्रा, श्री रानेन्द्र नाथ बसु तथा श्री विट्ठल नारायण चन्दावरकर का निधन १

राष्ट्रपति का अभिभाषण——सभा-पटल पर रखा गया . . २——९

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति . . . . ९—१०

संसदीय समितियां——कार्य सारांश १०

स्थगन प्रस्तावों के बारे में १०

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . . . . . १०——१२, १४

भारतीय बिजली (संशोधन) विधेयक——

(१) संयुक्त समिति का प्रतिवेदन १३

(२) संयुक्त समिति के समक्ष साक्ष्य १३

लागत तथा निर्माण लेखापाल विधेयक——

(१) संयुक्त समिति का प्रतिवेदन १३

(२) संयुक्त समिति के समक्ष साक्ष्य १३

विशेषाधिकार समिति——

प्रतिवेदन के उपस्थापन के समय का बढ़ाया जाना . . १३—१४

भारतीय आय-कर (संशोधन) विधेयक पुरःस्थापित . . १४

दैनिक संक्षेपिका . . . . . १५——१८

अंक २——मंगलवार, १० फरवरी, १९५९/२१ माघ, १८८० (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर——

तारांकित प्रश्न संख्या १ से ९ और १२ से १८ . . . १९——४२

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १ . . . . . ४२——४५

प्रश्नों के लिखित उत्तर——

तारांकित प्रश्न संख्या १०, ११ और १९ से ५१ . . ४५——५९

अतारांकित प्रश्न संख्या १ से ७, ९, ११ से ४४ और ४६ से ५२ ५९——८०

	पृष्ठ
अतारांकित प्रश्न के उत्तर में शुद्धि	८०-८१
स्थगन प्रस्ताव—	
रजा तथा बुलन्द शुगर मिल्स, रामपुर में ताला बन्दी	८१—८२
विशेषाधिकार-भंग संबंधी प्रस्ताव—	
श्री एम० ओ० मथाई द्वारा कही गई बातें	८२—९५
सभा-पटल पर रखेगये पत्र	९५—९६
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
खाद्यान्नों के मूल्य	९६—९९
दिल्ली भूमि सुधार (संशोधन) विधेयक—	१००—३७
विचार करने का प्रस्ताव	१००—३१
खण्ड २ से ४, ७ से १९, १८ क, ५, ६, २० तथा १ और अधिनियमन सूत्र	१३१—३७
पारित करने का प्रस्ताव	१३७
कार्य मंत्रणा समिति—	
चौतीसवां प्रतिवेदन	१३८
दैनिक संक्षेपिका	१३९—४५
अंक ३—बुधवार, ११ फरवरी, १९५९/२२ माघ, १८८० (शक)	
सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण	१४७
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ५२ से ५६, ५८ से ६२ और ६४	१४७—६६
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ६३, ६५ से ९८, १०० से १०७ और १०९ से १२८	१६६—९७
अतारांकित प्रश्न संख्या ५३ से ७३, ७५ से १०४ और १०६ से १३४	१९७—२३८
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	२३९
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
चौंतीसवां प्रतिवेदन	२३९
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	
उत्तर प्रदेश के गन्ना उत्पादकों की हड़ताल	२३९—४०
कार्य मंत्रणा समिति—	
चौंतीसवा प्रतिवेदन	२४०
दिल्ली पंचायत राज (संशोधन) विधेयक	२४०—७५
विचार करने का प्रस्ताव	२४०—७३
खण्ड २ से २९, नया खण्ड ३० और खण्ड १	२७३—७५

पृष्ठ

पारित करने का प्रस्ताव . . २७५

फार्मेसी (संशोधन) विधेयक . . . . २७५—८४

विचार करने का प्रस्ताव . . २७५—८२

खण्ड २ से १०, ११ से १४ तथा खण्ड १ २८३—८४

पारित करने का प्रस्ताव २८४

भारतीय रेलवे (संशोधन) विधेयक . २८४—८६

दैनिक संक्षेपिका . . . . . २८७—९३

अंक ४—गुरुवार, १२ फरवरी, १९५९/२३ माघ, १८८० (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२९ से १३७, १४० और १४२ से १४७ . २९५—३१९

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३९, १४१, १४९ से १५५ और १५७ से १९१ . ३१९—३९

अतारांकित प्रश्न संख्या १३५ से १६५, १६७ से २०२, २०४, २०५, २०७ से २१०, २१२ से २२४ और २२६ से २२८ . ३३९—७५

स्थगन प्रस्ताव के बारे में

चीनी मिलों में तालाबन्दी . . ३७५

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . . . ३७५—७८

विधेयक पर राय . . . ३७८

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

रेलवे कर्मचारियों की मृत्यु ३७८—८०

भारतीय रेलवे (संशोधन) विधेयक . ३८०—४२८

विचार करने का प्रस्ताव . . . ३८०—४१८

खण्ड २ से ४, ६ से १२, ५ और १ तथा अधिनियमन सूत्र . ४१८—२३

पारित करने का प्रस्ताव . . . . ४२३—२८

दैनिक संक्षेपिका . . . . ४२९—३६

अंक ५—शुक्रवार, १३ फरवरी, १९५९/२४ माघ, १८८० (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १९२ से १९६, १९८ से २०० और २०२ से २०४ ४३७—५९

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २०५ से २२६, २२८ से २४१ और २४४ से २५२ ४५९—७९

अतारांकित प्रश्न संख्या २२९ से २३५, २३७ से २३९ और २४१ से २७६ ४७९—९८

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ४९९

पृष्ठ

प्राक्कलन समिति—

छत्तीसवां प्रतिवेदन ४९९

फिल्म उद्योग के बारे में वक्तव्य—सभा-पटल पर रखा गया . . ५००

चिनाकुरी खान-दुर्घटना पर चर्चा के बारे में . . ५००

सभा का कार्य . . . ५००–०१

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव . . ५०१—३४

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

चौतीसवां प्रतिवेदन ५३४–३५

देश के सभी लोक-सेवा आयोगों पर केन्द्रीय नियंत्रण के बारे में संकल्प . ५३६—५१

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को अंतरिम सहायता की दूसरी किस्त देने के बारे में संकल्प . ५५२–५३

दैनिक संक्षेपिका . . ५५४—५६

अंक ६—सोमवार, १६ फरवरी, १९५९/२७ माघ, १८८० (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २५३ से २६०, २६२, २६४ से २६८, २७० २७१, २७३ से २७५, २७७ और २८१ ५६१—८८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २६१, २६३, २६९, २७२, २७६, २७८ से २८०, २८२ से ३०१ और ३०३ से ३१० . . . ५८८—६०५

अतारांकित प्रश्न संख्या २७७ से ३२२, ३२४ से ३५९ और ३६१ से ३६९ ६०५—४५

रामपुर की चीनी मिलों में हड़ताल के बारे में ६४५

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . . . ६४५—४८

भारतीय बिजली (संशोधन) विधेयक के बारे में याचिका . . ६४८–४९

तारांकित प्रश्न संख्या ६४४ के अनुपूरकों के उत्तरों को शुद्ध करने के बारे में वक्तव्य . . ६४९

नदी बोर्डों के नियमों के सम्बन्ध में वक्तव्य . . ६४९

रामपुर की रजा और बुलन्द शुगर मिल्स में श्रम विवाद के बारे में वक्तव्य ६५०–५१

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव ६५१—८२

दैनिक संक्षेपिका . . ६८३—९२

अंक ७—मंगलवार, १७ फरवरी, १९५९/२८ माघ, १८८० (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३११, ३१२, ३१४ से ३१६, ३१८, ३२१ से ३२४ और ३२६ से ३२८ ६९३—७१९

पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३१३, ३१७, ३१९, ३२०, ३२५, ३२९ से ३४१, ३४३ से ३५८ और ३६० से ३६४ . . . ७१९—३५

अतारांकित प्रश्न संख्या ३७० से ३७८, ३८० से ४०५, ४०७ से ४२६, ४२८ ४२८ और ४३० . . . . ७३५—५७

स्थगन प्रस्ताव

आसाम-पूर्वी पाकिस्तान सीमा पर गोली चलाये जाने की घटनायें ७५७—६०

औचित्य प्रश्न के बारे में . . . ७६१

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . . . ७६१—६३

अनुदानों की अनुपूरक मांगें, १९५८-५९ . ७६३

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेलवे), १९५८-५९ . ७६३

प्राक्कलन समिति—

सैंतीसवां प्रतिवेदन . . ७६३

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव . ७६३—८१४

दैनिक संक्षेपिका ८१५—२०

अंक ८—बुधवार, १८ फरवरी, १९५९/२९ माघ, १८८० (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३६५ से ३६८, ३७०, ३७३ से ३७५, ३७७, ३७९, ३८२ से ३८५ और ३८८ . ८२१—४६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३६९, ३७१, ३७२, ३७६, ३७८, ३८१, ३८६ ३८७, ३८९ से ३९१ और ३९३ से ४१७ . . ८४६—६२

अतारांकित प्रश्न संख्या ४३१ से ४७९ और ४८१ से ४८७ ८६२—८४

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . ८८४—८५

रेलवे आय-व्ययक, १९५९-६० . . ८८५—९१२

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव . . . . ९०२—३९

कार्य मंत्रणा समिति—

पैंतीसवां प्रतिवेदन. ९३०

दैनिक संक्षेपिका . . . ९४०—४४

पृष्ठ

अंक ९—गुरुवार, १९ फरवरी, १९५९/३० माघ, १८८० (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४१८ से ४२२, ४२५, ४२६, ४२८ से ४३३, ४३५, ४३९ और ४४१ . ९४५—७०

अल्प सूचना प्रश्न संख्या २ ९७०—७२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४२३, ४२४, ४२७, ४३४, ४३६ से ४३८, ४४०, ४४२ से ४६७ . . ९७२—८७

अतारांकित प्रश्न संख्या ४८९ से ४९९ और ५०१ से ५५७ ९८७—१०१५

श्री सिद्दप्पा होशमानी का निधन १०१५

सभा-पटल पर रखे गये पत्र १०१५

कार्य मंत्रणा समिति— १०१५

पैंतीसवां प्रतिवेदन

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव १०१६—३२

कामगर प्रतिकर (संशोधन) विधेयक—

राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव १०३२—५३

दैनिक संक्षेपिका . . . . १०५४—५९

अंक १०—शुक्रवार, २० फरवरी, १९५९/१ फाल्गुन, १८८० (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४६८ से ४७७ और ४७९ से ४८८ १०६१—८६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४७८ और ४८९ से ५१८ १०८६—११००

अतारांकित प्रश्न संख्या ५५८ से ६६५ ११००—४६

स्थगन प्रस्ताव के बारे में ११४७

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ११४८

विशेषाधिकार समिति—

आठवां प्रतिवेदन . . . ११४८-४९

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

एक बरात को परेशान किये जाने की कथित घटना . ११४९

सभा का कार्य ११४९-५०

खेल-कूद के स्तर में गिरावट के बारे में प्रस्ताव . ११५०—६८

विधेयक पुरस्थापित ११६८-६९

पृष्ठ

१. श्री उ० च० पटनायक का भारतीय आग्नेयास्त्र विधेयक . . ११६८

२. श्री जगदीश अवस्थी का दण्ड विधि (संशोधन) विधेयक (धारा ७ का लोप) . ११६९

३. श्री झूलन सिंह का पटसन का न्यूनतम मूल्य विधेयक ११६९

संसदीय विशेषाधिकार विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव . ११६९—८६

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव . . . ११८७

दैनिक संक्षेपिका . . ११८८—९५

नोट: मौखिक उत्तर वाले प्रश्न में किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा मे उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

लोक-सभा

शुक्रवार, १३ फरवरी, १९५९/२४ माघ, १८८० (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड

+

†*१९२. **श्री राजेन्द्र सिंह :**
श्री राधा रमण :
श्री राम कृष्ण :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्रीमती मफीदा अहमद :
श्री अरवीन्द घोषाल :
श्री दामानी :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री ११ दिसम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ८४२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन की स्थापना की जा चुकी है ;

(ख) यदि हां, तो निगम पर कितनी पूंजी लगेगी ; और

(ग) क्या उक्त निगम के लिये टैक्नीकल कर्मचारियों अथवा वित्त के रूप में कोई विदेशी सहायता प्राप्त की गई है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह):** (क) जी हां।

(ख) निगम की अधिकृत पूंजी ५० करोड़ रुपये है परन्तु आरम्भ करने के लिये १० करोड़ पये की पूंजी प्रदान की गई है।

(ग) निगम को जो भारी मशीनें बनाने के कारखाने, ढलाई के कारखाने और कोयला खानों की मशीनें बनाने के कारखाने सौंपे गये हैं जिन के लिये हमें रूस और चकोस्लोवेकिया से टैक्नीकल तथा वित्तीय सहायता मिल रही है।

†मूल अंग्रेजी में

334 (AI) L.S.D.—1.

†**श्री राजेन्द्र सिंह :** पश्चिमी बंगाल सरकार के साथ यह करार किया गया है कि वहां जो केन्द्रीय सरकार के उपक्रम हैं उनके लिये कर्मचारियों की भर्ती पश्चिमी बंगाल से ही की जायेगी। क्या उसी के अनुसार इस उपक्रम में केवल बिहार के लोगों को ही भर्ती किया जायेगा ?

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** क्या रूस और चकोस्लोवेकिया के साथ भारी मशीन बनाने के कारखाने और ढलाई के कारखानों के बारे में करारों को अन्तिम रूप दिया जा चुका है और, यदि हां, तो क्या उन्हें सभा-पटल पर रखा जायेगा ?

†**श्री मनुभाई शाह :** उन्हें अन्तिम रूप दिया जा चुका है और कुछ सारांश मैंने सभा-पटल पर रखे हैं। यदि माननीय सदस्य चाहें तो मैं करारों की प्रतियां उन्हें भेज सकता हूं।

†**श्री रंगा :** माननीय मंत्री से कहा गया कि वह करारों की प्रतियां सभा-पटल पर रखे परन्तु वह कहते हैं कि वह श्रीमती रेणु चक्रवर्ती को एक प्रति भेज देंगे।

†**श्री मनुभाई शाह :** मेरा अभिप्राय यह था कि करार कई भागों में किया गया है। यह करार उस ऋण पर किया गया है जिस पर हस्ताक्षर किये गये हैं। अभी परियोजना प्रतिवेदन प्राप्त होने शेष हैं। गत सत्र में मैंने सारी बात बताई थी। इस लिये यदि कोई सदस्य ऋण सम्बन्धी करार की प्रति प्राप्त करना चाहे तो मैं उन्हें भेज सकता हूं।

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं माननीय मंत्रियों को सुझाव देता हूं कि जब कभी कोई ऐसा करार दिया जाता है जो गोपनीय नहीं होता तो उसकी प्रतियां पुस्तकालय में एक नियम समझते हुए रख दी जायें। मैं संसद् सचिवालय को कह रहा हूं कि वह सभी प्रकार के करारों की प्रतियां एकत्र करे और एक पुस्तिका तैयार करे ताकि ज़रूरत पड़ने पर माननीय सदस्य उन्हें देख सकें। वह यह कार्य कर रहे हैं और शीघ्र ही सदस्यों को वह पुस्तिका मिल जायेगी। तब तक माननीय मंत्रियों से प्रार्थना है कि सरकार की ओर से जो भी ऐसे करार किये जायें जो गोपनीय न हों पुस्तकालय में भेज दिये जायें। मैं पुस्तकालय से भी कहूंगा कि वह उपलब्ध करारों की प्रतियों की सूचना भेजते रहें।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** माननीय मंत्री ने कहा कि केवल ऋण सम्बन्धी करार पर हस्ताक्षर हुए हैं और अभी परियोजना प्रतिवेदन के बारे में अन्तिम निर्णय नहीं हुआ है। करारों में संविदा आदि अन्य मामले भी होते हैं। क्या उनके बारे में अन्तिम निर्णय हो चुका है या अलग से होगा ?

†**श्री मनुभाई शाह :** करार के प्रथम भाग की अनुसूची—ऋण के बारे में—अन्तिम निर्णय हो चुका है और उस के लिये रूस ने परियोजना प्रतिवेदन और उत्पादों का व्यौरा बताने के लिये समय मांगा है। उनके प्राप्त होने पर इस प्रश्न पर विचार किया जायेगा और अन्तिम निर्णय होगा।

†**श्री रंगा :** क्या इसका यह अर्थ निकाला जाये कि इस्पात कारखानों के बारे में सरकार ने जो करार किये थे उन में कई मामले पूरी तरह तय नहीं किये गये थे। इसलिये इस बार हर मामले के बारे में निश्चित करार किये जायेंगे।

†**श्री मनुभाई शाह :** यही उद्देश्य है।

†**श्री राजेन्द्र सिंह :** यदि बिहार में उपयुक्त कर्मचारी उपलब्ध होंगे तो क्या उन्हें प्राथमिकता दी जायेगी जैसे कि पश्चिमी बंगाल में केन्द्रीय सरकार के उपक्रम में केवल वहीं के लोगों को नियुक्त करने का करार पश्चिमी बंगाल सरकार और केन्द्रीय सरकार में हुआ था ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री स० म० बनर्जी :** चाहे बिहारी हो या बंगाली।

†**श्री जयपाल सिंह :** क्या माननीय मंत्री यह आश्वासन देंगे कि इस परियोजना के लिये और भूमि अर्जित नहीं की जायेगी ?

†**श्री मनुभाई शाह :** यह देश का मशीन बनाने वाला सब से बड़ा कारखाना होगा जिस में हर दो वर्ष के बाद एक इस्पात कारखाना तैयार होगा। इस लिये इस प्रकार का कोई आश्वासन नहीं दिया जा सकता। मैं यह आश्वासन दे सकता हूं कि देश की आवश्यकताओं को देखते हुए कारखाने और मकानों के निर्माण के लिये कम से कम भूमि अर्जित की जायेगी।

†**अध्यक्ष महोदय :** मेरा सुझाव है कि माननीय सदस्य प्रश्न काल में जानकारी प्राप्त करने के लिये प्रश्न पूछें और माननीय मत्रियों से आश्वासन प्राप्त करने का प्रयत्न न करें क्योंकि संभव है कि वे आश्वासन बाद में किन्हीं परिस्थितियों के कारण पूरे न किये जा सकें।

श्री जयपाल सिंह : मेरा अभिप्राय यह है कि आवश्यकता से अधिक गांव खाली न कराये जायें। मैं राष्ट्रीय कामों के लिये भूमि अर्जित करने के खिलाफ नहीं हूं परन्तु असल बात यह है कि दामोदर घाटी निगम तथा अन्य परियोजनाओं के लिये बिना सोचे समझे गांव खाली कराये गये हैं।

†**अध्यक्ष महोदय :** वह यही प्रश्न दूसरे तरीके से पूछ सकते थे।

†**श्री राजेन्द्र सिंह :** श्रीमान मेरा प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सभी कर्मचारी बिहार से ही लिये जायेंगे ?

†**अध्यक्ष महोदय :** ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया जा सकता।

†**श्री गोरे :** क्या पश्चिमी बंगाल सरकार को कोई ऐसा आश्वासन दिया गया है।

†**श्री मनुभाई शाह :** किसी परियोजना के बारे में ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया गया है। वैसे हमारी यह नीति है कि स्थानीय लोगों को सदा प्राथमिकता दी जाये। परन्तु उच्चतर टेक्नीकल स्थानों के लिये अखिल भारतीय आधार पर भर्ती करनी पड़ती है।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** हम ने समाचारपत्रों में पढ़ा है कि हैवी इंजीनियरिंग मशीन कारखाने और ढलाई के कारखाने के करार को अन्तिम रूप देने के लिये श्री नागराज राव को भेजा गया है। सरकार ने इस बार फिर एक ही व्यक्ति को क्यों भेजा है जब कि ऐसा करने से इस्पात कारखानों सम्बन्धी करारों में काफी कठिनाइयां पैदा हो चुकी हैं ?

†**श्री मनुभाई शाह :** शिष्टमंडल जिस में सरकार के दो वरिष्ठ पदाधिकारी डा० नागराज राव और श्री पाई हैं; रूस, चेकोस्लोवेकिया और जर्मन और ब्रिटिश विशेषज्ञों के साथ उन परियोजनाओं का अध्ययन करेंगे जिन के बारे में हमारी इन के साथ बातचीत चल रही है। सब ब्योरे पर चर्चा हो चुकी है। उन्हें केवल इस पर चर्चा करनी है कि करार और उत्पादन कार्यक्रम के विभिन्न पहलुओं के बारे में कैसे अन्तिम निर्णय किया जाये। इस दो सदस्य वाले शिष्टमंडल का मुख्य उद्देश्य जर्मन की फर्म के साथ मध्यवर्ती परियोजना और रूस से औषधि परियोजना ऋण करार को अन्तिम रूप देना है।

---

†मूल अंग्रेजी में

तृतीय योजना के लिये टैक्नीकल कर्मचारी

+

†*१९३. { श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री रा० च० माझी :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तृतीय योजना के लिये अपेक्षित टैक्नीकल कर्मचारियों की संख्या निर्धारित की गई है और ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र)** : (क) और (ख). काम हो रहा है परन्तु टैक्नीकल कर्मचारियों की संख्या तृतीय योजना के तैयार हो जाने पर ही निर्धारित की जा सकती है ।

†**श्री सुबोध हंसदा :** क्या राज्यों के जनशक्ति सचिवालयों ने अपनी सूचियां भेज दी हैं ?

†**श्री श्या० नं० मिश्र :** इस अवस्था में हम राज्यों से जानकारी नहीं मांग सकते परन्तु वे इस सम्बन्ध में काम कर रहे होंगे ।

†**श्री स० चं० सामन्त :** क्या भारतीय राष्ट्रजनों के प्रशिक्षण के लिये विदेशों द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्तियों का फायदा उठाया जा रहा है और कर्मचारियों को इनके लिये चुना जा रहा है ताकि उन्हें तृतीय योजना में लाभप्रद रूप से काम पर लगाया जा सके ?

†**श्री श्या० नं० मिश्र :** यह अलग सवाल है और यह सम्बन्धित मंत्रालय से पूछा जाना चाहिये ।

†**श्री तंगामणि :** क्या सरकार तृतीय योजना से पूर्व इन टैक्नीकल कर्मचारियों को प्राप्त करने की योजना बनायेगी और क्या सरकार उन भारतीय इंजीनियरों की सेवायें प्राप्त करेगी जो इस समय विदेशों में नौकरी कर रहे हैं ?

†**श्री श्या० नं० मिश्र :** यह बहुत महत्वपूर्ण बात है । ऐसे मामलों में पहले से योजना बनानी पड़ती है । हमने पहले भी बताया है कि योजना आयोग का पर्सपेक्टिव प्लानिंग डिवीजन इस सम्बन्ध में कार्य कर रहा है । सम्बन्धित मंत्रालय और विभागों में भी इस सिलसिले में कुछ काम हो रहा है । कुछ अनुमान लगा कर हम भी तृतीय योजना की आवश्यकतायें निर्धारित कर रहे हैं ।

सेठ गोविन्द दास : क्या इस सम्बन्ध में इस बात का भी ध्यान रखा जा रहा है कि केवल ऐसे ही लोगों को नियुक्त न किया जाये जिनके पास बड़ी-बड़ी डिग्रियां हैं, लेकिन इस बात का भी ख्याल किया जाये कि जिनको व्यावहारिक ज्ञान है विशेषकर गांवों का उनको रखा जाये ? क्या एसे लोगों को भी इसमें लिये जाने का विचार है, और अगर है, तो इस सम्बन्ध में किस तरह से ऐसे लोगों को लिया जायेगा ?

श्री श्या० नं० मिश्र : यह तो बहुत उचित बात है कि ग्राम्य जीवन से सम्बन्ध रखने वाले कार्यक्रम को कार्यान्वित करना है तो व्यावहारिक ज्ञान वाले व्यक्तियों को ही रखना चाहिये ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

श्री ब्रजराज सिंह : "चाहिये" किन से कह रहे हैं ।

†**श्री स० म० बनर्जी :** क्या यह सच है कि देश में प्रवीण टैक्नीशियनों और वैज्ञानिकों की कमी है और यदि हां, तो तृतीय योजना के लिये इस कमी को पूरा करने के हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** ज़ाहिर है कि पर्याप्त टैक्नीकल कर्मचारियों के बिना योजना सफल नहीं रह सकती । इस ओर पर्याप्त ध्यान दिया गया है—जनशक्ति समितियां कार्य कर रही हैं । हमने सर्वेक्षण भी किये हैं जिनके प्रतिवेदन माननीय सदस्यों को पुस्तकालय में मिल सकते हैं । इलैक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरों और वैज्ञानिकों की गतिविधियों का सर्वेक्षण किया गया और हमारी टैक्निकल शिक्षा का कार्यक्रम प्रगति कर रहा है । हमें आशा है कि तृतीय पंच वर्षीय योजना के लिये काफी टैक्नीकल कर्मचारी उपलब्ध होंगे ।

†**श्री दासप्पा :** क्या सरकार को इस बात का निश्चय है कि जो टैक्नीकल कर्मचारी उपलब्ध हैं उन सब को नौकरी पर लगा दिया जायेगा ?

†**श्री श्या० नं० मिश्र :** अधिकतर ये सब काम पर लगे हुये हैं परन्तु कुछ लोग बेहतर नौकरियां चाहते हैं जिस कारण उनके नाम काम दिलाऊ दफ्तरों में दर्ज हैं परन्तु इसे बेरोजगारी नहीं कहा जा सकता ।

†**श्री खाडिलकर :** मेरा विचार है कि दूसरे देशों में बड़े योग्य तथा प्रवीण भारतीय टैक्नीकल कर्मचारी विदेशी फर्मों में काम कर रहे हैं। क्या उन्हें यहां बुलाने के लिये कोई प्रयत्न किया गया है ....

†**अध्यक्ष महोदय :** श्री तंगामणि भी यही प्रश्न पूछना चाहते थे ।

†**श्री कोडियान :** क्या माननीय मंत्री बता सकते हैं कि द्वितीय योजना काल की समाप्ति तक कितने टैक्निकल कर्मचारी उपलब्ध होंगे ?

†**श्री श्या० नं० मिश्र :** यह हिसाब हम सामूहिक रूप से नहीं बल्कि अलग-अलग सैक्टरों के लिये लगा रहे हैं ।

†**श्री रंगा:** सरकार यह कैसे पता लगाती है कि इन टैक्नीकल कर्मचारियों को नौकरी मिल गई है या नहीं क्या काम दिलाऊ दफ्तरों से (जहां से कि ठीक-ठीक जानकारी मिलना सम्भव नहीं है) या कि उस रजिस्टर से जो सरकार ने बनाया है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** इसका ठीक-ठीक हिसाब रखा जाता है । जरूरी नहीं कि वह शत-प्रतिशत सही हो परन्तु वह काफी ठीक होता है । हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि उन में से ९९ प्रतिशत किसी न किसी नौकरी पर लगे हुये हैं । हमने एक यह व्यवस्था की है कि हम योग्य लोगों के नाम, जो विश्वविद्यालयों से शिक्षा पाकर निकलते हैं अथवा अभी शिक्षा प्राप्त कर रहे होते हैं, दर्ज कर लेते हैं । हम उन्हें तुरन्त नौकरियां तो नहीं दे सकते परन्तु हम उनका नाम दर्ज किये रहते हैं और उन्हें पर्याप्त वेतन दे कर आगे प्रशिक्षण दिलाते हैं या उनसे काम लेते हैं और किसी स्थान के खाली होते ही उन्हें नौकरी पर लगा लिया जाता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

इंडो-जर्मन प्रोटोटाइप वर्कशाप तथा प्रशिक्षण केन्द्र

+
†*१९४. { **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री रा० च० माझी :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ओखला में इंडो-जर्मन प्रोटोटाइप वर्कशाप तथा प्रशिक्षण केन्द्र कब तक स्थापित हो जायेगा ; और

(ख) इसके कब तक चालू होने की आशा है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). आशा है कि केन्द्र १९५९ की समाप्ति तक स्थापित हो जायेगा और १९६० के आरम्भ में चालू हो जायेगा।

†**श्री सुबोध हंसदा** : प्रोटोटाइप वर्कशाप पर कुल कितना खर्च होने का अनुमान है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : वर्तमान प्राक्कलन ६५ लाख रुपये है।

†**श्री सुबोध हंसदा** : इसमें से कितना खर्च सरकार वहन करेगी ?

†**श्री मनुभाई शाह** : पश्चिम जर्मन सरकार लगभग ३१·५ लाख जर्मन मार्क्स अनुदान के तौरपर और इतना ही भारत सरकार देगी।

अलौह धातुओं का आयात

+
†*१९५. { **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री सभा-पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें यह जानकारी हो कि :

(क) नवम्बर, १९५७ के पश्चात् जो अलौह धातुओं का आयात किया गया उसका मूल्य क्या था ;

(ख) देश में अलौह धातुयें कितनी मात्रा में उपलब्ध होती हैं ; और

(ग) देश में गहन खोज तथा विदोहन के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (ग). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ५८]**

†**श्री स० चं० सामन्त** : प्रश्न के भाग (ग) के बारे में विवरण में कहा गया है कि अन्य अलौह धातुओं के बारे में कुछ गैर-सरकारी दल खोज कर रहे हैं। सरकार का इन संस्थाओं के साथ क्या सम्पर्क है और क्या वे समय-समय पर कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मनुभाई शाह :** खानों और धातुओं के उत्पादन के कई कार्य गैर-सरकारी संस्थायें कर रही हैं। सरकार को उनके बारे में जानकारी मिलती रहती है।

†**श्री वें० प० नायर :** भाग (क) के उत्तर से पता चलता है कि कुल आयात ३०,००० रुपये से कम नहीं था। क्या यह आयात तथा इनका वितरण आयातकारों द्वारा किया जाता है और यदि हां, तो उन्हें कितने प्रतिशत लाभ कमाने की अनुमति दी जाती है ?

†**श्री मनुभाई शाह :** हर धातु के लिये आयात की नीति अलग है। कुछ एक का आयात स्वयं राज्य व्यापार निगम करता है। कुछ एक के लिये प्रयोक्ताओं को ही लाइसेंस दिये जाते हैं। जब लाइसेंस दिये जाते हैं तो लाभ की प्रतिशतता निर्धारित करने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। जब पुराने आयातकारों के द्वारा आयात किया जाता है तो उन्हें उचित लाभ कमाने की अनुमति दी जाती है।

†**श्री विद्याचरण शुक्ल :** क्या यह सच है कि कच्चे सीसे को पिघलाने के लिये ज़वार (भारत) से बाहर भेजा जाता है और फिर सीसे का भारत में पुनः आयात किया जाता है ? यदि हां, तो सरकार इसके लिये क्या प्रबन्ध कर रही है कि सीसे को भारत में ही पिघलाया जाये और इस प्रकार विदेशी मुद्रा की बचत की जाये ?

†**श्री मनुभाई शाह :** ज़वार खानों में से इस समय इतना सीसा और जिस्त नहीं निकलता कि उसे पिघलाने के लिये भारत में व्यवस्था की जाये। वैसे हम यथासंभव शीघ्र यह व्यवस्था करने के लिय प्रयत्न कर रहे हैं। माननीय सदस्य को मालूम ही होगा कि ज़वार जिस्त स्मेल्टर शीघ्र ही तैयार होने वाला है और सीसे के 'स्मेल्टर' के बारे में भी प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

†**श्री दासप्पा :** तांबे, सीसे, जिस्त और टिन की सप्लाई चाहे कम हो परन्तु देश में बाक्साइट काफी मात्रा में उपलब्ध होता है। अब तक केवल ७०,००० टन ही क्यों तैयार किया जाता है जब कि हम हर वर्ष १,६३,००,००० रुपये का आयात करते हैं।

†**श्री मनुभाई शाह :** जैसा कि मैं ने कई बार सभा को बताया है, एल्यूमिनियम के लिये गहन प्रयत्न किये जा रहे हैं। हीराकुड में १०,००० टन की क्षमता का एक 'स्मेलटर" स्थापित किया जा रहा है और इसकी क्षमता दुगनी कर दी जायेगी। एक और स्मेल्टर लगाया जा रहा है और रिहंद में भी स्मेल्टर लगाने के प्रयत्न किये जा रहे हैं। मद्रास राज्य में सैलम स्थान पर एल्यूमिनियम का एक 'स्मेल्टर' लगाने का भी विचार है।

†**श्री नाथ पाई :** माननीय मंत्री ने कहा कि आयातकारों को लाइसेंस दिये जाते हैं और वे उचित लाभ कमाते हैं। वह उचित लाभ कितना होता है, उसे सरकार तय करती है या कि आयात-कार।

दूसरे, क्या माननीय मंत्री को मालूम है कि कई बार आयातकार माल आयात करने के बजाय लाइसेंस बेचना ही अधिक लाभप्रद समझते हैं ? मैं ऐसे पत्र पेश कर सकता हूं जिन से यह पता चलता है कि आयात लाइसेंस बेचने से लाभ होता है। क्या हमें यह जानकारी मिल सकती है ?

†**श्री मनुभाई शाह :** जैसा कि मैं ने बताया कि बहुत सी अलौह धातुओं, जैसे कि तांबा, एल्यूमिनियम, टिन और जिस्त के आयात में लाइसेंस प्रयोक्ताओं को ही दिये जाते हैं। लाइसेंस देने की गत अवधि में पुराने आयातकारों को तांबे के आयात के लिये कोई भी लाइसेंस नहीं दिया गया।

†मूल अंग्रेजी में

परन्तु जहां उद्योग छोटे होते हैं और उन के लिये स्वयं आयात करना लाभप्रद नहीं होता है वहां पुराने आयातकारों को थोड़ी मात्रा का आयात करने के लिये लाइसेंस दे दिये जाते हैं और धातु की लागत को देखते हुए ३½ प्रतिशत से ६ प्रतिशत तक लाभ कमाने की अनुमति दी जाती है ।

यह सच है कि विदेशी मुद्रा की कमी और अलौह धातुओं का प्रयोग करने वाले लघु उद्योगों का तीव्र गति से विकास हो जाने के कारण इन धातुओं की बहुत कमी हो गई थी और इस के फलस्वरूप मांग और संभरण के बीच काफी अन्तर पैदा हो गया था । इस से लघु उद्योगों को कुछ कठिनाईयों का सामना करना पड़ा है और सरकार यह विचार कर ही है कि राज्य व्यापार निगम और अन्य अभिकरणों द्वारा इसका आयात करके उन्हें सुविधा दी जाये ।

†**श्री नाथ पाई :** प्रश्न के एक भाग का उत्तर अभी नहीं दिया गया है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य ने वास्तव में एक ही में दो प्रश्न पूछे हैं । दूसरा प्रश्न यह है कि क्या यह सच है कि ये लाइसेंस चोर बाज़ार में बेचे जा रहे हैं ।

†**श्री मनुभाई शाह:** मैं ने बताया कि वस्तु की कमी होने पर ऐसी स्थिति उत्पन्न होना स्वाभाविक है क्योंकि वितरण पर चाहे कितना ही नियन्त्रण क्यों न हो , फिर भी ऐसी बातें होंगी । यह भी सम्भव है कि कोई असल उपभोक्ता धातु को बहुत अधिक मूल्य पर बेच दे । उसे कैसे रोका जा सकता है ।

†**श्री अ० चं० गुह :** यह प्रश्न धातु को बेचने के बारे में नहीं लाइसेंस को बेचने के बारे में है ।

†**श्री वें० प० नायर :** क्या माननीय मंत्री को इस बारे में ठीक-ठीक जानकारी है कि नानफैरस मेटलज़ एसोसिएशन , मैसर्ज़ कामनी मेटल ग्रुप और बिनानी मेटल ग्रुप द्वारा तांबे और जिस्त का कितना लेन देन किया गया था ?

†**श्री मनुभाई शाह :** यह भी व्योरे से सम्बन्ध रखता है । मैं पहले बता चुका हूं कि लाइसेंस देने की गत अवधि में किसी पुराने आयातकार को लाइसेंस नहीं दिया गया है । असल उपभोक्ताओं को लाइसेंस दिये गये हैं ।

†**श्री त्यागी :** मैं किसी सदस्य द्वारा पूछे गये प्रश्न का स्पष्टीकरण चाहता हूं और वह यह है कि जो लाइसेंस दिये जाते हैं क्या उन्हें किसी और व्यक्ति के हाथ में बेचा जा सकता है ?

†**श्री मनुभाई शाह :** उन लाइसेंसों को किसी और व्यक्ति को बेचने की अनुमति नहीं है ।

†**श्री त्यागी :** परन्तु जब वे बेच दिये जाते हैं तो क्या बेचने वालों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की जाती है ?

†**श्री मनुभाई शाह :** कानून का उल्लघन करने वाले के विरुद्ध कार्यवाही की जाती है ।

†**श्री अ० चं० गुह :** प्रश्न यह पूछा गया था कि क्या यह सच है कि बाजार में आयात की गयी वस्तुओं के स्थान पर आयात लाइसेंस बेचे जा रहे हैं । परन्तु उस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया गया ।

†**अध्यक्ष महोदय :** उसका उत्तर तो दिया जा चुका है ।

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) :** सरकार को जब भी इस प्रकार के अवैध कार्यों की सूचना मिलती है, वह उन व्यक्तियों के विरुद्ध अवश्य कार्यवाही करती है । परन्तु

†मूल अंग्रजी में

जहां तक तांबे के आयात का सम्बन्ध है, उसके बारे में हमने एक विशेष उपाय किया। हमने पुराने आयातकर्ताओं को छोड़ दिया और वास्तविक उपभोक्ता लाइसेंस जारी किये। हमने राज्य व्यापार निगम से भी यह कहा है कि वह स्वयं भी तांबे का आयात करे।

कुछ वास्तविक उपभोक्ता अर्थात् फैक्टरियां इतनी छोटी छोटी फैक्टरियां हैं कि वे स्वयं सीधे ही तांबे का आयात करने में असमर्थ हैं। इसीलिये वे पुराने आयातकर्ताओं की सहायता लेते हैं, और हम उन्हें उस काम से रोक नहीं सकते। उन के पास इतनी अधिक पूंजी नहीं है, इसीलिये उन्हें पुराने आयातकर्ताओं की सहायता लेनी पड़ती है। अतः यहां वास्तव में लाइसेंस बेचने की बात नहीं है। अपितु यहां तो उन से सहायता लेने की बात है। और इसीलिये इन मामलों में हम कोई भी कार्य-वाही नहीं कर सकते।

†**श्री नाथ पाई :** माननीय मंत्री ने कहा है कि जब भी कोई अवैध मामला उनके ध्यान में आता है, वे उसके विरुद्ध अवश्य कार्यवाही करते हैं। परन्तु कई प्रतिष्ठित दैनिक समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में लगभग हर रोज यह समाचार प्रकाशित होता है कि अमुक-अमुक लाइसेंस अमुक-अमुक धन राशि लेकर बेचा गया है। यदि माननीय मंत्री प्रमाण चाहते हैं तो मैं उन्हें वे पत्रिकायें दिखा सकता हूं।

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री :** यदि माननीय सदस्य इस प्रकार की जानकारी मुझे दे सकें तो मैं उनका बड़ा कृतज्ञ हूंगा। मैं लाइसेंस बेचने वालों के विरुद्ध अवश्य कार्यवाही करूंगा।

†**श्री तंगामणि :** माननीय मंत्री ने बताया है कि बौक्साइट के निक्षेप पर्याप्त मात्रा के हैं और अल्युमिनियम कारखाना स्थापित किया जा रहा है। उन्होंने यह भी बताया है कि अल्यूमिनियम कारखाना सैलम में स्थापित किया जा रहा है। क्या इटली के विशेषज्ञों ने, जिन्होंने हाल ही में भारत का दौरा किया था, अपना अग्रिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है; और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

†**श्री मनुभाई शाह :** वे अभी अग्रिम प्रतिवेदन तैयार कर रहे हैं। उन्होंने हमें सूचित किया है कि वे प्रतिवेदन का व्योरा तैयार करते ही, उसे हमारे पास भेज देंगे।

मैसूर राज्य के छोटे पमाने के उद्योगों के लिये इस्पात

†***१९९. श्री केशव :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसूर सरकार ने उस राज्य में छोटे पैमाने के उद्योगों की मांग को पूरा करने के लिये इस्पात के कोटे को बढ़ाने के लिये निवेदन किया है;

(ख) यदि हां, तो उसके सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है; और

(ग) १९५८-५९ में अभी तक मैसूर राज्य के लघु उद्योगों को कुल कितना इस्पात संभरित किया गया है?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) जी, हां।

(ख) मैसूर के लिये एक दम कोटा बढ़ा देना सम्भव नहीं है, परन्तु बाद में उसे कुछ सीमा तक अवश्य बढ़ा दिया जायेगा।

(ग) अप्रैल से सितम्बर, १९५८ तक ११९ टन।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री केशव** : क्या देसी तथा विदेशी इस्पात में से कुछ कोटा लघु उद्योगों के लिये निर्धारित कर दिया गया है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : जी, हां ।

†**श्री केशव** : कितना इस्पात निर्धारित किया गया है और उस में से कितना इस्पात मैसूर के लिये निश्चित किया गया है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : इसका उत्तर मैं प्रश्न के भाग (ग) के उत्तर में दे चुका हूं—अर्थात् अप्रैल से सितम्बर, १९५८ तक ११६ टन । आशा है कि स्थिति सुधरने पर उस कोटे को बढ़ा दिया जायेगा।

भारत का राज्य व्यापार निगम, (प्राइवेट) लिमिटेड

+

†*१९८. { **श्री केशव** :
श्री राम कृष्ण :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री** ११ दिसम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ८५७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत के राज्य व्यापार निगम (प्राइवेट) लिमिटेड के क्षेत्र और उसके कार्यों के विस्तार की दृष्टि से उसकी संस्था के सीमा नियमों को संशोधित करने के प्रश्न की इस समय क्या स्थिति है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : संस्था के संशोधित सीमा नियम २७ सितम्बर, १९५८ से लागू हो चुके हैं।

†**श्री केशव** : क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में गैर-सरकारी क्षेत्र से भी परामर्श लिया है ?

†**श्री कानूनगो** : उसकी कोई जरूरत नहीं।

†**श्री रंगा** : उस में वास्तव में क्या परिवर्तन किया गया है ?

†**श्री कानूनगो** : उसके उद्देश्यों को बदलना था, और इसीलिये उद्देश्यों से सम्बन्ध रखने वाले पैरे को बदल दिया गया है और अब वह इस प्रकार से है :—

> "कम्पनी जिन उद्देश्यों के लिये स्थापित की गयी है, वे यह हैं कि वह समय-समय पर, अपने निर्णय के अनुसार, किन्हीं विशेष वस्तुओं के भारत में आयात और यहां से निर्यात करने की व्यवस्था करेगी और स्वयं भी उक्त आयात व निर्यात करेगी और भारत तथा किसी भी अन्य देश से उन वस्तुओं के क्रय विक्रय और परिवहन के सम्बन्ध में व्यवस्था करेगी और उनका व्यापार करेगी और वह इस प्रकार के सभी काम करेगी जिससे उसक उद्देश्य पूरे हो सकें।"

ऐसा करने का कारण यह था कि जब तक निगम उस सीमा नियम के अधीन अधिक अधिकार न करे, तब तक वह अच्छी प्रकार से व्यापार नहीं चला सकता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री विद्या चरण शुक्ल :** मैं यह जानना चाहता हूं कि राज्य व्यापार निगम के क्षेत्र को बढ़ाने की आवश्यकता क्यों पड़ी है ?

†**श्री कानूनगो :** प्रश्न क्षेत्र बढ़ाने का नहीं है। पहले यह उपबन्ध नहीं था। इन उपबन्धों की आवश्यकता इसलिये अनुभव हुई है कि ताकि राज्य व्यापार निगम प्रत्येक प्रकार की वस्तु का व्यापार कर सके। मान लीजिये कि राज्य व्यापार निगम का कुछ माल बाहर पड़ा है आखिर, उसे वहां बेचना होगा। पहले इस सम्बन्ध में कठिनाई थी।

†**श्री रंगा :** क्या इस व्यक्ति के अधीन राज्य व्यापार निगम किसी भी उद्योग अथवा वस्तु के व्यापार के सम्बन्ध में गैर-सरकारी क्षेत्र को वंचित कर सकता है, अथवा इसके सम्बन्ध में उसे सरकार के किसी निश्चित निर्णय पर निर्भर करना पड़ता है ?

†**श्री कानूनगो :** राज्य व्यापार निगम किसी भी व्यक्ति को वंचित नहीं कर सकता। व्यापार विनियमित करने के लिये सरकार को पहले कुछ कार्यवाही करनी पड़ती है।

†**श्री तंगामणि :** क्या यह संशोधित खण्ड ३, जिसके बारे में न तो ऋण दाताओं ने और न ही अंशधारियों ने आपत्ति की है, रजिस्ट्रार को अन्तिम रूप से भेज दिया गया है ?

†**श्री कानूनगो :** मुझे तो इस बारे में ज्ञान नहीं है, आशा है कि भेज दिया गया होगा।

†**श्री तंगामणि :** एक पहले प्रश्न के उत्तर में उन्होंने यह कहा था कि यह विशेष संशोधन पहले भी सभा-पटल पर रखा जा चुका है और उन्होंने उस सम्बन्ध से ऋणदाताओं और अंशधारियों से पूछा था कि क्या उन्हें कोई आपत्ति है। उस बारे में एक अवधि भी निश्चित कर दी गयी थी। उस अवधि में कोई भी आपत्ति नहीं की गयी है। इसलिये क्या यह संशोधन अन्तिम रूप से रजिस्ट्रार के पास भेज दिया गया है ?

†**श्री कानूनगो :** मैं ने पहले ही बता दिया है कि मुझे स्मरण नहीं है कि यह संशोधन कब दायर किया गया था। परन्तु जब तक वह दायर न किया जाय तब तक वह लागू नहीं हो सकता।

†**श्री वारियर :** क्या सरकार को किसी भी राज्य से इस संबंध में कोई प्रार्थना प्राप्त हुई है कि वह स्वयं अपना राज्य व्यापार निगम स्थापित करना चाहता है जो कि उन्हीं वस्तुओं का व्यापार करेगा जिनका व्यापार इस समय केन्द्रीय राज्य व्यापार निगम कर रहा है ?

†**श्री कानूनगो :** सामान्यतया दो प्रकार के तरीकों से किसी भी कम्पनी को विनियमित किया जा सकता है। एक तरीका पूंजी निर्माण है। मेरा ख्याल है कि केरल सरकार ने इस प्रकार की एक योजना भेजी है। और वह विचाराधीन है।

†**श्री विद्या चरण शुक्ल** : क्या यह सच नहीं है कि सामान्यतया यह शिकायत की जाती है कि राज्य व्यापार निगम सामान्यतया अपने लाइसेंस कुछ एक गैर-सरकारी पुराने आयातकर्ताओं को बेच देता है ?

†**श्री कानूनगो** : यह सच नहीं है। वास्तव में तो राज्य व्यापार निगम अन्य निर्यात कर्ताओं को सहायता देती है।

---

† मूल अंग्रेजी में ।

बेरु बाड़ी को पाकिस्तान के हवाले किया जाना

+

†*१९९. श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री राजेन्द्र सिंह :
श्री ही० ना० मुकर्जी :
श्री प्रकाश वीर शास्त्री :
श्री वाजपेयी :
श्री सुपकार :
श्री साधन गुप्त :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री आसर :
श्री नवल प्रभाकर :
श्री वी० चं० शर्मा :
श्री राम कृष्ण :
श्री अरविन्द घोषाल :
श्री विद्या चरण शुक्ल :
श्री हेम राज :
श्री हाल्दर :
श्री सुबिमन घोष :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिमी बंगाल की विधान सभा ने सर्वसम्मति से यह संकल्प पास कर दिया है कि बेरूबाड़ी को भारत में ही रखा जाये; और

(ख) यदि हां, तो उसके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** (क) जी, हां।

(ख) इस सम्बन्ध में एक विधेयक संसद् के सामने प्रस्तुत किया जायेगा और उसके प्रत्येक पक्ष पर विचार किया जायेगा ।

†**श्री रामेश्वर टांटिया :** क्योंकि इस प्रश्न में कई महत्वपूर्ण संवैधानिक बातें निहित हैं, इसलिये क्या सरकार इसे उच्चतम न्यायालय को सौंपने का कोई विचार रखती है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** प्रश्न यह उत्पन्न होना चाहिये था कि इसके लिये कोई विधान बनाने की जरूरत है या नहीं। हमने कई बातों को ध्यान में रखते हुए उसे संसद् के सामने प्रस्तुत करने का निर्णय किया है । और किसी प्रकार के संवैधानिक महत्व का कोई प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता ।

†**श्री वाजपेयी :** संविधान के अनुच्छेद ३ के अधीन यह उपबन्ध है कि यदि किसी भी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करना हो, तो उसके लिये प्रस्ताव राष्ट्रपति की ओर से आना चाहिये जो कि सम्बन्धित राज्य के विधान-मंडल के विचार पहले से पता लगा लेंगे । मैं जानना चाहता हूं कि क्या माननीय प्रधान मंत्री ने पाकिस्तान के प्रधान मंत्री से करार करने से पहले पश्चिमी बंगाल की विधान सभा से इस बारे में पहले पूछ लिया था, और यदि नहीं तो मैं पूछना चाहता

†मूल अंग्रेजी में ।

हूं कि माननीय प्रधान मंत्री किस अनुच्छेद के अधीन अथवा किस कानून के अधीन वहां की जनता से पूछे बिना ही पाकिस्तान को भारतीय क्षेत्र का कुछ भाग हस्तान्तरित कर सकते हैं ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** माननीय सदस्य ने कुछ घटनाएं बना ली हैं । मैं उन से पूर्णरूपेण सहमत हूं कि जब भी देश के किसी क्षेत्र को दूसरे के हवाले करने की बात उत्पन्न होती है, वह अत्यन्त गंभीर मामला होता है और उसके लिये यह आवश्यक होता है कि संबिधान और कानून की दृष्टि से कार्यवाही की जाये । परन्तु यहां पर तो यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या कोई क्षेत्र भारत का अंग है भी या नहीं । मैं इस प्रश्न के गुणावगुणों में नहीं जाना चाहता । परन्तु प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि क्या किन्हीं पंचाटों के अनुसार अथवा इन पंचाटों के किन्हीं अर्थों के अनुसार वह क्षेत्र हमारे क्षेत्र में आता है या नहीं ।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी :** क्योंकि नेहरू-नून करार में निश्चित रूप से बस्तियों के तबादले की बात निहित हैं और यह बात राष्ट्रपति के अभिभाषण में भी कही गई है, इसीलिये मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या प्रधान मंत्री जी इस करार की शर्तों में संशोधन करने के लिये तैयार हैं ताकि बेरूबाड़ी भारत में ही रखा जा सके और उसे पाकिस्तान को न दिया जाये, क्योंकि बेरूबाड़ी कोई समावृत बस्ती नहीं है यदि प्रधान मंत्री जी संशोधन करने के लिये तैयार हैं, तो क्या वे संसद् में अपना संशोधित करार प्रस्तुत करेंगे ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** मैं माननीय सदस्य के इस कथन से पूर्णरूपेण सहमत हूं कि बेरूबाड़ी कोई समावृत बस्ती नहीं है और राष्ट्रपति के अभिभाषण में भी बेरूबाड़ी का एक समावृत बस्ती के रूप में उल्लेख नहीं किया गया है । जहां तक मुझे स्मरण है, राष्ट्रपति के अभिभाषण के एक भाग में समावृत बस्तियों का उल्लेख है और दूसरे में नेहरू-नून करार का उल्लेख किया गया है । हम बेरूबाड़ी को समावृत बस्ती नहीं मान रहे हैं । जहां तक दूसरे तर्क का सम्बन्ध है, इस समय उस के सम्बन्ध में चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि मुझे आशा है कि सभा को इस प्रश्न पर अच्छी प्रकार से चर्चा करने का अवसर मिलेगा और उसके आधार पर किसी निश्चित फैसले पर पहुंच सकेंगे ।

†**श्री त्यागी :** मेरा एक औचित्य प्रश्न है । बेरूबाड़ी संविधान के लागू होने से पहले पचिमी बंगाल का एक भाग था और इस दृष्टि से वह भारत का एक अंग बन गया है, अतः उसे कोई भी विधान भले ही वह संसद् द्वारा पास किया गया हो, उसे किसी अन्य देश को दे नहीं सकता, जब तक कि भारत के संविधान का संशोधन न किया जाये । अनुच्छेद १ में लिखा हुआ है :

> "भारत अर्थात् इंडिया, राज्यों का संघ होगा ।
>
> भारत के राज्य क्षेत्र में राज्यों के राज्य क्षेत्र सम्मिलित होंगे . . .

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य इस बात को ध्यान में रखें कि यह केवल एक प्रश्न है । जहां तक वास्तविक इलाके हवाले करने का सम्बन्ध है, संसद् में उस संबंध में एक विधेयक प्रस्तुत किया जायेगा । यह औचित्य प्रश्न तो निश्चित रूप से उठाया जा सकता है कि जब तक संविधान का संशोधन न किया जाये तब तक संसद् भी कोई इलाके नहीं दे सकती । परन्तु इस संबंध में मत भेद है । संविधान के चौथे अनुच्छेद में यह लिखा हुआ है कि जहां तक सीमाओं का सम्बन्ध है संसद् में एक विधान प्रस्तुत किया जा सकता है, अतः इस संबंध में मत भेद हो सकता है । परन्तु इन सभी

† मूल अंग्रेजी में

कानूनी बातों के सम्बन्ध में हमें इस समय चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं । क्योंकि जब इस सम्बन्ध में विधेयक प्रस्तुत होगा तो उस समय इन सभी बातों पर चर्चा की जा सकेगी ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या प्रधान मंत्री का ध्यान इस बात की ओर आकृष्ट किया गया है कि जिस मानचित्र के आधार पर उनकी पाकिस्तान के प्रधान मंत्री से बातचीत हुई थी, वह मानचित्र ही गलत था और देवीगंज की स्थिति जैसी मानचित्र में बतायी गई है, वह ठीक नहीं है ? क्या प्रधान मंत्री विधेयक तैयार करने से पहले इस मामले पर फिर से विचार करेंगे ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : माननीय सदस्या इस मामले के वास्तविक गुणावगुणों की ओर जा रही हैं। नक्शों का मामला एक उलझा हुआ मामला है । केवल एक प्रश्न काल में उन सभी बातों पर चर्चा करना संभव नहीं है । परन्तु मैं उन्हें और सम्पूर्ण सभा को आश्वासन देता हूं कि हम इस संबध में बड़े चिन्तित हैं और हम इस बारे में अच्छी प्रकार से विचार करेंगे ।

†**श्री अ० चं० गुह** : केवल एक प्रश्न ।

†**अध्यक्ष महोदय** : जब विधेयक आयेगा तो उस समय सभी बातों पर अच्छी प्रकार से चर्चा की जा सकेगी ।

पटसन और मेष्टा की कीमतें

+

†*२००. { **श्री श्रीनारायण दास** :
श्री अनिरुद्ध सिंह :
श्री रामेश्वर टांटिया : }

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस सम्बन्ध में क्या कोई जांच की गई है कि पटसन तथा मेष्टा की गिरती हुई कीमतों की रोक थाम के लिये सरकार तथा अन्य सम्बन्धित निकायों द्वारा की गई कार्यवाहियों का क्या क्या असर हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

(ग) दिसम्बर, १९५८ से कितनी मात्रा आयात की गई है और राज्य व्यापार निगम के द्वारा कितनी राशि निर्यात करने का निर्णय किया गया है ?

(घ) विभिन्न पटसन उत्पादन क्षेत्रों में इस समय पटसन की कितनी कितनी कीमतें हैं ; और

(ङ) काश्तकारों की खेती बाड़ी करने की क्षमता को बढ़ाने के लिये किये गये उपायों से इस दिशा में कितनी सफलता मिली है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क),(ख),(घ) और (ङ). सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिससे दिसम्बर १९५८ तथा जनवरी १९५९ के महीनों में पटसन उत्पादन क्षेत्रों में कच्चे पटसन की विद्यमान कीमतें बताई गई हैं । [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ५९**] विवरण से ज्ञात होगा कि अब गिरती हुई कीमतों की रोक थाम कर दी गई है । राज्य व्यापार निगम तथा मिलों द्वारा और अधिक पटसन खरीद लेने पर काश्तकार अपने स्टाक को अच्छी कीमत पर बेच सकेंगे ।

---

† मूल अंग्रेजी में

(ग) पटसन की विशेष किस्मों के निर्यात के सम्बन्ध में सुविधा देने के लिये ३१ जनवरी, १९५९ तक समाप्त होने वाली अवधि में लम्बे रेशे की पटसन की १३,८२५ गांठों के आयात के लिये लाइसेंस दिये गये थे। राज्य व्यापार निगम द्वारा निर्यात करने पर कोई अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं की गई है। स्टाक और कीमतों की स्थिति को ध्यान में रखते हुये ठेकों पर निर्यात करने की भी अनुमति दी जायेगी।

†**श्री श्रीनारायण दास :** क्या यह सच है कि राज्य व्यापार निगम केवल कुछ ही किस्मों की पटसन खरीद रहा है और जिस किस्म की पटसन काश्तकारों के पास है उसे नहीं खरीदा जा रहा है।

†**श्री कानूनगो :** राज्य व्यापार निगम पटसन की उन सभी प्रकार की किस्मों को खरीदने का प्रयत्न कर रहा है जिनका निर्यात किया जा सके। यह देश के आन्तरिक प्रयोग के लिये भी पटसन की कई किस्मों को खरीद रहा है।

†**श्री श्रीनारायण दास :** राज्य व्यापार निगम द्वारा अभी तक विभिन्न किस्मों की कितनी पटसन खरीदी जा चुकी है।

†**श्री कानूनगो :** इसकी जानकारी इस समय मेरे पास नहीं है।

श्री अनिरुद्ध सिंह : क्या सरकार इस बात से अवगत है कि सरकार के अनेक प्रयासों के बावजूद भी इस वक्त तक जूट के भाव में कुछ भी तेजी नहीं आई है? इसलिये क्या सरकार कच्चे जूट के लिये कोई न्यूनतम मूल्य निर्धारित करने के प्रश्न पर विचार कर रही है?

श्री कानूनगो : स्टेटमेंट में दिखाया गया है कि जो कीमत गिरती जा रही थी वह अब रुक गई है और उम्मीद है कि आगे और नहीं गिरेगी।

†**श्री अनिरुद्ध सिंह :** इस बात को ध्यान में रखते हुये कि सरकार द्वारा किये गये विभिन्न उपायों से अभी तक पटसन की कीमतों को बढ़ावा नहीं दिया जा सका है, क्या सरकार कच्चे पटसन की न्यूनतम कीमतें निश्चित करने का विचार रखती है?

†**श्री कानूनगो :** पिछले कुछ महीनों में किये गये कुछ उपायों के परिणाम निकले हैं। यदि उन उपायों से कोई विशेष लाभ न हुआ तो दूसरे उपाय भी किये जायेंगे।

†**श्री रामेश्वर टांटिया :** निर्यात के लिये इस पटसन को पटसन आयुक्त के इस आश्वासन पर खरीदा गया था कि इस पर निर्यात शुल्क नहीं लिया जायेगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुये पटसन खरीदी गई थी, परन्तु अब इस शुल्क को हटाने के लिये बहि सीमा शुल्क पदाधिकारियों के पास वित्त मंत्रालय से अभी तक कोई सूचना नहीं पहुंची है। इसलिये बहुत सा पटसन कलकत्ता में ही पड़ा हुआ है और उसका निर्यात नहीं किया जा सका है। और हो सकता है कि अब पटसन की और खरीद ही बन्द हो जाये। मैं यह जानना चाहता हूं कि वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय इस सम्बन्ध में क्या क्या कार्यवाही कर रहा है क्योंकि इस के बिना हमारा सारा निर्यात व व्यापार ही ठप हो जायेगा।

†**श्री कानूनगो :** सरकार ने कभी भी निर्यात शुल्क के सम्बन्ध में कोई भी आश्वासन नहीं दिया था, परन्तु यदि कुछ एक निर्यातकर्त्ता अपने पटसन का निर्यात नहीं कर सके हैं तो सरकार यह जानना चाहती है कि हम किस प्रकार से उसकी देखभाल कर सकते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री अनिरुद्ध सिंह : नई दिल्ली से इस बात की घोषणा की गई थी कि बिहार राज्य के पूर्णिया जिले में खुले बाजारों में सरकार जूट खरीदेगी। मैं जानना चाहूंगा कि इस दिशा में अब तक क्या और कितना काम हुआ है, तथा उससे कच्चे जूट के बाजार भाव पर क्या असर पड़ रहा है।

श्री कानूनगो : भाव के ऊपर जो असर हुआ वह स्टेटमेंट में दिया गया है, और पूनिया में कोआपरेटिव सोसाइटीज़ के जरिये से जोरों से खरीद हो रही है।

†श्री अ० चं० गुह : क्या माननीय मंत्री को ज्ञात है कि उनके ८ दिसम्बर के बयान के बाद कच्चे पटसन की कीमत ३ रुपये और मेस्टा की कीमत भी कम से कम तीन रुपये कम हो गयी है? राज्य व्यापार निगम मेस्टा नहीं खरीद रहा है और उसके परिणामस्वरूप उसकी कीमत गिर कर १४ रुपये प्रति मन हो गई है।

†श्री कानूनगो : इस समय हम पटसन की ओर मुख्य रूप से ध्यान दे रहे हैं और उसकी कीमत के सम्बन्ध में विवरण में बता दिया गया है।

†श्री अ० चं० गुह : कठिनाई यह है कि माननीय मंत्री केवल मात्र कलकत्ता में प्रचलित भावों का ही उल्लेख कर रहे हैं। गांवों में रहने वाले काश्तकारों को तो बहुत कम कीमत प्राप्त होगी, उन्हें ६–७ रुपया प्रति मन कम की प्राप्ति होगी।

†श्री कानूनगो : विवरण में नौगांव, केन्द्रपाडा और पूर्णिया में प्रचलित कीमतों का उल्लेख किया गया है।

श्री विभूति मिश्र : यह तो पटसन खरीदा जा रहा है, मैं जानना चाहता हूं कि मेस्टा जूट को खरीदने के लिये सरकार ने स्टेट ट्रेडिंग को आर्डर दिया है या नहीं।

श्री कानूनगो : मेस्टा के ऊपर अभी ध्यान नहीं दिया गया है।

श्री विभूति मिश्र : आज मेस्टा बहुत सपड़ा हुआ है, मैं जानना चाहता हूं कि उसको खरीदने के लिये सरकार क्या कर रही है।

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : इस वक्त जो स्टाक सर्प्लस है उसमें मेस्टा भी है और जूट भी है, हां जूट ज्यादा है और मेस्टा कम है। लेकिन अगर हम जूट के स्टाक को खरीदना चाहते हैं तो इसके यह माने नहीं हैं कि हम मेस्टा को बिल्कुल ही छोड़ देंगे। हमारा ध्यान मेस्टा की तरफ भी रहेगा।

†अध्यक्ष महोदय : श्री हेम बरुआ।

†श्री हेम बरुआ : क्या सरकार को ज्ञात है कि इस बार कच्चे पटसन की कीमतें बहुत ही गिर गई हैं और उसके परिणाम स्वरूप उत्तरी बंगाल, आसाम, उड़ीसा और बिहार के काश्तकार अपनी उत्पादन लागत का ७५ प्रतिशत भी प्राप्त नहीं कर सके हैं, और केन्द्रीय सरकार उस समय सहायता के लिये आयी जब कि काश्तकार पूर्ण रूपेण निराश हो चुके थे? मैं जानना चाहता हूं कि सरकार ने इस कार्य में इतनी देर क्यों कर दी थी?

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : यह कहना गलत है कि हमने यह कार्यवाही बहुत देर में की थी। हमें ज्योंही यह सूचना मिली कि भाव गिर रहे हैं, हमने एकदम यह कार्यवाही कर दी थी, और इस सम्बन्ध में हमने क्या क्या कार्यवाही करने का निर्णय

†मूल अंग्रेजी में

किया था उसका उल्लेख मैं गत सत्र में कर चुका हूं । वे कार्यवाहियां की गयी थीं और उनका विशेष प्रभाव भी हुआ है । उनके परिणामस्वरूप भाव गिरने रुक गये थे और लगभग दो सप्ताहों में भाव बढ़ने भी लग पड़े थे ।

इस समय तो मुख्य लक्ष्य यह है कि अतिरिक्त पटसन को मार्केट से उठा लिया जाये, उसे खरीद लिया जाये और इस समय हम इस बारे में विचार कर रहे हैं हमने सहकारी बकों और प्रमुख समितियों को इस बात का अधिकार दे दिया है कि वे राज्यों की ओर से खरीद कर सकते हैं । हमने मिलों से भी यह कहा है कि वे लगभग ५ मास के लिये रिजर्व स्टॉक रख सकती हैं । अभी वे केवल ३ मास के लिये रिजर्व स्टॉक रख सकती थीं । यह हमने उनसे तीन दिन पहले ही यह कथन जारी किया है कि वे अब पांच मास के लिये रिजर्व स्टॉक रख सकते हैं । उन्हें मार्केट से भी खरीद करनी पड़ेगी । राज्य व्यापार निगम भी पटसन की खरीद करेगा । परन्तु मुख्य कठिनाई तो वित्त की है । हम इस सम्बन्ध में वित्त मंत्रालय से बातचीत कर रहे हैं कि सोसाइटियों या मिलों को किस प्रकार से धन दिया जा सकता है । हम इन सभी बातों पर विचार कर रहे हैं और आशा है कि एक या दो सप्ताहों में हम इस सम्बन्ध में कोई अन्तिम निर्णय कर सकेंगे ।

†**श्री रामेश्वर टांटिया :** मेरा एक औचित्य प्रश्न है । जब पटसन आयुक्त श्री पॉल की अध्यक्षता में कलकत्ता में बैठक हुई थी तो इस बैठक में भी मैं उपस्थित था। श्री पॉल ने यह आश्वासन दिया था कि निर्यात शुल्क को हटा दिया जायेगा । क्या माननीय मंत्री यह पता लगाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात ठीक है या गलत ?

†**श्री कानूनगो :** जैसा कि सभा को ज्ञात है, वित्त मंत्री के अतिरिक्त अन्य कोई भी व्यक्ति शुल्कों में परिवर्तन नहीं कर सकता ।

†**श्री रामेश्वर टांटिया :** परन्तु जब आयुक्त ने वैसा आश्वासन दे दिया है, तो उस सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही करेगी ?

†**अध्यक्ष महोदय :** परन्तु इसमें औचित्य प्रश्न क्या है ?

†**श्री रामेश्वर टांटिया :** माननीय मंत्री ने यह कहा है कि इस बारे में कोई आश्वासन नहीं दिया गया था, परन्तु पटसन आयुक्त द्वारा यह आश्वासन दिया गया था ।

†**अध्यक्ष महोदय :** यह कोई औचित्य प्रश्न नहीं है । माननीय सदस्यों से मेरा परामर्श है कि वे केवल प्रश्न पूछने के लिये औचित्य प्रश्न न पूछा करें ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** हम यह जानना चाहते हैं कि उन गांवों में पटसन के क्या भाव हैं जहां पटसन का उत्पादन करने वाले स्वयं पटसन को बेचते हैं, और क्या राज्य व्यापार निगम के पटसन मार्केट में प्रवेश करने के बाद भावों में कुछ वृद्धि हुई है ?

†**श्री कानूनगो :** विवरण में मूल्य दिये हुये हैं । उदाहरणतः, बिहार में और पूर्णिया में १६ दिसम्बर, १९५८ को मूल्य १६ रुपये था । २६ दिसम्बर, १९५८ को यह १५ रुपये था । २ जनवरी, १९५९ को यह १५.५० रुपये तक चढ़ गया । फिर कार्यवाही की गयी और ६ जनवरी, १९५९ को यह १६ रुपये तक चढ़ गया ।

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य विवरण में बताये गये स्थानों के अतिरिक्त अन्य स्थानों के मूल्य जानना चाहते हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री कानूनगो :** यदि माननीय सदस्य मुझे स्थानों के नाम बतायें तो मैं आंकड़े बता सकता हूं। विवरण में मैंने कलकत्ता, नौगांव, केन्द्रपाडा और पूर्णिया के आंकड़े दिये हैं जो कि मुख्य पटसन उत्पादक-क्षेत्र हैं।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** २४ परगना के पटसन उत्पादक क्षेत्रों में, अर्थात् गांवों में, कलकत्ते में नहीं, राज्य व्यापार निगम किस दर पर खरीद कर रहा है ?

†**श्री कानूनगो :** जिन दरों पर खरीद की जाती है वे कृपया नहीं बताये जाने दिये जायें क्योंकि ये हर सप्ताह बदलते रहते हैं।

†**श्री पाणिग्रही :** विवरण से पता चलता है कि ५ दिसम्बर, १९५८ को उड़ीसा में केन्द्रपाडा में मूल्य १९ रुपये ५० न० पैसे था और २३ जनवरी, १९५९ को यह १७ रुपये ५० न० पैसे हो गया। राज्य व्यापार निगम १७ रुपये ५० नये पैसे पर पटसन सीधे उत्पादकों से खरीद रहा है या अपने एजेण्टों द्वारा ?

†**श्री कानूनगो :** केन्द्रपाडा में मूल्यों के सम्बन्ध में मैं यह बताता हूं कि खरीद जनवरी के अन्त में आरम्भ हुई और उसका असर कुछ देर बाद पड़ेगा। जैसा कि माननीय सदस्य ने बताया, ९ जनवरी, १९५९ को मूल्य १८ रुपये था और तब से यह गिर कर १७.५० रुपये हो गया है। परन्तु यह कोई असाधारण बात नहीं है।

†**अध्यक्ष महोदय :** अगला प्रश्न।

†**श्री अ० चं० गुह :** मैं एक सुझाव देने की अनुमति चाहता हूं। मंत्री महोदय का कहना है कि वे नीति का एक सप्ताह में निश्चय करेंगे। उसके बाद वे एक वक्तव्य दें और यदि आवश्यक हुआ तो उस वक्तव्य पर कुछ चर्चा भी हो।

†**अध्यक्ष महोदय :** बहुत अच्छा।

नागपुर में केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिये क्वार्टरों का निर्माण

†*२०२. **श्री त० ब० विट्ठलराव :** क्या **निर्माण, आवास और सम्भरण** मंत्री ८ दिसम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या १०७७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागपुर में स्थानान्तरित हुये कार्यालयों के कर्मचारियों के लिये नागपुर में २८० क्वार्टर बन कर तैयार हो गये हैं ; और

(ख) क्या अगले वर्ष १२५ क्वार्टर और बनाने के प्रस्ताव की स्वीकृति दे दी गई है ?

†**निर्माण, आवास और सम्भरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा) :** (क) जी, नहीं। निर्माण-कार्य प्रगति पर है।

(ख) मूलतः प्रस्ताव मंजूर कर लिया गया है और औपचारिक मंजूरी शीघ्र ही दे दी जायेगी।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव :** अब तक कितने कर्मचारियों को नागपुर स्थानान्तरित किया गया है ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**श्री अनिल कु० चन्दा :** इस समय मेरे पास ठीक आंकड़े नहीं हैं। भारतीय खनि विभाग शनैः शनैः अपने विभागों को नागपुर भेज रहा है और कर्मचारियों की संख्या बढ़ती ही जायेगी।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव :** कलकत्ता में काम कर रहे भारतीय खनि विभाग को कब तक स्थानान्तरित किया जायेगा ? यह कहा गया है कि इसको अप्रैल तक स्थानान्तरित कर दिया जायेगा परन्तु अभी तक प्रयोगशालाओं को स्थानान्तरित नहीं किया गया है।

†**श्री अनिल कु० चन्दा :** इस प्रश्न के उत्तर में हम पहले बता चुके हैं कि खनिविभाग का स्थानान्तरण प्रावस्थाभाजित कार्यक्रम के अनुसार किया जायेगा। स्थानान्तरण का काम अंशतः आरम्भ किया जा चुका है।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव :** क्या प्रयोगशालाओं को कलकत्ता से नागपुर भेजने का कार्य वहां पर भवनों के निर्माण के पूरा हो जाने तक रुका रहेगा ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा :** जी, हां। निश्चय ही प्रयोगशाला भवन के पूरा हो जाने तक।

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी) :** सम्बन्धित मंत्रालय, अर्थात्, इस्पात, खान और ईंधन मंत्रालय की आवश्यकता के अनुसार हम भारतीय खनि विभाग के विभागों को स्थानान्तरित कर रहे हैं। वे और हम मिल कर इस तरह इस काम को कर रहे हैं जिससे भारतीय खनि विभाग के कार्य में बाधा न हो। स्थायी क्वार्टरों के बन जाने तक हमने आवश्यक अस्थायी स्थान देने की व्यवस्था भी की है।

हम इस विषय पर निरन्तर ध्यान दे रहे हैं। हाल ही में, अर्थात् कुछ ही सप्ताह पहले, खान और ईंधन मंत्री और मैं दोनों नागपुर गये थे। हमने मौके पर जा कर सभी संगत प्रश्नों पर बातचीत की और इस प्रकार के कार्य में जो भी सावधानी बरती जानी चाहिये वह हमने बरती है और हमने इस बात पर भी ध्यान दिया है कि किसी को भी अनावश्यक रूप से असुविधा या कठिनाई न हो।

भोपाल में भारी विद्युत उपकरण कारखाना

+

†*२०३ { **श्रीमती पार्वती कृष्णन् :**
श्री नागी रेड्डी : }

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भोपाल में भारी विद्युत उपकरण कारखाने की क्षमता बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या कोई निर्णय किया गया है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) और (ख). जैसा कि सदन को ज्ञात है, एक प्रक्रम पर संसाधनों, विशेषतः विदेशी मुद्रा, की कमी के कारण परियोजना की क्रियान्विति को तीन प्रावस्थाओं में विभाजित करना पड़ा। प्रथम प्रावस्था (फेज़) में काम आरम्भ कर दिया गया है।

अब इस बात पर विचार हो रहा है कि क्या दूसरी और तीसरी प्रावस्था (फेज़) में भी काम शीघ्र आरम्भ किया जा सकेगा और क्या रेलवे ट्रैक्शन मोटरों के निर्माण का कार्य प्रथम प्रावस्था

---

†मूल अंग्रेज़ी में

में लगाया जा सकेगा जिसमें हैवी ट्रांसफार्मर, कन्ट्रोल गियर और स्विच गियरों का निर्माण सम्मिलित है।

†**श्रीमती पार्वती कृष्णन्** : इस प्रतिवेदन के तैयार होने में कितना समय लगेगा ?

†**श्री मनुभाई शाह** : यथा संभव शीघ्र निर्णय कर लिया जायेगा।

†**श्री मुरारका** : क्या सरकार के लिये विदेशी फ़र्मों के साथ किये गये करार की एक प्रति सभा पटल पर रखना संभव होगा ?

†**श्री मनुभाई शाह** : जहां तक मुझे ज्ञात है, सम्भवतः करार की प्रति पटल पर रखी जा चुकी है, क्योंकि करार दो वर्ष पहले किया गया था। फिर भी यदि यह नहीं रखी गयी होगी तो मैं निश्चित रूप से इसे पुनः सभा पटल पर रखूंगा।

सेठ अचल सिंह : क्या माननीय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस फैक्टरी से कब तक सामान बनना शुरू हो जायेगा ?

†**श्री मनुभाई शाह** : पहले फेज़ का काम सन् १९६० के आखिर तक शुरू हो जायेगा।

†**श्री विद्या चरण शुक्ल** : क्या यह सच है कि इस कारखाने के परामर्शदाता इंजीनियर और क्रय अभिकर्त्ता एक ही सार्थ हैं ?

†**श्री मनुभाई शाह** : जी, नहीं। वे हमें प्राप्त होने वाले विभिन्न टेंडरों पर परामर्श देते हैं। शर्त केवल यह है कि ब्रिटेन से खरीदना होता है, क्योंकि ऋण का मुख्य भाग उस ही देश से उपलब्ध है। परामर्शदाता सार्थ हमको सब खरीद के लिये परामर्श देगा जिस पर वह कोई कमीशन न लेकर वास्तविक खर्चा लेगा।

†**श्री विद्या चरण शुक्ल** : मैं केवल यह जानना चाहता था कि सलाहकार इंजीनियर और क्रय अभिकर्त्ता एक ही संगठन हैं या नहीं।

†**श्री मनुभाई शाह** : जी, नहीं। वही मैं बतला चुका हूं। कुछ चीजों में--जब उन्हीं की कम्पनी टेंडर भेजती है तो वे एक प्रकार से क्रय अभिकर्त्ता हो जाते हैं। परन्तु बहुत सी अन्य वस्तुयें हम ब्रिटेन के खुले बाजार से खरीदते हैं, जिसके लिये वे परामर्श देंगे परन्तु उनको वास्तविक खर्चे के अलावा और कोई एजेन्सी कमीशन नहीं दिया जायेगा।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : समाचारपत्रों में यह कहा गया है कि दुर्गापुर में ऐसी सी ओर बाबकॉक और बिलकॉक्स इत्यादि के बीच एक और करार हो रहा है और वे कुछ टरबाइन और जेनरेटरों का निर्माण करेंगे जिनका कि भोपाल में पहले ही निर्माण हो रहा है। क्या ये दोनों इस मामले में स्पर्धा करेंगे ?

†**श्री मनुभाई शाह** : जी, नहीं। ए वी बी परियोजना मुख्यतः सीमेंट मशीनें और बायलरों के निर्माण के लिये है और भोपाल में भारी विद्युत परियोजना टर्बो-आल्टर्नेटर, जेनेरेटर, ट्रांसफार्मर, स्विच गियर और कन्ट्रोल गियर के निर्माण के लिये है।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

तृतीय पंचवर्षीय योजना

+

+*२०४. श्री स० म० बनर्जी :
श्री राम कृष्ण :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री अ० क० गोपालन :
श्री तंगामणि :
श्री न० रा० मुनिस्वामी :
श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
श्री दामानी :
श्री विभूति मिश्र :

क्या **योजना** मंत्री १९ दिसम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या २१५० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तृतीय पंचवर्षीय योजना बनाने के सम्बन्ध में अब तक क्या अग्रेतर प्रगति हुई है ;

(ख) योजना को तैयार करने में क्या तरीका अपनाने का विचार है ; और

(ग) तृतीय पंचवर्षीय योजना का नक्शा कब तक पूरा हो जायेगा ?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र)** : (क) तृतीय पंच वर्षीय योजना के सम्बन्ध में नीति और रुख के प्रश्नों पर योजना आयोग विचार कर रहा है। पहले स्थापित किये गये कृषि, सिंचाई और विद्युत् के लिये कार्यकारी दलों के अतिरिक्त योजना आयोग और मंत्रालयों के प्रतिनिधियों का एक कार्य-संचालन दल उद्योग, परिवहन और विद्युत् के सम्बन्ध में योजना की सामान्य समस्याओं की जांच कर रहा है। इस्पात, ईंधन, औद्योगिक व्यवस्था, प्रविधिक शिक्षा, वैज्ञानिक गवेषणा, स्वास्थ्य और शिक्षा के लिये भी कार्यकारी दल हैं। संसाधनों के संसज्जन के सम्बन्ध में भी प्रश्न अध्ययनाधीन हैं।

(ख) इस प्रक्रम पर योजना आयोग द्वारा केन्द्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों से परामर्श लेकर तृतीय योजना के विभिन्न पहलुओं पर कार्य किया जा रहा है। बहुत से क्षेत्रों में राज्य सरकारें अपने अपने कार्यकारी दल स्थापित कर रही हैं। मार्च के आरम्भ में 'अर्थशास्त्रियों की तालिका' की एक बैठक बुलाई गई है। राष्ट्रीय विकास परिषद् मार्च के अन्त में तृतीय योजना के बारे में प्रश्नों पर विचार करेगी।

(ग) यह आशा की जाती है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना की प्रारम्भिक रूपरेखा १९५९ के अन्त तक तैयार हो जायेगी।

†**श्री स० म० बनर्जी** : संसद् के पिछले सत्र में हमें बताया गया था कि सब राजनीतिक दलों से परामर्श किया जायेगा। मेरी जानकारी यह है कि लोक-सभा और राज्य-सभा के सदस्यों की एक समिति बनायी गयी थी। क्या मैं जान सकता हूं कि क्या इस समिति की कभी बैठक हुई और क्या प्रारूप पर विचार किया गया ; और यदि नहीं, तो क्या इस पर विचार किये जाने की सम्भावना है ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†श्री श्या० नं० मिश्र : यह समिति बनायी गई है परन्तु अभी तक इसकी बैठक नहीं हुई है। यह आशा की जाती है कि समिति की बैठक चालू सत्र में होगी ।

†श्री तंगामणि : पूर्व प्रश्न के उत्तर में यह कहा गया था कि कार्यकारी दल केवल स्थापित ही नहीं किये जायेंगे अपितु वे संसाधनों के संसज्जन के प्रश्न पर भी विचार करेंगे । क्या मैं जान सकता हूं कि यह देखने के लिये कि संसाधनों को किस प्रकार बढ़ाया जाये और किस प्रकार वर्तमान संसाधनों का उपयोग किया जाये, एक विशेष समिति स्थापित की गयी है ?

†श्री श्या० नं० मिश्र : योजना आयोग में एक आर्थिक विभाग है जो इस विषय पर विचार करता है ।

†श्री रामेश्वर टांटिया : क्या यह सच है कि कुछ ऋणदाता देशों ने तृतीय योजना के आकार (साइज़) पर कुछ व्याकुलता प्रकट की है, और यदि हां, तो हम उनकी शंकाओं को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही कर रहे हैं ?

†श्री श्या० नं० मिश्र : इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है । और किसी ऐसी चीज़ के बारे में कोई शंका कैसे हो सकती है जो अभी बनी ही न हो ?

†श्री हेम बरुआ : क्या यह सच है कि तृतीय योजना के विदेशी मुद्रा वाले भाग पर वाशिंगटन में १६ मार्च को सहायता सम्मेलन में विचार किया जायेगा ? मंत्री महोदय ने अभी कहा कि प्रारूप पर राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा मार्च के अन्त में विचार किया जायेगा । क्या मैं जान सकता हूं कि १६ मार्च को वाशिंगटन में होने वाले सहायता सम्मेलन में तृतीय योजना के विदेशी मुद्रा वाले भाग के सम्बन्ध में भारतीय सदस्य क्या रुख अपनायेंगे ?

†श्री श्या० नं० मिश्र : मैं प्रश्न को ठीक तरह समझ नहीं सका । क्या माननीय सदस्य यह सोचते हैं कि वाशिंगटन में होने वाले सम्मेलन से तृतीय पंच वर्षीय योजना का कुछ सम्बन्ध है ?

†श्री हेम बरुआ : यह भारत को ऋण देने वाले देशों की व्याकुलता के सम्बन्ध में है। इसके अतिरिक्त यह कहा गया है कि भारत को ऋण देने वाले देश तृतीय योजना के आकार के सम्बन्ध में चिन्तित हैं और इसके विदेशी मुद्रा वाले भाग पर १६ मार्च को वाशिंगटन में होने वाले सहायता सम्मेलन में विचार किया जायेगा ।

†श्री श्या० नं० मिश्र : मैं नहीं जानता कि माननीय सदस्य को यह जानकारी कैसे प्राप्त हुई ।

†श्री हेम बरुआ : यह आज प्रातः के समाचारपत्र में था ।

†अध्यक्ष महोदय : यह समाचारपत्र में था और माननीय सदस्य का प्रश्न उस रिपोर्ट पर आधारित है कि विदेशी ऋणदाता देश की तृतीय पंचवर्षीय योजना के आकार के कारण चिन्तित हैं क्योंकि यह १०,००० करोड़ रुपये की है ।

†श्री श्या० नं० मिश्र : हमें इस प्रश्न की कोई जानकारी नहीं है ।

†अध्यक्ष महोदय : प्रश्नकाल समाप्त हो गया है ।

†श्री वाजपेयी : मेरी प्रार्थना है कि प्रश्न संख्या २२१ का उत्तर दिया जाये ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों को पता है कि ऐसे प्रश्न जिनका उत्तर यहां नहीं दिया गया वे उत्तरों समेत छापे जायेंगे ।

†श्री स० म० बनर्जी : यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। कृपया प्रधान मंत्री महोदय उसका उत्तर देने को राजी हों । आपको मालूम है कि चेचेमा ट्रस्ट पर जनता का ध्यान आकर्षित हुआ है ।

†अध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है, प्रश्न काल समाप्त हो गया है ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

घाना के लिये भारतीय विशेषज्ञ

†*२०५ { **श्री वाजपेयी :**
श्री अजित सिंह सरहदी :
श्री साधन गुप्त :
श्रीमती इला पालचौधरी : }

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या घाना के प्रधान मंत्री ने हाल की अपनी भारत यात्रा में घाना के लिये भारतीय विशेषज्ञों और पदाधिकारियों की सेवायें प्राप्त करने की इच्छा प्रकट की थी ;

(ख) यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ; और

(ग) घाना में अब तक कितने भारतीय पदाधिकारी नियुक्त किये जा चुके हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां): (क) से (ग). जी नहीं । लेकिन सदन को स्मरण होगा कि २९ नवम्बर, १९५८ को तारांकित प्रश्न संख्या ३७३ के उत्तर में बताया गया था कि घाना सरकार ने, घाना में काम करने के लिये २५० अधिकारियों तक की सेवायें हमसे मांगी थीं । अब तक उन्होंने कृषि, सिंचाई और शक्ति (पावर), स्वास्थ्य, औषधि, डाक और तार-संचार, सार्वजनिक निर्माण (पब्लिक वर्क्स), सर्वेक्षण (सर्वे) और रेल के क्षेत्रों में ५० विशेषज्ञों की मांग की है । इनमें से कुछ स्थानों के लिये घाना सरकार के पास उपयुक्त सेवारत (सर्विंग) अधिकारियों के नाम भेजे जा चुके हैं, और घाना में सेवा करने के लिये अभी तक १२ अधिकारी चुने गये हैं । यदि वे अधिकारी सेवा की शर्त मंजूर कर लेंगे तो इन्हें घाना भेजा जायेगा ।

घाना सरकार ने, उपर्युक्त ५० विशेषज्ञों के अलावा भारत सरकार से २ वायुसेना अधिकारियों, और एक ऐसे अधिकारी की सेवायें मांगी हैं, जो समुद्रपार देशों के सामान खरीदने के लिये घाना सरकार के खरीद कमीशन का संगठन कर दे । उपर्युक्त सेवारत अधिकारियों के नाम घाना सरकार के पास भेज दिये गये हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

मोटर उद्योग

†*२०६ {**श्री हरिश्चन्द्र माथुर :**
पंडित द्वा० ना० तिवारी :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ५ दिसम्बर, १९५८ को लोक-सभा में प्रतिरक्षा उपमंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य में बताये गये प्रतिरक्षा मंत्रालय के अनुभवों और उपसंहारों को ध्यान में रखते हुये क्या मोटर कार और ट्रक निर्माण उद्योग के कार्य का पुनर्विलोकन कर लिया गया है ;

(ख) उद्योग को सुचारु रूप से चलाने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ;

(ग) क्या सरकार का ध्यान वाणिज्य मंडल/संघ और श्री टाटा द्वारा दिये गये वक्तव्य की ओर दिलाया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो उनमें उठायी गयी बातों की ओर क्या विचार किया गया है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) से (घ). सभा पटल पर एक विवरण रख दिया गया है । [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ६०**]

औद्योगिक कर्मचारियों के आवास की समस्या

***२०७. श्री भक्त दर्शन :** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री २९ नवम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या ५९२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि औद्योगिक कर्मचारियों की आवास सम्बन्धी समस्या के विस्तार का पता लगाने के लिये राज्य सरकारों द्वारा जो विशेष सर्वेक्षण किये जा रहे थे, उस सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : आंध्र प्रदेश, बम्बई, केरल, राजस्थान और दिल्ली में सर्वे पूरी हो गई है । आसाम, बिहार, उड़ीसा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल और त्रिपुरा में सर्वे जारी है । । मद्रास और हिमाचल प्रदेश में जरूरी कार्रवाई की जा रही है ।

बाकी राज्यों को सर्वे जल्दी शुरू करने के लिये लिखा गया है ।

रबड़ बोर्ड

†*२०८. {**श्री वासुदेवन् नायर :**
श्री नागी रेड्डी :
श्री तंगामणि :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री १९ दिसम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १२१२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रबड़ बोर्ड में श्रमजीवियों के प्रतिनिधियों को किस आधार पर मनोनीत किया जाता है ; और

(ख) पहली अवधि में श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करने वालों के क्या नाम हैं ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**वाणज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) श्रमिक प्रतिनिधियों को केन्द्रीय व्यापार संघ संगठनों की रबड़ उद्योग में सत्यापित सदस्यता के आधार पर मनोनीत किया गया था ।

(ख) सर्व श्री सी० ई० भारथन्, बी० के० नायर, के० करुणाकरन् और श्रीमती रोसम्मा पुन्नूस ।

जल-सम्भरण योजना

†*२०६. **श्री मोहम्मद इलियास** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिमी बंगाल सरकार और श्रम और रोजगार मंत्रालय ने मार्च, १६५८ में मैथोन से रानीगंज कोयला क्षेत्र को जल-संभरण की एक योजना तैयार की थी ; और

(ख) यदि हां, तो योजना को क्रियान्वित करने के लिये क्या पग उठाये गये हैं ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)**: (क) और (ख) पश्चिमी बंगाल सरकार ने मार्च, १६५७ में एक योजना का प्रस्ताव किया था और इसके सम्बन्धित विभिन्न विभागों के साथ परामर्श करके जांच की जा रही है ।

भारत और मंगोलिया के बीच व्यापार

*२१०. **श्री रघुनाथ सिंह** :
श्री राजेन्द्र सिंह :
श्री विभूति मिश्र :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जनवरी, १६५६ में भारत और मंगोलिया के बीच एक व्यापार करार हुआ था ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) क्या उस करार के अन्तर्गत मंगोलिया को कुछ पटसन भी भेजा जायेगा ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते ।

नारियल जटा और नारियल जटा उत्पोदा के लिये विदेशी बाजार

†*२११. **श्री कोडियान** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नारियल जटा और नारियल जटा उत्पादों की विदेशों में बिक्री बढ़ाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ;

(ख) क्या इन्हीं कार्यवाहियों के कारण नारियल जटा और नारियल जटा उत्पादों के निर्यात में वृद्धि हुई है ; और

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(ग) यदि हां, तो कितनी वृद्धि हुई है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ६१]**

(ख) और (ग) यद्यपि निर्यात बढ़ा नहीं है परन्तु अति स्पर्धा और आयात करने वाले देशों द्वारा लगाये गये अधिक आयात शुल्क के कारण नारियल जटा और नारियल जटा उत्पादों के निर्यात को संधृत किया जा रहा है।

कर्मचारी राज्य बीमा योजना

†*२१२. { **श्री अ० क० गोपालन :**
श्री वारियर : }

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी राज्य बीमा निगम कर्मचारी विनियमों को अन्तिम रूप दे दिया गया है ;

(ख) क्या कर्मचारियों के वेतन-स्तर में कोई परिवर्तन किये गये थे ; और

(ग) यदि हां, तो परिवर्तन कितने बार किये गये थे ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) अभी नहीं ; परन्तु इस बीच निगम विभिन्न मामलों में केन्द्रीय सरकार के नियमों और विनियमों का अनुसरण कर रहा है।

(ख) जी, हां।

(ग) दो बार।

दिल्ली में ओखला में क्वार्टरों का निर्माण

*२१३. **श्री नवल प्रभाकर** : क्या **निर्माण, आवास और सम्भरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में ओखला की औद्योगिक बस्ती के कर्मचारियों के लिये क्वार्टर बनान की योजना मंजूर की जा चुकी है ; और

(ख) यदि हां, तो कितने क्वार्टर बनाये जाने का विचार है ?

निर्माण, आवास और सम्भरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा): (क) और (ख). दिल्ली प्रशासन द्वारा लगभग ४०० क्वार्टर बनाने की एक प्रयोजना बनाई जा रही है।

कम मूल्य वाली मोटर गाड़ियां

†*२१४. **श्री पांगरकर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कम मूल्य वाली मोटर गाड़ियां बनाने की एक योजना सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ६२**]

रूस को जूतों का निर्यात

†*२१५. **श्री दामानी** :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूस द्वारा दिये गये आर्डर पर बनाये गये जूतों में से फालतू बचे जूते बेचे जा चुके हैं; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) जी, नहीं। इस बात की सम्भावना है कि रूसी लोग फालतू जूतों को भी खरीद लें और इस बारे में बातचीत हो रही है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

राजस्थान का औद्योगिक विकास

†*२१६. **श्री मुरारका** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रथम तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में पृथक-पृथक रूप से केन्द्रीय सरकार द्वारा राजस्थान के औद्योगिक विकास पर कुल कितना धन खर्च किया गया;

(ख) द्वितीय पंचवर्षीय योजना की बाकी अवधि में कितना धन खर्च किया जायेगा; और

(ग) बाकी अवधि में कौन-कौन सी मुख्य परियोजनाओं पर सरकार द्वारा काम आरम्भ किये जाने की संभावना है?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (ग). सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें उपलब्ध जानकारी दी हुई है। [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ६३**]

त्रिपुरा में विस्थापित व्यक्तियों को कृषियोग्य भूमि का आवंटन

†*२१७. **श्री बांगशी ठाकुर** : क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा में बहुत से विस्थापित व्यक्तियों को अभी तक कृषि योग्य भूमि का आवंटन नहीं किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**पुनर्वास उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर)** : (क) और (ख). त्रिपुरा में विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिये भूमि के अर्जन की सब योजनाओं को निबटा दिया गया है। इस समय इस मंत्रालय में कोई योजना लम्बित नहीं है। यदि किसी विशेष योजना के बारे में जानकारी चाहिये तो उसे एकत्र करने के प्रयत्न किये जायेंगे।

---

†**मूल अंग्रेजी में**

शंघाई में भारतीय

†*२१८. { श्री डी० चं० शर्मा :
श्री अजित सिंह सरहदी :
श्री अनिरुद्ध सिंह :

क्या **प्रधान मन्त्री** ८ दसम्बर, १६५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या १०६४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन भारतीय राष्ट्रजनों को देय धनराशि को वसूल करने के बारे में कोई प्रगति हुई है जो शंघाई नगर पुलिस और चीन के अन्य प्राधिकारियों में नियोजित थे; और

(ख) यदि हां, तो क्या प्रगति हुई है ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां) :** (क) और (ख). जी, नहीं। ८ दिसम्बर, १६५८ को दिये गये मेरे उत्तर के बाद कोई अग्रेतर प्रगति नहीं हुई है, यद्यपि पीकिंग स्थित हमारा राजदूतावास अभी भी मामले में पैरवी कर रहा है।

औद्योगिक सम्बन्ध

†*२१६. **श्रीमती इला पालचौधरी :** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार ने लीड्स विश्वविद्यालय के औद्योगिक सम्बन्धों के प्रोफेसर, प्रोफेसर जे० हेनरी रिचर्डसन को, इस देश में औद्योगिक प्रबन्धकों और कर्मचारियों के मध्य संयुक्त परामर्श और औद्योगिक सम्बन्धों के प्रश्न के सम्बन्ध में जांच और अध्ययन के लिये आमंत्रित किया है;

(ख) क्या श्री रिचर्डसन ने यह आमंत्रण स्वीकार कर लिया है; और

(ग) यदि हां, तो उनके भारत में कब आने और काम आरम्भ करने की सम्भावना है?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) :** (क) और (ख). जी, हां।

(ग) वह १६ नवम्बर, १६५८ को भारत आ चुके हैं और उन्होंने अपना काम भी आरम्भ कर दिया है।

राजसहायता प्राप्त औद्योगिक आवास योजना

†*२२०. **श्री तंगामणि :** क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अक्तूबर, १६५८ में हुए आवास मंत्रियों के सम्मेलन ने राजसहायता-प्राप्त औद्योगिक आवास योजना[1] के अन्तर्गत नियोजकों के निरुत्साहजनक रुख पर निराशा व्यक्त की थी; और

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] Subsidised Industrial Housing Scheme.

(ख) क्या सरकार का नियोजकों के इस रुख के कारणों का पता लगाने के लिये जांच करने और नियोजकों के लिये कर्मचारियों के लिये मकान बनवाना अनिवार्य घोषित करने का विचार है?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी) :** (क) जी, हां। तथापि नियोजकों का योजना के प्रति निरुत्साहजनक रुख पर खेद प्रकट करते हुए आवास मंत्रियों के सम्मेलन में आशा व्यक्त की गयी कि नियोजकों को हाल ही में घोषित उदार वित्तीय और अन्य शर्तों का लाभ उठा कर, अपने कर्मचारियों के लिये अधिक मकान बनाने को कहा जायेगा। सम्मेलन में यह भी सिफारिश की गयी कि इससे प्राप्त परिणामों को एक वर्ष तक देखा जाये और आवास मंत्रियों के अगले वार्षिक सम्मेलन में इसको अनिवार्य करने के प्रश्न को पुनरीक्षण के लिये रखा जाये।

(ख) उल्लिखित भाग (क) के उत्तर को देखते हुए, इस प्रक्रम पर नहीं।

चेचेमा स्मारक न्यास[1]

†*२२१. **श्री पाणिग्रही :**
श्री वाजपेयी :
श्री परूलकर :
श्री उ० च० पटनायक :
श्री अरबिन्द घोषाल :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री विभूति मिश्र :
श्री स० म० बनर्जी :
श्री तंगामणि :
श्री सुबिमन घोष :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री को विदित है कि एक गैर सरकारी लि० उपक्रम ने चेचेमा स्मारक न्यास को ७५,००० रू० दिये हैं;

(ख) क्या प्रधान मंत्री के सचिवालय का कोई विशेष असिस्टेन्ट इस न्यास को सहयोग दे रहा है;

(ग) क्या प्रधान मंत्री ने इस न्यास के लिए दान राशियों की मात्रा की कोई जांच की है; और

(घ) यदि हां, तो क्या परिणाम रहा?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** (क) जहां तक प्रधान मंत्री को पता है न्यास को ऐसी कोई राशि किसी गैर सरकारी उपक्रम ने नहीं दी। राजकुमारी अमृतकौर का एक प्रकाशित पत्र में उल्लेख है कि उनके एक मित्र ने प्रशास्पद

†मूल अंग्रेज में

[1] Chechema Memorial Trust.

मकान-सम्पत्ति न्यास को दान दी थी। मकान-सम्पत्ति के हस्तान्तरण में ७५,००० रु० व्यय हुए। इसका भुगतान न्यास की निधि से किया गया।

(ख) हां, तीन न्यासियों में श्री मथाई भी थे।

(ग) तथा (घ). प्रधान मंत्री को बताया गया है कि मकान-सम्पत्ति की प्राप्ति पर व्यय हुई धनराशि सहित न्यास का न्यास में कुल १,०७३,६८३ रु० ३१ नये पैसे है। न्यास की स्थापना के पूर्व राजकुमारी अमृतकौर के एक मित्र ने इस राशि में से छः लाख रु० से कुछ अधिक धन उनकी स्वेच्छा पर कर दिया था। बाद मे बाकी धन न्यास को दे दिया गया। प्रधान मंत्री ने न्यास के विलेख (पत्र) की प्रति देखी है। उन्हें न्यास में व्यक्तिगत दानों का पता नहीं है।

बाइसिकलों का निर्यात

†*२२२. { **श्री सुब्बया अम्बलम् :**
श्री अजित सिंह सरहदी :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बाइसिकलों का निर्यात बढ़ाने के लिए अखिल भारतीय साइकिल निर्माता संघ ने एक योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो योजना की तफसील क्या है; और

(ग) क्या वे बाइसिकलों के निर्यात के लिए तुलनात्मक तथा सस्ते मूल्य निर्धारित करने से सहमत हो गये हैं ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) नहीं, श्रीमान। भारतीय साइकिल-निर्माता संघ (अखिल भारतीय साइकिल निर्माता संघ नहीं) बाइसिकलों के निर्यात में वृद्धि करने के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है।

(ख) तथा (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

छोटे पैमाने के उद्योग

†*२२३. **श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लघु उद्योग सेवा संस्था, उत्तरी क्षेत्र, के लिए स्थानीय रूप से खरीदी गई तथा आयात की गई मशीनों व सामान का कितना उपयोग किया गया है; और

(ख) कौन-कौन से केन्द्र खोले गये हैं तथा कहां-कहां ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) तथा (ख) एक विवरण पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ६४]**

†मूल अंग्रेजी में

गंधक का उत्पादन

†*२२४. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि बिहार के जिला शाहाबाद में अमझोर में सोनामक्खी के निक्षेपों से गंधक के उत्पादन के लिए सरकार का विचार परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने के लिए नार्वे की टीम बुलाने का है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : हम अमझौर की सोना मक्खी का नमूना नार्वे भेजने का प्रबन्ध कर रहे हैं। सरकार का विचार इससे गन्धक और गन्धक का तेजाब बनाने के लिए इसकी उपयुक्तता का नार्वे की फर्म द्वारा विश्लेषण व परीक्षण होने के उपरान्त अधिक व्यापक अध्ययन के लिए नार्वे के विशेषज्ञ बुलाने का है।

ग्वाडर में भारतीय

*२२५. { **श्री सरजू पांडे** :
श्री वी० चं० शर्मा :

क्या **प्रधान मंत्री** २५ नवम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या २१६ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ग्वाडर के सम्बन्ध में कराची स्थित भारतीय उच्चायुक्त के प्रथम सचिव और मस्कट में नियुक्त भारतीय वाणिज्य दूत के प्रतिवेदन पर इस बीच विचार कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां) : (क) जी हां।

(ख) ग्वाडर के भारतीय राष्ट्रिकों के लिए कुछ सुविधाएं दिलाने के विषय में पाकिस्तान सरकार के साथ लिखा-पढ़ी की गई है।

जूट की खरीद

†*२२६. { **श्री त्रिदिव कुमार चौधरी** :
श्री राजेन्द्र सिंह :
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्य व्यापार निगम ने मूल्य सहायता के रूप में बिहार, उड़ीसा, आसाम और पश्चिमी बंगाल के चार उत्तरी जिलों में जूट खरीदने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो राज्य व्यापार निगम ने किस आधार पर और किस सिफारिश पर यह निर्णाय किया है;

(ग) यह खरीद किस मूल्य पर की जायेगी; और

(घ) क्या राज्य व्यापार निगम यह खरीद अपनी एजेंसियों द्वारा करेगा अथवा यह काम अन्य संस्थाओं या व्यक्तियों को, जो उसके एजेन्ट का काम करेंगे, सौंपेगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) हां, श्रीमान्।

(ख) भारत सरकार।

(ग) यह जानकारी बताना निगम या विक्रेताओं के व्यापार हित में नहीं है।

(घ) जूट-उत्पादकों की सहकारी समितियों द्वारा।

तिब्बती प्राधिकारियों द्वारा लगाये गये व्यापार प्रतिबन्ध

†*२२८. **श्री जं० ब० सिं० बिष्ट** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तिब्बती प्राधिकारियों ने भारत को नमक, ऊन और सोहागा के निर्यात पर कोई प्रतिबन्ध लगाये हैं;

(ख) यदि हां तो भोटियाओं की जिनका जीवनयापन इस पर निर्भर है, अर्थ व्यवस्था पर, क्या प्रभाव पड़ा है; और

(ग) क्या भारत तिब्बत व्यापार को नियमित करने के लिए सरकार का विचार कोई व्यापार करार करने का है?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)**: (क) व्यापारियों से शिकायतें प्राप्त हुई है परन्तु सरकार को किसी औपचारिक प्रतिबन्ध का पता नहीं है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) भारत–तिब्बत व्यापार भारत और चीन के बीच १४ अक्टूबर १९५४ को हुए करार के अनुसार होता है। व्यापार करार की अवधि ३१ दिसम्बर १९५८ को समाप्त हो गई, तथा इसे बढ़ाने की बात चीत हो रही है। इसके साथ ही चीन से एक नये व्यापार करार की बात–चीत हो रही है।

हरिजनों सम्बन्धी चल-चित्र

†*२२९. **श्री सोनावाने** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री २९ नवम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ३६४ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अस्पृश्यता-निवारण संबंधी चलचित्र का बनना कब आरम्भ होगा तथा वह कब पूरा होगा; और

(ख) चलचित्र-निर्माण की कुल लागत क्या होगी?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)**:(क) एक करार का प्रारूप तैयार हो गया है और शीघ्र ही वह निश्चित हो जायेगा। करार के होते ही निर्माण आरम्भ होगा।

(ख) चलचित्र निर्माण पर २ लाख रु० व्यय होने का अनुमान है।

---

†मूल अंग्रेजी में

कलकत्ता निगम

†*२३०. **श्री हाल्दर** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ३१ दिसम्बर १६५८ को केन्द्रीय उपक्रमों के कार्य के संबंध में कलकत्ता निगम का कितना रुपया केन्द्रीय सरकार को देना था; और

(ख) क्या बाकी धन के भुगतान के लिए कलकत्ता निगम से कोई प्रार्थना प्राप्त हुई है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : (क) जानकारी एकत्रित की जा रही है तथा पटल पर रख दी जायेगी।

(ख) हां।

उर्वरक निर्माता

†*२३१. { **श्री कमल सिंह :**
काजी मतीन :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विदित है कि कुछ पश्चिमी देशों में उर्वरक का उत्पादन छोटे पैमाने तथा मध्यम पैमाने के उद्योग के रूप में मितव्ययता से होता है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उर्वरकों के निर्माण के लिए छोटे एकक खोलने का है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)**: (क) तथा (ख). हां, श्रीमान्। हमारे देश में भी फास्फेट, पोटेशियम और हड्डियों के उर्वरक छोटे और मध्यम पैमाने पर बनते हैं। नाइट्रोजनयुक्त उर्वरक के बारे में यह बात विचाराधीन है कि क्या छोटे पैमाने का संयंत्र मितव्ययी रहेगा या नहीं। कुछ विदेशों में नाइट्रोजनयुक्त उर्वरक के भी छोटे व मध्यम पैमाने के संयंत्र हैं। हमें कुछ योरोपीय देशों से ऐसी योजनायें प्राप्त होने की आशा है। हम चीन के प्रयोग का भी अध्ययन कर रहे हैं। इन अध्ययनों की समाप्ति पर सरकार नाइट्रोजनयुक्त उर्वरको के छोटे और मध्यम पैमाने के संयंत्रों को प्रोत्साहन देगी।

व्यास बेसिन में बन उद्योग

†*२३२. { **श्री अरविन्द घोषाल :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ब्यास बेसिन में कोई वन उद्योग स्थापित करने का निश्चय किया गया है; और

(ख) यदि हां तो ये उद्योग क्या क्या हैं तथा कब स्थापित होंगे?

---

†मूल अंग्रेजी में

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह): (क) तथा (ख). ब्यास बेसिन में वन उद्योगों की स्थापना का प्रश्न विचाराधीन है।

खादी तथा हथकरघा का कपड़ा

†*२३३. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खादी कपड़ा तथा हथकरघा के कपड़े के लिए १९५७ तथा १९५८ में विभिन्न राज्यों में अब तक कितनी केन्द्रीय अवहार दिया गया है;

(ख) अवहार से खादी तथा हथकरघे के कपड़े के उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई है; और

(ग) क्या सरकार अवहार देना जारी रखेगी ?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह): (क) एक विवरण पटल पर रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ६५]

(ख) उत्पादन प्रतिवर्ष निरन्तर बढ़ रही है, जसा कि पटल पर रखे गये विवरण (विवरण संख्या २) से प्रकट है। केवल अवहार के कारण वास्तविक वृद्धि कितनी हुई, निर्धारित की जा सकती है।

(ग) हां, श्रीमान्; वर्तमान काल के लिए।

सोडा एश

†*२३४. **श्री ओझा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उचित मूल्य पर सोडा एश प्राप्त करने में देश के उद्योगों तथा अन्य उपभोक्ताओं को होने वाली कठिनाइयों के बारे में विदित है ;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) क्या सरकार का विचार सोडा एश के वितरण पर नियन्त्रण करने का है ?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह): (क) हां, श्रीमान्।

(ख) अधिक मात्रा में सोडा एश आयात करने एवं विद्यमान एककों के विस्तार की अधिक क्षमता तथा नये एककों की स्थापना के लाइसेन्स देकर देश में उत्पादन बढ़ाने की कार्यवाही की गई है।

(ग) नहीं, श्रीमान्।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्रमजीवी पत्रकार वेतन समिति

†*२३५. श्री राजेन्द्र सिंह :
श्री केशव :
श्री राम कृष्ण :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री स० म० बनर्जी :
श्री तंगामणि :
श्री अ० क० गोपालन :
श्री वाजपेयी :
श्री साधन गुप्त :
श्री भक्त दर्शन :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री नागी रेड्डी :
श्री वासुदेवन् नायर :
श्री हाल्दर :
श्री श्रीनारायण दास :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री १७ नवम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ५ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या श्रमजीवी पत्रकारों के वेतन निर्धारित करने के संबंध में केन्द्रीय सरकार से सिफारिश करने के लिए नियुक्त की गई विशेष समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(ख) यदि सरकार ने उस पर कोई निर्णय कर लिया है; और

(ग) यदि हां, तो निर्णय की मुख्य बातें क्या हैं?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) नहीं।

(ख) तथा (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

देश में प्रविधिक व्यक्तियों की कमी

†*२३६. श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री रा० च० माझी :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश में प्रविधिक व्यक्तियों की कमी से उत्पन्न होने वाली स्थिति पर विचार करन के लिये नई दिल्ली में सितम्बर १९५८ में राज्य सरकारों व केन्द्रीय सरकार के प्रतिनिधियों की एक बैठक हुई थी;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में प्रविधिक व्यक्तियों की कमी को पूरा करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ;

(ग) द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लिए ऐसे कुल कितने व्यक्तियों की कमी है; और

(घ) किन राज्यों में सर्वाधिक कमी है?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) नहीं। सितम्बर १९५८ की बैठक उन बैठकों में से एक थी जो समय समय पर दस्तकारों के प्रशिक्षण के कार्यक्रम संबंधी मामलों पर विचार करने के लिए होती है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) तथा (घ). वास्तव में कितने प्रविधिक व्यक्तियों की कमी है, निश्चित रूप से मालूम नहीं हैं।

गीला अभ्रक पीसने का संयंत्र

†*२३७. { **श्री विद्या चरण शुक्ल :**
श्री राम कृष्ण :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान सरकार से गीला अभ्रक पीसने का एक संयंत्र स्थापित करने की योजना प्राप्त हुई है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) हां, श्रीमान्।

(ख) भारत सरकार की स्वीकृति राजस्थान सरकार को भेज दी गई है।

औद्योगिक मजदूरों के लिये सामाजिक सुरक्षा योजना

†*२३८. { **श्री राम कृष्ण :**
श्री राजेन्द्र सिंह :
श्री केशव :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री त० ब० विट्ठल राव :
श्री तंगामणि :
श्री सरजू पांडे :
श्री दी० चं० शर्मा :
काजी मतीन :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री ८ दिसम्बर १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ६५९ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को औद्योगिक मजदूरों के लिये न्यायिक सामाजिक सुरक्षा योजना बनाने के लिए नियुक्त किये गये अध्ययन दल का प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो मुख्य सिफारिशें क्या हैं; और

(ग) क्या सरकार ने उन पर विचार किया है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) हां।

(ख) प्रतिवेदन की प्रतियां संसदीय पुस्तकालय भेज दी गई हैं।

(ग) प्रतिवेदन विचाराधीन है।

मैसर्स धनराज मिल्स (प्रा०) लिमिटेड

†*२३९. **श्री रामेश्वर टांटिया** :
श्री स० म० बनर्जी :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मैंसर्स धनराज मिल्स प्रा० लि०, बम्बई के काम की जांच की है;

(ख) यदि हां, तो इस जांच का क्या कारण था; और

(ग) क्या जांच पूरी हो गई है, यदि हाँ तो इससे किन बातों का पता लगा?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) हां, श्रीमान।

(ख) मिल ने २३–६–१९५८ को अपने कताई तथा बुनाई विभाग बंद कर दिये थे। सूती वस्त्र नियंत्रण आदेश के खंड ३२(१) के अधीन १७ जुलाई १९५८ को एक आदेश जारी किया गया तथा उससे प्रबन्ध को कोई भी मशीन उखाड़ने से रोका गया। मशीन की टेक्निकल स्थिति निर्धारित करने के लिए अगस्त, १९५८ में एक टेक्निकल सर्वेक्षण किया गया। इस सर्वेक्षण के परिणामों पर विचार करने के बाद सरकार ने निर्णय किया कि उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम की धारा १५ के अन्तर्गत जांच पड़ताल करना आवश्यक है। तदनुसार, २७–१२–१९५८ को एक समिति नियुक्त की गई।

(ग) अभी जांच पड़ताल हो रही है।

नेपा अखबारी कागज कारखाना

†*२४०. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर** :
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी अखवारों को अपनी जरूरत का कागज नेपा अखबारी कारखाने से खरीदना पड़ता है;

(ख) उनकी कुल जरूरत का कितना भाग नेपा से खरीदा जाता है;

(ग) नेपा कागज विभिन्न देशों से आयात किये जाने वाले कागज की तुलना में किस्म और मूल्य में कैसा है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) क्या नेपा अखबारी कागज का मूल्य कम करने के लिए कोई कार्यवाही की जा रही है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (घ). एक विवरण पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) से (घ). नेपा अखबारी कागज खरीदना अखबारों के लिए अनिवार्य नहीं है। नेपा अखबारी कागज अखबारों को प्रार्थना करने पर तथा भारत में अखबार रजिस्ट्रार की अनुमति पर भेजा जाता है। यह अनुमति अखबारी कागज के आयात में की गई १५ प्रतिशत कटौती को जिसके लिए १९५७ में अखबार सहमत हुए थे, यथा सम्भव पूरा करने के लिए ही दी जाती है।

नेपा अखबारी कागज की किस्म और मूल्य आजकल आयात होने वाले अखबारी कागज की अपेक्षा अच्छी नहीं है। धोने की प्रक्रिया में उत्तम प्रविधि के प्रयोग से किस्म में सुधार करने एवं पर्याप्त शक्ति की व्यवस्था करके दैनिक उत्पादन बढ़ाकर १०० टन करके मूल्य कम करने की कार्यवाही की जा रही है।

जूट के मूल्य

†*२४१. **श्री त्रिदिब कुमार चौधरी** :
श्री रामेश्वर टांटिया :
डा० राम सुभग सिंह :
श्री विभूति मिश्र :
श्री सुबिमन घोष :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने बिहार, उड़ीसा और आसाम की सरकारों को अपने राज्यों में प्रचलित मूल्यों पर बाजार से जूट खरीदने का प्राधिकार दिया है;

(ख) क्या सरकार उक्त प्राधिकार के अनुसार सरकारी खरीद आरम्भ होने पर इन तीन राज्यों में जूट की मुख्य किस्मों के मूल्य दर्शाने वाला एक विवरण पटल पर रखने की एवं यह बताने की कृपा करेंगी कि क्या उन्होंने इन मूल्यों को न्यूनतम तथा उत्पादक के लिए लाभकारी समझने का निश्चय किया है;

(ग) क्या यह सच है कि सरकार ने इन राज्यों को बताया है कि वह खुले बाजार से सारा जूट खरीदने में उन्हें हुई सारी हानि पूरी करेगी; और

(घ) इस प्रबन्ध से पश्चिमी बंगाल को क्यों अलग रखा गया है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) नहीं, श्रीमान। राज्य व्यापार निगम आसाम, बिहार, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल, उत्तर प्रदेश और त्रिपुरा में सहकारी समितियों द्वारा कच्चा जूट खरीद रहा है।

(ख) एक विवरण पटल पर रख दिया गया है। आशा है कि राज्य व्यापार निगम और मिलों की खरीद से ये मूल्य दृढ़ हो जायेंगे।

†मूल अंग्रेजी में

(ग) इन खरीद के सौदों में राज्य सरकारों को कोई हानि नहीं होगी ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

इन्सुलीन कारखाना

†*२४४. **श्री अजित सिंह सरहदी : क्या वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी सहयोग से एक इन्सुलीन कारखाना खोलने का प्रस्ताव निश्चित हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो कारखाना खोलने में कितनी प्रगति हुई है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) तथा (ख). इन्सुलीन का निर्माण उस इकाई में सम्मिलित मदों में से एक है जो रूसी सहयोग से ग्रंथि संबंधी उत्पादों के निर्माण के लिए स्थापित की जायेगी । ये प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं ।

प्राग औज़ार निगम

†*२४५. **श्री नागी रेड्डी : श्री दे० वें० राव : श्री हाल्दर :**

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने प्राग औज़ार निगम का प्रबन्ध अपने हाथ में ले लिया है ;

(ख) यदि हां, तो किस शर्त पर ;

(ग) क्या प्राग औज़ार निगम के विस्तार तथा विकास की कोई योजना निश्चित हो गई है ; और

(घ) यदि हां, तो उसकी विस्तृत बातें क्या हैं तथा इस में कितना व्यय होने का अनुमान है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) से (घ). एक विवरण पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) तथा (ख). प्राग औज़ार निगम का वर्तमान पूंजी-ढांचा निम्न है :

आन्ध्र सरकार	४७.५७ लाख
सार्वजनिक अंशधारी	१८.३५ लाख

इस निगम में केन्द्रीय सरकार की ओर से ७० लाख रू० लगाने का विचार है । वर्तमान अंशधारी इन प्रस्तावों से सहमत हैं । भारत सरकार द्वारा धन लगाने की विधि संबंधी बातें तैयार की जा रही हैं तथा अभी अन्तिम निर्णय नहीं हुआ है । सरकार के यह धन लगाने पर इस निगम में सरकार के सर्वाधिक अंश होंगे ।

(ग) तथा (घ). प्राग औज़ार निगम के विस्तार तथा विकास की अनेकों योजनायें विचाराधीन हैं । परन्तु, अभी कोई अन्तिम निर्णय नहीं हुआ है । फिर भी, इसके कार्य में बहुत से सुधार हो चुके हैं । जिन से उत्पादन में काफी वृद्धि हुई है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

विस्थापित व्यक्तियों को नकद प्रतिकर के भुगतान का बन्द किया जाना

†*२४६. **श्री वाजपेयी :**
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विस्थापित व्यक्तियों को दावों के लिए नकद प्रतिकर न देने का निर्णय कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो यह निश्चय करने के कारण क्या है ; और

(ग) इस से कितने दावे दारों पर प्रभाव पड़ेगा ?

†**पुनर्वास उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर) :** (क) से (ग). एक विवरण पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

प्रतिकर योजना का मुख्य ध्येय सम्पतियों के हस्तान्तरण द्वारा प्रतिकर का भुगतान करना है । दावेदारों की कुछ श्रेणियों की बिगड़ने वाली स्थिति की दृष्टि से लगभग १९ श्रेणियों के अधिकतम ८००० रु० का भुगतान करने का निर्णय किया गया था। १९५३ से इन श्रेणियों से प्रार्थना पत्र मांगे गये थे तथा उनकी प्राप्ति की अन्तिम तारीख समय समय पर बढ़ाई गई थी । अन्त में ३१ जनवरी १९५७ से नये प्रार्थना पत्र स्वीकार करना रोक दिया गया क्योंकि दावेदारों को प्राथमिकता के लिए प्रार्थना पत्र भेजने के लिए पहले ही प्रयाप्त समय दिया जा चुका था। नकद भुगतान की प्राथमिकता के लिए लगभग ६७,००० दावेदारों को शामिल किया गया। यह संख्या लगभग १.६६ लाख छोटे दावे दारों के अतिरिक्त की थी जिन के दावे १०,००० रु० या कम के लिए सुनिश्चित किये गये थे। और जिन्हें अब भी नकद भुगतान किया जा रहा है। क्षय रोग, कैंसर, दिमागी रोग के व्यक्तियों और अपंग व्यक्तियों को भी नकद रूपया दिया जा रहा है। ३१ जनवरी, १९५९ तक ५१.५ करोड़ रुपया दिया जा चुका है। इस निश्चय से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों की संख्या बताना संभव नहीं है।

बालोपयोगी चलचित्र

†*२४७. **श्री स० म० बनर्जी :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बच्चों के लिये अच्छे चलचित्र बनाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ; और

(ख) क्या योजना बनाने के लिये समिति बनने वाली है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर):** (क) और (ख). सरकार ने बच्चों के लिये चल चित्र बनाने का काम एक पंजीबद्ध बाल-चित्र समिति नामक सोसाइटी को सौंप दिया है। इसकी स्थापना मई, १९५५ में हुई थी। इस सोसाइटी को सरकार से बाल चल चित्र बनाने के लिये वार्षिक अनुदान मिलता है । इस में अधिकांशतः ऐसे पुरुष और महिलायें हैं जो इस बारे में दिलचस्पी रखती हैं और उन में से कुछ तो विशेष रूप से बच्चों की शिक्षा, मनोविज्ञान और चलचित्र बनाने से सम्बन्धित हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

सोसाइटी के कार्य का उल्लेख मंत्रालय के पिछले वर्ष के प्रतिवेदन में विस्तार में दिया गया है तथा इस वर्ष के प्रतिवेदन में भी वह दिया जायेगा। सोसाइटी वार्षिक प्रतिवेदन भी प्रकाशित करती है।

सोसाइटी के काम के अलावा सरकार सर्वोत्तम बाल चलचित्र पर प्रधान मंत्री के स्वर्ण पदक के साथ ही २५,००० रुपये का नकद पुरस्कार और द्वितीय आने वाले चलचित्र पर १२,५०० रुपये पुरस्कार देती है।

फिल्म्स डिवीजन का विचार बच्चों के लिये कार्टून वाले चित्र भी तैयार करने का है, जिसने बच्चों के लिये कुछ प्रलेखीय चित्र भी तैयार किये हैं।

कृषि मशीनों का निर्माण

†*२४८. **श्री राजेन्द्र सिंह :**
श्रीमती इला पालचौधरी :
श्री वारियर :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक संयुक्त भारत-जापानी उपक्रम कृषि संबंधी मशीनरी बनाने का विचार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस उपक्रम की क्या मुख्य-मुख्य बातें हैं; और

(ग) यह परियोजना कहां पर स्थित होगी, कुल कितनी पूंजी लगेगी और उस में से भारत का कितना अंश होगा ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) सरकार को ऐसे किसी उपक्रम का पता नहीं है।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

मोटर उद्योग

†*२४९. **श्री राम कृष्ण :**
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री १ सितम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या १२२३ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना में मोटर उद्योग के लिये निर्धारित लक्ष्य में से दिसम्बर, १९५८ तक कितने लक्ष्य की प्राप्ति हो गई है; और

(ख) मोटर उद्योग से आत्म-निर्भरता प्राप्त करने के लिये और आगे क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ६६**]

दिल्ली में अधोभूमि जल की सतह सम्बन्धी 'तदर्थ' समिति

†*२५०. **श्री रामेश्वर टांटिया :**
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री मोहम्मद इलियास :
श्री राम कृष्ण :
श्री नवल प्रभाकर :

क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में अधोभूमि जल की सतह सम्बन्धी 'तदर्थ' समिति ने अपना अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उनकी सिफारिशें क्या-क्या हैं; और

(ग) उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)**: (क) अन्तिम प्रतिवेदन के प्रारूप पर समिति की औपचारिक सहमति की प्रतीक्षा की जा रही है । समिति के सभापति के पास से हमें यह जानकारी प्राप्त हुई है कि प्रतिवेदन इस मास प्रस्तुत कर दिया जायेगा ।

(ख) और (ग): प्रश्न उत्पन्न नहीं होते । उसके अन्तरिम प्रतिवेदन में की गई सिफारिशें तथा उन पर की गई कार्यवाही सम्बन्धी जानकारी सभा-पटल पर रखी जाती है । [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ६७**]

जापानी विनियोग

†*२५१. **श्री त्रिदिब कुमार चौधरी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चार सदस्यों वाला जापानी औद्योगिक तथा टेक्निकल सहकारिता मिशन जो इस वर्ष भारत का दौरा करता रहा है उसने सरकार से भारतीय उद्योगों में जापानी विनियोग की संभाव्यताओं पर तथा मध्य और लघु उद्योगों में भारतीय उद्योगपतियों के साथ मिलकर संयुक्त उपक्रम स्थापित करने के बारे में चर्चा की है ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में उस ने सरकार के पास कोई औपचारिक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है ; और

(ग) क्या यह मिशन जापान की सरकार द्वारा सरकारी तौर पर भेजा गया था ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (ग). जी नहीं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

संयुक्त राष्ट्र का मानचित्र

†*२५२. { **श्री विद्या चरण शुक्ल :**
श्री राम कृष्ण :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री विभूति मिश्र :
श्री आसर :
श्री मोहन स्वरूप : }

क्या **प्रधान मंत्री** २५ नवम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या २२६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि संयुक्त राष्ट्र के मानचित्र में काश्मीर की स्थिति का गलत सीमांकन करने के बारे में आगे क्या कार्यवाही की गई है ?

†**वैदेशिक कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां):** सरकार के निदेश पर हमारे न्यूयार्क में संयुक्त राष्ट्र के स्थायी प्रतिनिधि ने संयुक्त राष्ट्र सचिवालय को १७ दिसम्बर, १९५८ को पुनः एक पत्र भेजा है। संयुक्त राष्ट्र का उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुआ है।

पंजाब में गन्दी बस्तियों की सफाई

†*२२९. { **श्री राम कृष्ण :**
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री अजित सिंह सरहदी :
श्री दलजीत सिंह : }

क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में पंजाब के लिये गंदी बस्तियों की सफाई की कितनी योजनायें मंजूर की गई हैं;

(ख) योजनाओं के अधीन कितनी प्रगति की गई है;

(ग) १९५८-५९ में इस प्रयोजन के लिये पंजाब को कितनी राशि आवंटित की गई है और द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में कितनी राशि आवंटित की गई है; और

(घ) उपर्युक्त नियतन में से अलग-अलग अब तक कितनी राशि व्यय की गई है?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क०च० रेड्डी):** (क) और (ख). भारत सरकार को पंजाब से सितम्बर, १९५८ तक कोई भी गन्दी बस्ती की सफाई की परियोजना नहीं प्राप्त हुई थी। पुनरीक्षित प्रक्रिया के अनुसार, जो निर्धारित है, राज्य सरकारें स्वयं एसी परियोजनाओं को मंजूर कर सकती हैं बशर्ते कि वे गन्दी बस्तियों की सफाई के उपबन्धों के अनुरूप हों। पंजाब सरकार ने १९-१-१९५८ तक कोई परियोजना मंजूर नहीं की है।

(ग) १९५८-५९ में पंजाब में २.८० लाख रुपये की राशि (जिसमें ०.७० लाख रुपये राज्य की समान सहायता के अंश के रूप में शामिल हैं) गन्दी बस्तियों की सफाई के लिये स्वीकृत की गई है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत इस योजना के लिये राज्य के लिये कुल २८ लाख रुपये की राशि आवंटित की गई है, जिस में राज्य की समान सहायता के अंश के ७ लाख रुपये शामिल हैं।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(घ) राज्य सरकार को पिछले दो वर्षों में कुछ भी राशि नहीं दी गई है। चालू वर्ष में केन्द्रीय अंश के रूप में आयव्ययक में २.१० लाख रुपये की व्यवस्था कर दी गई है।

पंजाब में खादी सहकारी समितियां

†*२३०. { **श्री राम कृष्ण :**
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में इस समय कितनी खादी सहकारी समितियां किन-किन स्थानों पर कार्य कर रही हैं; और

(ख) १९५८-५९ में इन समितियों को केन्द्रीय सरकार ने अब तक किस प्रकार की सहायता दी है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) :** (क) पंजाब में केवल एक ही खादी सहकारी समिति है जिसका नाम है खादी-ऊन बुनकर सहकारी संघ लिमिटेड, पानीपत, जिला करनाल।

(ख) माननीय सदस्य का ध्यान श्री मं० वें० कृष्णराव के २२ सितम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या २४४० के भाग (ख) के उत्तर की ओर आकृष्ट किया है जिसमें अपेक्षित जानकारी दी हुई है।

सीमेंट के कारखाने

†२३१. **श्री राम कृष्ण :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सीमेन्ट के कारखानों के लिय जो लाइसेन्स दिये गये थे उन में से कितनों ने कार्य आरम्भ कर दिया है और यह कारखाने किन-किन स्थानों पर हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री):** एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है जिसमें यह दिखाया गया है कि—

(१) कौन-कौन से कारखाने स्थापित हो चुके हैं; और

(२) वर्तमान कारखानों के विस्तार की कौन-कौन सी योजनायें पूरी हो चुकी हैं।

[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ६८]

आयात प्रतिबन्ध

†२३२. **श्री राम कृष्ण :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ अक्तूबर, १९५८ के बाद से किन-किन वस्तुओं पर पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से आयात प्रतिबन्ध लगाये गये हैं ; और

(ख) इस से कितनी विदेशी मुद्राओं की बचत हुई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) :** (क) लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिस में उन वस्तुओं के नाम दिये हुए हैं जिन के सम्बन्ध में पुराने आयात कर्त्ताओं के कोटे अक्तूबर, १९५८—मार्च १९५९ में घटा अथवा बन्द कर दिये गये हैं। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ६९]**

(ख) अभी तत्काल ठीक-ठीक यह बताना तो संभव नहीं है कि वास्तव में कितनी बचत हुई है, लेकिन अक्तूबर, १९५८—मार्च १९५९ में पुराने आयात करने वालों के कोटे घटा अथवा बन्द कर दिये जाने के फलस्वरूप विदेशी मुद्राओं की जो बचत होने की संभावना है वह ४ करोड़ रुपयों के लगभग होगी।

जर्मनी को निर्यात

†२३३. **श्री राम कृष्ण :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८ में भारत ने जर्मनी को कुल कितने मल्य का निर्यात किया ; और

(ख) १९५८ में पश्चिम जर्मनी से भारत ने कितने मूल्य का आयात किया ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)**: (क) और (ख). जनवरी-नवम्बर, १९५८ में पश्चिम जर्मनी को भारत के निर्यात, जिन में पुनर्निर्यात भी शामिल हैं, और पश्चिम जर्मनी से किये गये आयात के, जिस के नवीनतम आंकड़े उपलब्ध हैं, मूल्य नीचे दिये जाते हैं :—

	लाख रुपयों में
पुनर्निर्यात सहित निर्यात	१३४४.३
आयात	८२८०.९

विदेशों में भारतीय फिल्मों पर प्रतिबन्ध

†२३४. **श्री पांगरकर :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८ में विदेशों में कितनी और कौन-कौन सी भारतीय फिल्मों पर प्रतिबन्ध लगाया गया है ; और

(ख) ये प्रतिबन्ध किन-किन देशों में लगाये गये हैं ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)**: (क) और (ख). दिल्ली में हमारे पास कोई विश्वसनीय सूचना नहीं है। फिर भी हम ने अपने सभी दूतावासों को पूरी जांच-पड़ताल कर यथाशीघ्र परिणाम हमें बताने के लिये कहा है। ये परिणाम लोक-सभा को उपलब्ध कर दिये जायेंगे।

मक्खन निकले दूध पावडर का आयात

†२३५. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) १९५८-५९ में अब तक राज्य-व्यापार निगम (प्राइवेट) लिमिटेड ने मक्खन निकले दूध पावडर का कितना आयात किया है;

†मूल अंग्रेज़ी में

(ख) इसमें कुल कितनी विदेशी मुद्रा लगी;

(ग) क्या और खेपों का भी आयात किया जा रहा है; और

(घ) राज्यों में इस दूध का वितरण किस अभिकरण की मार्फत किया जाता है ?

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) ६,८०४.५ दशमिक टन ।

(ख) ४,८१,०८५.७१ रुपये (४,७५,१३३.३३ रुपये उपर्युक्त परिमाण के ५० प्रतिशत भाग का ढुलाई-भाड़ा और ५९५२.३८ रुपये बैंक-खर्च)

(ग) जी हां ।

(घ) राज्य सरकार द्वारा नामजद पार्टियां ।

फिल्मों का निर्यात

†२३७. श्री वी० चं० शर्मा : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८ में किन-किन योरोपीय देशों को कितनी-कितनी भारतीय फिल्मों का निर्यात किया गया; और

(ख) १९५७ की तुलना में ये आंकड़े कैसे बैठते हैं ?

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री): (क) और (ख). लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ७०]

आयरलैंड म दूतावास का भवन

†२३८. श्री वी० चं० शर्मा : क्या प्रधान मंत्री १२ सितम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या १९८७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयरलैंड में दूतावास के भवन में फर्नीचर लगाने का काम पूरा हो गया है ; और

(ख) उस पर कुल कितनी राशि व्यय हुई है?

†प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू): (क) दूतावास के भवन में फर्नीचर लगाने का काम अभी पूरा नहीं हुआ है । स्वागत और भोजन कक्षों में अभी फर्नीचर नहीं लगा है ।

(ख) अब तक कुल पौंड २,५०३–८–११ व्यय हुए हैं ।

जस्ते के भाव

†२३९. श्री इ० मधुसूदन राव : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा वितरण पर नियंत्रण कर लिये जाने से पूर्व जस्ते के भाव क्या थे;

(ख) क्या अब उस के भाव में कोई असाधारण वृद्धि हो गयी है; और

(ग) यदि हां, तो क्यों ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) आयात किये हुए जस्ते के भाव और वितरण पर कोई नियंत्रण नहीं है ।

(ख) जी हां ।

(ग) यह आंशिक रूप से इस कारण से है कि अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में भी जस्ते के भाव में इसी प्रकार वृद्धि हो गयी है, और आंशिक रूप से यह कि आयात किये हुए जस्ते के न मिलने के कारण स्थानीय बाजार में अस्थायी रूप से इस धातु की कमी हो गयी है । अनुसूचित उद्योगों को अपनी आवश्यकता भर जस्ता प्राप्त करने में समर्थ बनाने के लिये सरकार ने उन्हें वास्तविक प्रयोक्ता के लाइसेंस देने की कार्यवाही की है । सरकार छोटे पैमाने के उद्योगों के लिये भी पृथक रूप से इस धातु का आयात कर रही है और छोटे पैमाने के उद्योगों के नाम यह सार्वजनिक सूचना निकाल दी गयी है कि वे राज्यों के उद्योग-निदेशकों के पास अपने नाम रजिस्टर करा लें और अपनी अर्जियां भेजें । उन्हें शीघ्र ही इस धातु के कोटे दे दिये जायेंगे । यह आशा की जाती है कि बाजार पर इस कार्यवाही का वांछित प्रभाव पड़ेगा ।

तम्बाकू का निर्यात

†२४१. **श्री अ० क० गोपालन** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५४, १९५५, १९५६ और १९५७ में हमारे देश से कितनी-कितनी वर्जीनिया और देशी तम्बाकू का निर्यात किया गया; और

(ख) यह निर्यात किन-किन देशों को किया गया है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) और (ख). दो विवरण लोक-सभा पटल पर रखे जाते हैं जिनमें १९५४ से १९५६ तक अलग अलग देशों को निर्यात की गयी बिना तैयार की हुई तम्बाकू और १९५७ में निर्यात की गयी विभिन्न तम्बाकू की किस्मों का ब्योरा दिया हुआ है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ७१]** दिसम्बर, १९५६ तक तम्बाकू के निर्यात के आंकड़े विभिन्न किस्मों और ग्रेडों के आधार पर नहीं रखे जाते थे ।

सिगरेट बनाने वाले कारखाने

†२४२ **श्री अ० क० गोपालन** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में सिगरेट बनाने के कितने कारखाने हैं, और उन के नाम क्या हैं;

(ख) इन कारखानों के मालिक कौन हैं; और

(ग) उन की सिगरेट बनाने की क्षमता कितनी है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)**: (क) और (ख). लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ७२]**

(ग) इस विवरण में जिन कारखानों को शामिल किया गया है उन की अधिष्ठापित क्षमता प्रतिवर्ष ३१८७८० लाख सिगरेटें बनाने की है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

हड्डियों के संग्रह और उपयोग सम्बन्धी जांच समिति

†२४३. { श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री ११ दिसम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ८७४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हड्डियों के संग्रह और उपयोग सम्बन्धी जांच समिति के प्रतिवेदन पर विचार कर लिया गया है;

(ख) उस की मुख्य सिफारिशें क्या हैं;

(ग) क्या ऐसी कुछ गैर-सरकारी फर्में हैं जो हड्डियों को पीसकर उन का उपयोग उर्वरक बनाने के लिये करती हैं ; और

(घ) क्या ऐसी कोई सहकारी समितियां हैं जिन्हें इस प्रयोजन के लिये अनुदान अथवा राज-सहायता मिलती है ?

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) यह प्रतिवेदन अब भी विचाराधीन है ।

(ख) विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ७३]**

(ग) जी हां ।

(घ) कुछ पार्टियों को हड्डियों के चूरे का वितरण करने के लिये 'अधिक अन्न उपजाओ' नियमों के अधीन २५ प्रतिशत राज-सहायता दी जाती है ।

दिल्ली में गृह-निर्माण योजनायें

†२४४. **श्री राधा रमण** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार ने दिल्ली की राज-सहायता प्राप्त औद्योगिक गृह-निर्माण, अल्प आय वर्ग गृह-निर्माण, गन्दी बस्तियों के हटाये जाने और ग्राम्य गृह-निर्माण परियोजना के अधीन विभिन्न जो राशियां आवंटित की थीं उस में से दिल्ली प्रशासन ने इस वर्ष के लिये आवंटित किया गया रुपया नहीं लिया है ;

(ख) यदि हां, तो सम्पूर्ण द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि के लिये प्रत्येक वर्ष में आवंटित की गयी राशियों का ब्यौरा क्या है और आवंटित की गयी तथा वास्तव में ली गयी राशियों में कितना अन्तर है; और

(ग) यह अन्तर किन कारणों से है और द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लक्ष्यों को पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी) : (क) दिल्ली प्रशासन ने द्वितीय योजना के पहले दो वर्षों में विभिन्न गृह-निर्माण योजनाओं के लिये किये गये वार्षिक आवंटनों को नहीं लिया था ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) और (ग). अपेक्षित जानकारी का एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबंध संख्या ७४]** दिल्ली प्रशासन का ध्यान विभिन्न गृह-निर्माण योजनाओं के अधीन कार्य की गति तेज करने की आवश्यकता की ओर आकृष्ट किया गया है।

केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों को हटाकर शिमला ले जाना

†२४५. **श्री राम कृष्ण** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री २५ नवम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या ४१५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों को हटाकर शिमला ले जाने के सम्बन्ध में तब से कोई निर्णय हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय हुआ है; और

(ग) किन-किन कार्यालयों को ले जाया जायेगा ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)**: (क) जी नहीं। संबंधित राज्य सरकार ने, जिससे हमने इस सम्बन्ध में बातचीत आरम्भ की है, अभी तक अतिरिक्त स्थान नहीं दिया है।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

सीमेन्ट का उत्पादन

†२४६. **श्री राम कृष्ण** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री २९ नवम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ३४६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि दिसम्बर, १९५८ के अन्त तक कितनी सीमेन्ट का उत्पादन हुआ है और इस अवधि के लिये द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अधीन कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया था ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)**: १९५६ के बाद से सीमेन्ट के उत्पादन और इस उद्योग की अधिष्ठापित क्षमता के आंकड़े नीचे दिये जाते हैं :—

वर्ष	अधिष्ठापित क्षमता	वास्तविक उत्पादन
		(लाख टनों में)
१९५६ .	५७	४९
१९५७ . .	६६	५६
१९५८	७०·५	६०·६

१९६०—६१ में कुल अधिष्ठापित क्षमता १ करोड़ टन हो जाने की आशा है और अनुमान है कि तब वार्षिक उत्पादन ९० लाख टन हो जायेगा।

†मूल अंग्रेजी में

उद्योगों में अनुशासन संहिता

†२४७. { **श्री राम कृष्ण :**
पंडित द्वा० ना० तिवारी :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उद्योगों में अनुशासन संहिता लागू करने के लिये मालिकों और श्रमिकों के केन्द्रीय संघों द्वारा किस किस प्रकार की कार्यवाहियां की जायेंगी ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) :** निम्नलिखित कार्यवाहियां की जायेंगी :—

(१) यूनिट से संहिता के अतिलंघन के सम्बन्ध में जवाब मांगना।

(२) यूनिट को यह नोटिस देना कि वह एक निश्चित अवधि के अन्दर अतिलंघन की बात छोड़ दे।

(३) सम्बन्धित यूनिट को चेतावनी देना और अधिक गम्भीर अतिलंघन करने पर यूनिट की निन्दा करना।

(४) यूनिट पर किसी भी प्रकार का जुर्माना लगाना।

(५) संहिता का बार-बार उल्लंघन होने पर उस यूनिट को सदस्यता से अलग कर देना।

'आजकल' नामक पत्रिका के लेखकों को मानदेय

†२४८. **श्री रामेश्वर टांटिया :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 'आजकल' नामक हिन्दी पत्रिका के लेखकों को दिया जाने वाला मानदेय अब कम कर दिया गया है; और

(ख) क्या ऐसा केवल हिन्दी पत्रिका के लेखकों के साथ ही किया गया है या कि अन्य सरकारी अंग्रेजी में छपने वाली पत्रिकाओं के सम्बन्ध में भी किया गया है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर):** (क) और (ख). आजकल (हिन्दी) में लेख भेजने वालों को दी जाने वाली राशि के दरों में हाल में तो कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, पर हां नवम्बर, १९५७ में ही दरों को कुछ घटा दिया गया था। ये दर 'आजकल' (हिन्दी) और 'मार्च आफ इण्डिया' (अंग्रेजी) के सम्बन्ध में लागू किये गये थे, परन्तु वे ही दर अन्य पत्रिकाओं पर भी लागू होने चाहिये थे। उन्हें लागू करने के लिये आफिस आर्डर को उचित प्रकार से संशोधित किया जा रहा है।

इंगलैण्ड में श्री कैलाश राव का देहान्त

†२४९. **श्री ही० ना० मुकर्जी :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस सम्बन्ध में कोई जांच की गयी है कि १ जनवरी, १९५९ को या उसके आस-पास लन्दन में श्री कैलाश राव का देहान्त किन परिस्थितियों में हुआ था, जिन के सम्बन्ध में यह कहा जाता है कि आंधी के कारण एक होटल की इमारत से कोई भारी चीज गिर कर अकस्मात उन्हें लग गई थी ; और

†मूल अंग्रेजी में

(ख) इस सम्बन्ध में हमारे उच्चायुक्त ने क्या कार्यवाही की है ;

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू):** (क) जी हां । लन्दन स्थित भारतीय उच्चायुक्त से यह ज्ञात हुआ है कि श्री कैलाश राव को ३१ दिसम्बर, १९५८ की रात को कम्बर लैण्ड होटल के बाहिर किसी भारी वस्तु से चोट लगी थी । वह वस्तु, होटल में बड़े दिन की सजावट की गई थी और सजावट की वस्तुओं में से ही कोई चीज गिर कर उन के लग गई थी । उन्हें सेंट मेरी अस्पताल में पहुंचाया गया जहां वे ओपरेशन के बाद १ जनवरी, १९५९ को संसार से चल बसे । ६ जनवरी को एक जांच की गयी थी, परन्तु उसका परिणाम अभी तक ज्ञात नहीं हुआ है ।

(ख) भारतीय उच्चायोग न इस सम्बन्ध में बड़ी रुचि ली । उन के प्रतिनिधि ने जांच में पूरा भाग लिया था । और उनके शव के दहन में और उनकी अस्थियों को भारत भेजने में उनके चचेरे भाई को पूरी पूरी सहायता दी गई । उच्चायोग का वैधानिक विभाग सम्बन्धित पार्टियों से प्रतिकर का दावा करने के काम में भी श्री राव के चचेरे भाई की सहायता कर रहा है ।

आकाशवाणी में हिन्दी

२५०. **श्री प्रकाश वीर शास्त्री :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आकाशवाणी में हिन्दी भाषा को प्रोत्साहन देने के लिये गत दस वर्षों में क्या कदम उठाये गये हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर): एक विवरण लोक-सभा की मेज पर रख दिया गया है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबंध संख्या ७५]**

पंजाब में कपड़े की मिलें

†२५१. **श्री अजित सिंह सरहदी :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) १९५८–५९ में पंजाब में कपड़े की मिलें प्रारम्भ करने के लिये लाइसेन्सों के लिये कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं ;

(ख) उस प्रकार के लाइसेन्सों के लिये कितने सरकारी समितियों ने आवेदन किया है; और

(ग) कितने लाइसेंस दिये गये हैं और किन-किन व्यक्तियों को लाइसेन्स दिये गये हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री):** (क) पत्री वर्ष १९५८ में तीन आवेदन-पत्र प्राप्त हुए थे ।

(ख) सहकारी समितियों से कोई भी पत्र नहीं प्राप्त हुआ है ।

(ग) १९५८ में प्राप्त आवेदन-पत्र अभी विचाराधीन हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

निष्क्राम्य सम्पत्ति

†२५२. { **श्री अजित सिंह सरहदी :**
श्री राधा रमण :

क्या **पुनर्वास तथा अल्प-संख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विस्थापित व्यक्तियों की सम्पत्तियों के सम्बन्ध में भारत और पाकिस्तान में कौन-कौन से मामले अभी बकाया हैं; और

(ख) उन्हें हल करने के लिये क्या-क्या कार्यवाही की जा रही है?

†**पुनर्वास उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर):** (क) और (ख). विस्थापित व्यक्तियों की अचल सम्पत्तियों के सम्बन्ध में पाकिस्तान सरकार से कोई भी करार नहीं हुआ है। भारत सरकार की ओर से अत्यधिक प्रयत्न करने के बावजूद भी पाकिस्तान सरकार इस प्रश्न को टालती रही है।

विस्थापित व्यक्तियों की चल सम्पत्तियां भारत पाकिस्तान करार के अधीन आती हैं। उस करार को कार्यान्वित करने के सम्बन्ध में स्थिति ११ अगस्त, १६५८ को तारांकित प्रश्न संख्या २६ के उत्तर में बता दी गयी थी। उसके बाद और कोई प्रगति नहीं हुई है।

उत्तर प्रदेश में छोटे पैमाने के हथकरघा उद्योग

†२५३. **श्री राम गरीब:** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १६५६–५७ और १६५७–५८ में उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में सहकारी आधार पर छोटे पैमाने के कितने हथकरघा उद्योग प्रारम्भ किये गये ;

(ख) उद्योगों के विकास के लिये ऋणों और अनुदानों के रूप में कुल कितनी राशि आवंटित की गयी थी; और

(ग) ऋणों की वसूली की क्या–क्या शर्तें हैं।

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री):** (क) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

(ख) १६५३ से १६५८ तक हथकरघा उद्योग के विकास के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश को निम्नलिखित राशियें दी गयी थीं ;

ऋण	१,०३,०४,६४० रुपये ।
अनुदान	१,०२,२४,१७१ रुपये ।

(ग) अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड द्वारा प्रकाशित की गयी 'हैंडलूम्स आफ इण्डिया' नामक पुस्तिका के अनुबन्ध ५ की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है। उसकी प्रतियां संसदीय पुस्तकालय में रखी हुई हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

सिलाई की मशीनें

†२५४. { **श्रीमती इला पालचौधरी :**
श्री राम कृष्ण :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में निर्मित सिलाई की मशीनें जिस भी देश को भेजी गयी हैं, वहां उनकी सराहना की गयी है;

(ख) १९५८ में कितनी मशीनें तैयार की गयी थीं और कितनी बाहिर भेजी गयी थीं और उनकी स्थिति १९५७ की अपेक्षा कैसी रही है; और

(ग) किन किन देशों को कितनी कितनी मशीनें भेजी गयीं थी और कितनी कीमत की मशीनें भेजी गयी थीं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री):** (क) जी हां।

(ख) और (ग). एक विवरण संलग्न है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ७६]**

निर्यात जोखिम बीमा निगम

†२५५. **श्री न० रा० मुनिस्वामी:** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) निर्यात जोखिम बीमा निगम द्वारा १९५८ तक कितना बीमा किया गया था;

(ख) अभी तक इससे क्या क्या परिणाम निकले हैं; और

(ग) इससे भारत सरकार की आयात नीति पर क्या असर पड़ा है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री):**(क) ७,५१,५५,००० रुपये।

(ख) उधार बीमा भारत में एक नये प्रकार का बीमा है। यह अनुमान है कि निगम द्वारा प्रस्तुत की गयी सुविधाओं का निर्यातकर्ता लाभ उठा रहे हैं।

(ग) कुछ नहीं।

सूती वस्त्र उत्पादन

२५६. **श्री रघुनाथ सिंह :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जहां तक सूती वस्त्र उत्पादन का सम्बन्ध है, भारत को विश्व में तृतीय स्थान प्राप्त है; और

(ख) यदि हां, तो क्या भारत में सूती वस्त्र उत्पादन में और वृद्धि हो रही है?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री): (क) जी नहीं भारत को अब भी दूसरा स्थान प्राप्त है।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) सूती कपड़े का उत्पादन साधारणतः बढ़ा है। केवल मिल के कपड़े का उत्पादन १९५८ में कुछ गिरा है।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

२५७. श्री रघुनाथ सिंह : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कर्मचारी राज्य बीमा योजना अब तक कितने शहरों में लागू की जा चुकी है और निकट भविष्य में कितने शहरों में इसके लागू किये जाने की सम्भावना है।

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : यह योजना अबतक ७३ केन्द्रों में लागू की जा चुकी है और ३० जून १९५९ तक २० और केन्द्रों में इसके लागू किये जाने की संभावना है ये केन्द्र शहर या कस्बे हैं जिनमें कहीं कहीं ऐसे समीपवर्ती गांव या ताल्लुके शामिल हैं जहां के कारखाने इस योजना में लाये जा सकते हैं।

पोटेशियम परमैंगनेट का आयात

†**२५८. श्री पांगरकरः** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५७–५८ में कुल कितने पोटेशियम परमैंगनेट का आयात किया गया और उनकी कुल कितनी आवश्यकता होती है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)**: १९५७–५८ में ४५५ टन पोटेशियम परमैंगनेट का आयात किया गया था। इस समय देशी पोटेशियम परमैंगनेट का अनुमान ३५० टन लगाया गया है।

भारतीय दस्तकारी की वस्तुओं का निर्यात

†**२५९. श्री विश्वनाथ राय :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
(क) १९५७ की तुलना में गत वर्ष भारतीय दस्तकारी की वस्तुओं के निर्यात में कितनी वद्धि हुई ; और

(ख) यदि हां, तो कहां तक ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)**: (क) जी हां।

(ख) १९५७ और १९५८ में दस्तकारी के निर्यात के आंकड़े (जहां तक उपलब्ध हैं) नीचे दिये गये हैं जिनसे पता लगता है कि १९५८ में इनके निर्यात में कहां तक वृद्धि हुई है :—

वर्ष	रुपयों में मूल्य
१९५७ (जनवरी—सितम्बर)	४,८६,४३,३३४
१९५८ (जनवरी—सितम्बर)	५,०१,१३,८६६

†मूल अंग्रेजी में

अखिल भारतीय ताड़-गुड़ सम्मेलन

†२६०. **श्री वारियरः** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री सभा-पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें निम्न बातें दिखाई गई हों :—

(क) दिसम्बर, १९५८ में कुनामकुलम में हुये अखिल भारतीय ताड़-गुड़ सम्मेलन ने क्या सिफारिशें की थीं ; और

(ख) उन पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)**: (क) मांगी गई जानकारी बताने वाला एक विवरण संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ७७]**

(ख) अधिकांश सिफारिशों पर राज्य सरकारों, संस्थाओं आदि को स्वयं कार्यवाही करनी है जिसके प्रतिवेदन की प्रतियां खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के पास भेज दी जायेंगी । जहां कहीं आवश्यक होगा उसके लिये सरकार से आदेश प्राप्त करने के पश्चात् आयोग स्वयं उससे सम्बन्धित सिफारिशों पर कार्यवाही करेगा ।

सीमा करार

†२६१. **श्री सुबिमन घोषः**
श्री राजेन्द्र सिंहः
श्रीमती मफीदा अहमद :
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पाकिस्तान में सैनिक शासन कायम होने के बाद से भारत और पाकिस्तान की सरकारों के बीच सीमान्त क्षेत्र के बारे में कितने और किन-किन तारीखों को युद्ध-विराम करार हुये ;

(ख) उनमें से कितने करारों का उल्लंघन किया गया ; और

(ग) इस प्रकार के उल्लंघन से कितने मनुष्यों, सम्पत्ति और पशुओं की हानि हुई ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)**: (क) से (ग). मांगी गई जानकारी बताने वाला एक विवरण संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबध संख्या ७८]**

सीमा घटनायें

†२६२. **श्री वाजपेयीः**
श्री सूपकारः
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ७ जनवरी, १९५९ को पाकिस्तानी सशस्त्र सेना ने हरताकीटिला नामक भारतीय चौकी के रक्षित वन में दो बार गोली चलाई ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या ऐसा करना कछार और सिल्हट के डिप्टी कमिश्नरों के बीच हुये युद्ध विराम समझौते का उल्लंघन करना था ;

(ग) क्या समझौते का उल्लंघन के बारे में पाकिस्तानी प्राधिकारियों के पास इसका कोई प्रतिरोध किया गया था ; और

(घ) यदि हां, तो उस पर क्या प्रतिक्रिया हुई ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)**: (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) जी हां।

(घ) हमारे प्रतिरोध का कोई उत्तर नहीं प्राप्त हुआ है किन्तु पाकिस्तानी प्राधिकारियों ने इसके विरोध में यह कहा है कि उनके दलों ने आत्म-रक्षा में गोली चलाई थी। इस निराधार आरोप का उत्तर दे दिया गया है।

दक्षिण अफ्रीका में भारतीय

†२६३. **श्री राम कृष्ण** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ट्रांसवाल के कियारक्सडार्प नामक नगर में रहने वाले ७०० भारतीयों को यह आदेश दिया गया है कि वे अपने घरों और व्यवसाय को छोड़ कर नगर के केन्द्र से ४$^{१}/_{२}$ मील दूर एक विशेष एशियाई क्वार्टर में चले जायें; और

(ख) यदि हां, तो क्या उनके पास से कोई शिकायत प्राप्त हुई है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)**: (क) जी हां, हमने इस प्रकार का समाचार देखा है।

(ख) जी नहीं।

इण्डिया इलेक्ट्रिक वर्क्स लिमिटेड, कलकत्ता

†२६४. **श्री राम कृष्ण**: क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री १९ दिसम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १२१४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टैक्निकल टीम ने इण्डिया इलैक्ट्रिक वर्क्स लिमिटेड कलकत्ता की कार्य-पद्धति की जांच की है ; और

(ख) यदि हां, तो की गई जांच का क्या परिणाम निकला ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)**: (क) जी हां।

(ख) आशा की जाती है कि टैक्निकल टीम शीघ्र ही विचार करने के लिये वह सरकार को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर देगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

काम दिलाऊ दफ्तर, दिल्ली

†२६५. **श्री राजेन्द्र सिंह :** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि काम दिलाऊ दफ्तर, दिल्ली में "भारत-१९५८" प्रदर्शनी के समाप्त हो जाने पर उन स्टाल सहायकों के लिये जो बेकार हो जायेंगे नया काम दिलाने का प्रस्ताव किया, है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) :** (क) और (ख). उन व्यक्तियों को सलाह दी गई है कि वे सामान्य सहायता के लिये अपना नाम काम दिलाऊ दफ्तर में लिखवा दें।

मनीपुर में श्रमिक सहकारी समितियां[1]

†२६६. **श्री ले० अचौ० सिंह:** क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मनीपुर में अब तक कितनी श्रमिक सहकारी समितियों को पंजीबद्ध किया जा चुका है ; और

(ख) उनमें से कितनी समितियों को टेण्डर मांगें बिना छोटे निर्माण कार्य दे दिये गये थे ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी) :** (क) और (ख). जानकारी एकत्र की जा रही है जो सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

अलौह धातुओं का पुनवलन[2]

†२६७. **श्री वें० प० नायर:** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अलौह धातुओं के पुनर्वेलन सम्बन्धी उनके विस्तार सहित वर्तमान स्थिति क्या है ;

(१) विनियोग की गई पूंजी ;

(२) कच्चे माल का वार्षिक आयात ;

(३) एककों का स्थान सम्बन्धी वितरण ; और

(४) विद्युत् की गुंजाइश तथा पुनर्वेलन में इस समय व्यय की गई विद्युत् की लागत कितनी होगी ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) :** इस समय कोई भी एकक ऐसा नहीं है जो इस मन्त्रालय के विकास अनुभाग में सूचीबद्ध अलौह धातुओं का पुनर्वेलन करता हो। जहां तक अलौह धातुओं के पुनर्वेलन कारखानों का सम्बन्ध है, उनके बारे में जानकारी बताने वाला एक विवरण संलग्न है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबंध संख्या ७९]**

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] Labour Cooperative Societies.

[2] Re-rolling of Non-ferrous metals.

सीमा पर हमले

२६८. श्री सरजू पांडे : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १५ दिसम्बर से २२ दिसम्बर, १९५८ तक आसाम के मदनपुर, कारापुंज और करीमगंज क्षेत्रों में पाकिस्तानी सेना ने कितनी बार हमला किया;

(ख) इन हमलों के फलस्वरूप जान और माल की कितनी हानि हुई; और

(ग) इन हमलों की रोक थाम के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) और (ख). १८ दिसम्बर से २२ दिसम्बर १९५८ तक पाकिस्तानी सशस्त्र सेनाओं ने पथरिया रिजर्व फारेस्ट और मदनपुर तथा कोरपुंजी क्षेत्रों में गोलियां चलाई। इस का विवरण साथ लगे ब्यौरे में दिया गया है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबंध संख्या ८०]**

(ग) पाकिस्तानी अधिकारियों के पास इस गोलीबारी के खिलाफ राज्य और केन्द्रीय स्तर पर विरोध-पत्र भेजे गये। सरकार सीमा की सुरक्षा के प्रबन्ध पर बराबर विचार करती रहती है।

बेकार और ऊसर भूमि को कृषि योग्य बनाना और उसका विकास करना

†**२६९. श्री त्रिदिव कुमार चौधरी** : क्या **पुनर्वास तथा अल्प-संख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संघ पुनर्वास मंत्रालय द्वारा पश्चिमी बंगाल सरकार को पूर्वी पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्तियों को पुनर्वास के लिये बेकार और ऊसर भूमि को कृषि योग्य बनाने और उसका विकास करने के लिये कुल कितनी राशि आवंटित की गई है;

(ख) इस प्रकार उपबन्धित धन राशि में से केन्द्रीय अथवा पश्चिमी बंगाल सरकार द्वारा भूमि को कृषि योग्य बनाने की ऐसी कितनी योजनायें आरम्भ की गई हैं और ये योजनायें कहां कहां कार्यान्वित होंगी;

(ग) इन योजनाओं के अनुसार जिन भूमियों को कृषि योग्य बनाया गया उन पर अब तक कितने विस्थापित व्यक्तियों को बसाया गया है; और

(घ) क्या इस तरीके से जितनी भूमि को कृषि योग्य बनाया जायेगा उस का तथा इस प्रकार जितने व्यक्तियों का पुनर्वास किया जायेगा उस का कोई सर्वेक्षण किया गया है ?

†**पुनर्वास उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर** : (क) ३६,२६,३३० रुपये जिस में नई मशीनरी को खरीदने के लिये १५,००,००० रुपये की राशि भी शामिल है।

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा उपबन्ध की गई राशि में से राज्य सरकार द्वारा निम्न स्थानों में दो योजनायें आरम्भ की गई हैं :—

(१) २४ परगना में सुन्दरबन के हेरोभंगा खण्ड में २७५० एकड़ भूमि को कृषि योग्य बनाना; और

(२) मिदनापुर जिले में सीसल एवं धान की खेती के लिये ५००० एकड़ भूमि को कृषि योग्य बनाना। कुछ अन्य योजनायें विचाराधीन हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) कृष्यकरण कार्य अभी पूरे नहीं हुए हैं इस कारण पुनर्वास अभी आरम्भ नहीं किया गया है। तैयारी के उपाय के रूप में हेरोभंगा में ५५० परिवार पहले ही पहुंच गये हैं और २२० और परिवार भी शीघ्र ही पहुंच जायेंगे ।

(घ) राज्य सरकार के अनुसार लगभग १०,००० परिवार इस प्रकार बसाये जा सकते हैं। पश्चिमी बंगाल सरकार द्वारा एक सर्वेक्षण किया गया था जिस से पता चला था कि ८०,००० से १,००,००० एकड़ भूमि पर १०,००० परिवार बसाये जा सकते हैं। जिस को कृषि योग्य बनाया जा सकता है और उस का विकास किया जा सकता है ।

हड्डियों का निर्यात

†२७०. **श्री मं० र० कृष्ण** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के सम्मुख विदेशों को हड्डियों के निर्यात में वृद्धि करने का कोई विचार है;

(ख) भारत से कौन से प्रमुख देश हड्डियों का आयात करते हैं; और

(ग) किन किन देशों से हड्डियों के संभरण में भारत की प्रतिद्वंदिता रहती है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) जी हां ।

(ख) ब्रिटेन, पश्चिमी जर्मनी, नीदरलैंड्स, बेल्जियम, फ्रांस और अमरीका ।

(ग) पाकिस्तान, अर्जेन्टाइना तथा कुछ अफ्रीकी देश ।

एक्स-रे सेटों का निर्माण

†२७१. **श्री अरविन्द घोषाल** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता की कोई गैर-सरकारी फर्म एक्स-रे सेट तैयार करती है;

(ख) ऐसी कितनी फर्में हैं और क्या उन में से किसी ने केन्द्रीय सरकार से वित्तीय सहायता मांगी है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) जी हां ,

(ख) और (ग) . कलकत्ता में मेसर्स रेडान हाउस नामक केवल एक फर्म है जो छोटे पैमाने पर एक्स-रे के सामान तैयार करती है। उस के विस्तार कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिये उसने अपनी फर्म में पश्चिम बंगाल सरकार से कुछ पूंजी लगाने के लिये निवेदन किया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

सीमा घटना

†२७२. { **श्री वोडयार:**
श्री विश्वनाथ राय:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि २३ दिसम्बर, १९५८ को कछार सीमान्त के पार पाकिस्तानियों द्वारा जोरों से गोली चलाने के परिणामस्वरूप भारतीय सीमान्त सुरक्षा बल के तीन पदाधिकारी मारे गये थे; और

(ख) यदि हां, तो क्या भारत सरकार ने पाकिस्तान की सरकार से उन की जानों के लिये प्रतिकर की मांग की है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

इमारतों के निर्माण पर व्यय

†२७३. **श्री मोहम्मद इमाम** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा राजधानी में इमारतें, कार्यालय और निवास स्थान बनाने में १९४८ से १९५८ में अलग अलग कुल कितनी राशि व्यय की गई है; और

(ख) विनियोग की गई राशि से कितनी आय हुई ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)** : (क) निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय का संबंध केवल सामान्य संचय में कार्यालय तथा निवास स्थान बनाने से ही है । अन्य मंत्रालय जैसे रेलवे, प्रतिरक्षा आदि तथा संविहित एवं स्वायत्तशासी निकाय अपने-अपने निर्माण कार्य स्वयं करते हैं । सभी संबंधित मंत्रालयों आदि से मांगी गई जानकारी प्राप्त करने में स्वाभाविक है कि काफी समय और श्रम लगेगा । इतना ही नहीं बल्कि सामान्य संचय में पिछले दस वर्षों में बनवाई गई इमारतों के बारे में सीमित जानकारी देनें में भी काफी समय लगेगा ।

(ख) विनियोग स हुई आय का प्रति वर्ष हिसाब ठीक ठीक नहीं लगाया जा सकता क्योंकि प्रत्येक वर्ष बनवाई गई इमारतों पर वसूल किये गये किरायों का हिसाब अलग अलग नहीं रखा जाता । इस प्रकार का हिसाब निम्न कारणों से संभव । सही सही नहीं होगा :—

(१) भारत सरकार के वाणिज्यिक विभागों के अतिरिक्त, जिन का सामान्य संचय में बहुत कम अनुपात होता है, कार्यालय के स्थान के लिये कोई किराया नहीं लिया जाता

(२) प्रत्येक आवास वाले मकान के लिये दो स्टैण्डर्ड किराये पहला आधारभूत नियम ४५-क और दूसरा ४५ख के अधीन लगाया जाता है । इस में से पहले में कुछ रियायत

†मूल अंग्रेजी में

रहती है, जिस में इमारत की लागत ही शामिल रहती है और भूमि की लागत अथवा विकास पर किया गया व्यय शामिल नहीं किया जाता। दूसरा आर्थिक किराया है जो सामान्य सरकारी कर्मचारियों के अलावा लागू होता है। अधिकृत सरकारी कर्मचारियों से किराये के रूप में उन के वेतन का १० प्रतिशत अथवा आधारभूत नियम ४५क के अधीन अथवा दोनों में से जो भी कम हो, के दर से वसूल किया जाता है।

२. इस समय राजधानी में कार्यालय और आवास संबंधी स्थान की पर्याप्त कमी है। पहला ५ लाख वर्ग फीट है। ये आंकड़े उस समय कई गुने बढ़ जायेंगे क्योंकि अस्थायी इमारतें (जिनमें से बहुतों का जीवन काल समाप्त हो चुका है) जिन में कार्यालय स्थापित हैं काम के लायक नहीं रहेंगे। कार्यालय के लिये स्थान का किराया जो स्थिति पर निर्भर करता है, प्रति मास १०० वर्ग फुट के लिये ४० रुपये और ५० रुपये के बीच है। इस दर पर भी जितने स्थान की आवश्यकता है, उतना स्थान नहीं मिलता है। इस कारण सरकार के पास केवल यह विकल्प है कि वह कमी को दूर अथवा उस में कुछ कमी करने के लिये शीघ्र ही निर्माण करना आरम्भ कर दे।

३. उपर्युक्त कण्डिका (क) में जो स्थिति बताई गई है उस से स्पष्ट है कि जो जानकारी मांगी गई है, देना संभव नहीं। यह भी महसूस किया जाता है कि इस जानकारी को उपलब्ध करने में जितना समय और श्रम लगेगा, यदि ऐसा करना संभव हो सका (जैसा नहीं हो सकेगा), तो उस से उतना लाभ नहीं हो सकेगा।

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण प्रतिवेदन

†२७४. **श्री परूलकर** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के कुल कितने प्रतिवेदन प्रकाशित किये जा चुके हैं ;

(ख) इनमें से ऐसे प्रतिवेदनों की संख्या कितनी है जिनको सरकार ने प्रकाशित करने के लिये भेज दिया है तथा सरकार द्वारा निकाले जाने के लिये कितने प्रकाशन प्रस्तुत कर दिये गये हैं ;

(ग) उनमें से कितने प्रतिवेदन वास्तव में प्रकाशित किये जा चुके हैं ; और

(घ) क्या उनके शीघ्र प्रकाशन के लिये सरकार ने प्रस्तावों पर विचार किया है ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां)**: (क) तेरह।

(ख) प्रस्तुत किये गये कुल ३५ प्रतिवेदनों में से सरकार ने प्रकाशन के लिये तेईस प्रतिवेदन भेज दिये हैं।

(ग) तेरह।

(घ) प्रतिवेदन सरकार द्वारा न निकाले जाकर भारतीय सांख्यिकीय संस्था द्वारा निकाले जाते हैं। संस्था के परियोजना सेक्शन में, जो आंकड़ों का संकलन करता है, व्यक्तियों की संख्या बढ़ा दी गई है। इसके संकलन कार्य में इलेक्ट्रानिक सामान का अधिक उपयोग किया जा रहा है। नमूना सर्वेक्षण के आंकड़े तैयार करने को प्राथमिकता दी जाती है तथा शीघ्रगति से संकलन कार्य करने और उसे प्रस्तुत करने के लिये अधिकाधिक टेकनिकल व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रतिवेदनों को शीघ्र छापने के लिये भी प्रबन्ध किया गया है।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

दीवार घड़ी, मेज घड़ी तथा कलाई की घड़ियों का आयात

†२७५. **श्री हेम राज :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८ में कितनी दीवार घड़ियों, मेज़ घड़ियों और कलाई घड़ियों का आयात किया गया ; और

(ख) १९५८ में उनमें से कितनी घड़ियां भारत में बनाई गईं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)**: (क) जनवरी से नवम्बर, १९५८ तक के आयात आंकड़े उपलब्ध हैं जो नीचे दिये जाते हैं :—

कलाई घड़ियां	८४,५६३
मेज घड़ियां तथा दीवार घड़ियां	५६,५८८
योग	१,४१,१५१

(ख) १९५८ में बड़े पैमाने पर अनुमान है कि २९,७५२ दीवार घड़ियां बनाई गईं। छोटे पैमाने पर दीवार घड़ियां बनाने का कोई स्वीकृत कार्यक्रम नहीं है। छोटे पैमाने में उत्पादन के आंकड़े, यदि कुछ हों, तो उपलब्ध नहीं हैं।

इस समय देश में मेज़ घड़ियां और कलाई की घड़ियां नहीं बनाई जाती हैं।

गुड़गांव जिले में मेव किसानों के लिये भूमियां

†२७६. { **श्री रामम् :**
श्री त० ब० विट्ठलराव :

क्या **पुनर्वास तथा अल्प-संख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब में गुड़गांव ज़िले के पलवाल तालुके के मेव किसानों की भूमियां जो अन्य व्यक्तियों द्वारा अवैध रूप से ले ली गई थीं, विधिवत् मेव किसानों को पुनः वापस लौटा दी गई हैं ;

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(ग) इनके विधिवत् किसान मालिकों को कब तक प्राप्त होने की संभावना है ?

†**पुनर्वास उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर)**: (क) से (ग). माननीय सदस्य का ध्यान २२ अप्रैल, १९५८ को लोक-सभा में श्री दलजीत सिंह के अतारांकित प्रश्न संख्या २५९६ के उत्तर की ओर आकर्षित किया जाता है जो गुड़गांव ज़िले के मेव किसानों के पुनर्वास के बारे में है। स्थिति यह है कि अधिकांश मेव किसानों को उनकी पहली वाली ज़मीने मिल गई हैं और जिन मामलों में ऐसा नहीं संभव हो सका उन्हें या तो उसके बदले में और ज़मीनें देने अथवा नकद प्रतिकर देने की व्यवस्था की जा रही है।

†मूल अंग्रेज़ी में

सभा पटल पर रखे गये पत्र

सरकारी भू-गृहादि (अनधिकृत कब्जाधारियों का निष्कासन) नियम

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)** : मैं सरकारी भूगृहादि (अनधिकृत कब्जाधारियों का निष्कासन) अधिनियम, १९५८ की धारा १३ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत दिनांक ८ दिसम्बर, १९५८ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ११५९ में प्रकाशित सरकारी भूगृहादि (अनधिकृत कब्जाधारियों का निष्कासन) नियम, १९५८ की एक प्रति पुनः सभा पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०—११२५/५८]**

सिंदरी फर्टिलाइज़र्स एन्ड केमिकल्स (प्राइवेट) लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : मैं समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा ६३९ की उप-धारा (१) के अन्तर्गत सिन्दरी फर्टिलाइज़र्स एण्ड केमिकल्स (प्राइवेट) लिमिटेड की वर्ष १९५७–५८ के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति लेखा-परीक्षित लेखे सहित सभा पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०—१२०१/५९]**

विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) नियम

†**पुनर्वास उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर)**: मैं विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) अधिनियम, १९५४ की धारा ४० की उप-धारा (३) के अन्तर्गत विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) नियम, १९५५ में कुछ और संशोधन करने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति पुनः सभा पटल पर रखता हूं :—

(१) जी० एस० आर० संख्या ६९९/आर० अमेंडमेंट २५ दिनांक १६ अगस्त, १९५८।
[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० —८८७/५८]

(२) जी० एस० आर० संख्या ७८०/आर० अमेंडमेंट २६ दिनांक ६ सितम्बर, १९५८।
[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०—९३९/५८]

(३) जी० एस० आर० संख्या ८१४/आर० अमेंडमेंट २७ दिनांक १३ सितम्बर, १९५८।
[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० —९६८/५८]

प्राक्कलन समिति

छत्तीसवां प्रतिवेदन

†**श्री ब० गो० मेहता** (गोहिलवाड़) : मैं स्वास्थ्य मंत्रालय—चिकित्सा सेवायें (भाग १) के बारे में प्राक्कलन समिति का छत्तीसवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

फिल्म उद्योग के बारे में वक्तव्य

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : श्रीमान्, वक्तव्य लम्बा है, आंकड़ों का एक पूरा पृष्ठ है। यदि अनुमति दें तो मैं इसे सभा पटल पर रख दूं।

†**अध्यक्ष महोदय** : हां, इसे सभा पटल पर रख दिया जाये और माननीय सदस्यों में परिचालित कर दिया जाये। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०—१२०२/५९**]

चिनाकुरी खान दुर्घटना पर चर्चा के बारे में

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** (बसिरहाट) : श्रीमान्, धन्यवाद के प्रस्ताव पर चर्चा आरम्भ किये जाने से पूर्व मैं यह बताना चाहती हूं कि माननीय श्रम मंत्री ने कहा था कि चिनाकुरी खान दुर्घटना की जांच समिति के प्रतिवेदन पर चर्चा उठाने का अवसर दिया जायेगा। परन्तु उस प्रतिवेदन की उपस्थापना को दो माह हो चुके हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप प्रतिवेदन को सभा पटल पर रखवायें और उस पर चर्चा की अनुमति दें।

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : जहां तक मुझे याद है मैं ने कहा था कि प्रतिवेदन पर सुरक्षा समिति में चर्चा की जायेगी। उस समिति में उसपर चर्चा हो चुकी है। फिर भी माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा है मैं उस पर विचार करूंगा और आवश्यक कार्यवाही करूंगा।

†**श्री तंगामणि** (मदुरै) : दिनांक ११-१२-५८ को तारांकित प्रश्न संख्या ८४५ के उत्तर में माननीय उपमंत्री ने बताया था कि चिनाकुरी जांच प्रतिवेदन सभा पटल पर रखा जायेगा। क्या उन्होंने उसे सभा पटल पर रख दिया है ?

†**श्री आबिद अली** : यदि वह सभा पटल पर अब तक नहीं रखा गया तो इस सप्ताह में रख दिया जायेगा।

†**अध्यक्ष महोदय** : इसे सभा पटल पर रख दिया जायेगा। माननीय मंत्री सभा में दिये गये आश्वासनों को यथा सम्भव शीघ्र पूरा करने का प्रयत्न किया करें।

सभा का कार्य

†**संसद्-कार्य मंत्री (श्री सत्यनारायण सिंह)**: श्रीमान्, आपकी अनुमति से मैं १६ फरवरी, १९५९ से आरम्भ होने वाले सप्ताह में लिये जाने वाले सरकारी कार्य की घोषणा करता हूं :—

(१) राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव पर और आगे चर्चा।

(२) कामगार प्रतिकर (संशोधन) विधेयक, १९५८ पर राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार तथा उसका पारित किया जाना।

(३) भारतीय आय-कर (संशोधन) अध्यादेश, १९५९ के अनुमोदन के बारे में श्री राजेन्द्र सिंह के संकल्प पर चर्चा।

†मूल अंग्रेजी में

(४) निम्नलिखित विधेयकों पर विचार तथा उनका पारित किया जाना :—

(एक) भारतीय आय-कर (संशोधन) विधेयक, १९५९।

(दो) बिजली (संशोधन) विधेयक, १९५८ संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में।

(तीन) अधिकृत लेखापाल (संशोधन) विधेयक १९५८, राज्य सभा द्वारा प्रतिवेदित रूप में।

माननीय सदस्यों को यह पता ही है कि रेलवे आय-व्ययक १९५९–६०, १८ फरवरी, १९५९ को प्रश्नों के पश्चात् प्रस्तुत किया जायेगा।

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव

†**अध्यक्ष महोदय** : सभा में अब राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी। इसके लिये चर्चा का उत्तर देने में लिये जाने वाले सरकारी समय के अतिरिक्त १५ घंटे रखे गये हैं। श्री कासलीवाल द्वारा प्रस्ताव को प्रस्तुत किये जाने से पूर्व मैं बताना चाहता हूं कि नियम २१ के अधीन मैं ने प्रत्येक सदस्य के लिये १५ मिनट तथा दल-नेताओं के लिये ३० मिनट निर्धारित किये हैं।

श्री कासलीवाल (कोटा) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्तावित करता हूं :

"कि इस सत्र में समवेत लोक सभा के सदस्य राष्ट्रपति के उस अभिभाषण के लिए, जो कि उन्होंने ९ फरवरी, १९५९ को एक साथ समवेत संसद् की दोनों सभाओं के समक्ष देने की कृपा की है, उनके अत्यन्त आभारी हैं।"

राष्ट्रपति महोदय ने जो अभिभाषण दिया है वह प्रभावशाली और महत्वपूर्ण है। उसमें सचेत आशावाद की झलक है, और उनका ध्यान देश के सामने जो दिक्कतें हैं और कठिनाइयां हैं उनके ऊपर भी है। राष्ट्रपति जी ने राष्ट्र का जो चित्रण किया है उससे मैं यह समझता हूं कि ग्राम जनता को प्रेरणा मिलती है और ग्राम जनता में एक अच्छे जीवन की आशा उत्पन्न होती है।

अध्यक्ष महोदय, मैं राष्ट्रपति जी को और उनकी सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने आज ग्राम जनता को समाजवाद के पथ पर चलने का अवसर दिया है। उनकी सरकार ने कई ऐसे कदम उठाये हैं जो कि मूल रूप में हमको समाजवाद की ओर ले जाने वाले कहे जा सकते हैं। राष्ट्रपति जी ने कइयों का ज़िक्र अपने अभिभाषण में किया है, मैं उनको दुहराना नहीं चाहता। मगर यह साफ है कि आज सरकार समाजवाद के पथ पर चलने के लिए कटिबद्ध है और आज सरकार के जितने कार्य हो रहे हैं वे इस चीज़ को मद्देनज़र रख कर हो रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपति जी ने पिछले साल जो देश के सामने कठिनाइयां थीं उनका ज़िक्र किया है, खास तौर पर दो तीन कठिनाइयों का जिनमें एक तो विदेशी विनिमय की है। हमने इस दिक्कत को मित्र राष्ट्रों की मदद से हल किया है। और जो खाद्यान्न के सम्बन्ध में दिक्कतें थीं उन पर थोड़ा काबू तो पा लिया गया है और काबू पाने की कोशिश की जा रही है। सरकार ने इसके लिए कई कदम उठाये हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री कासलीवाल]

अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपति जी का ज्यादा भाषण द्वितीय पंचवर्षीय योजना से ताल्लुक रखता है और उन्होंने कुछ ज़िक्र तृतीय पंचवर्षीय योजना का भी किया है। मगर कब्ल इसके कि मैं इस सदन का ध्यान उस ओर दिलाऊं, मैं एक बात का ज़िक्र करना चाहता हूं, क्योंकि राष्ट्रपति जी ने उस के बारे में भी कहा है और वह है हमारी विदेश नीति। राष्ट्रपति जी ने फ़रमाया है कि हमारे देश के सम्बन्ध दूर और निकट के देशों से मैत्रीपूर्ण रहे हैं। मैं समझता हूं कि यह हमारी पंचशील की नीति के ही फलस्वरूप है। आज यह नीति संसार के कई देशों में व्यापक हो गई है और कई देश तो ऐसे हैं, जिन्होंने पंचशील के आधार पर आपस में संधियां कर ली हैं। मगर मैं यह कहूंगा कि आज हमारी नीति ख़ाली पंचशील पर ही आधारित नहीं रही है, बल्कि वह उससे भी आगे चली गई है। अब हमारी नीति एक अच्छे पड़ौसी होने की नीति हो गई है--अगर मैं अंग्रेज़ी में कहूं, तो हमारी नीति को गुड नेबरली पालिसी कहा जा सकता है। आज यातायात के साधन इतने सुलभ हो गये हैं कि संसार का हर एक देश दूसरे देश का पड़ौसी हो गया है। आज के ज़माने में अगर तमाम देश गुड नेबरली पालिसी को अख्तियार करते हैं, तो वह ठीक ही है। आज हमारी विदेश नीति संसार में देदीप्यमान हो रही है। वह मनुष्य-मात्र की रहनुमाई करती है और मानव समाज के नैतिक और आध्यात्मिक उत्थान की तरफ़ संकेत करती है। मेरे लायक दोस्त श्री आल्वा मेरे इस प्रस्ताव का समर्थन करने जा रहे हैं। वह हमारी विदेश-नीति के ऊपर ज्यादा विस्तारपूर्वक कहेंगे। मैं अपना ज्यादा समय द्वितीय पंच-वर्षीय योजना और तृतीय पंचवर्षीय योजना के ऊपर ही दूंगा।

राष्ट्रपति जी ने तृतीय पंच-वर्षीय योजना का ज़िक्र किया है। आज देश में भी तृतीय पंच-वर्षीय योजना की चर्चा चल रही है। कई लेख भी अख़बारों में लिखे जा रहे हैं। मगर कब्ल इस के कि मैं इस पर अपने विचार ज़ाहिर करूं, मैं सदन का ध्यान द्वितीय पंच-वर्षीय योजना की तरफ दिलाना चाहता हूं और यह बताना चाहता हूं कि द्वितीय पंच-वर्षीय योजना में हमारे लक्ष्यों और उद्देश्यों की कितनी पूर्ति हुई है। हमारी दूसरी योजना को शुरू हुए तीन वर्ष हो चुके हैं। हमें देखना है कि दो वर्ष के बाद हम को अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में कितनी सफलता मिलने जा रही है और कितने ऐसे लक्ष्य हैं, जिन की पूर्ति नहीं हुई है। इन सब बातों का मैं परिच्छेद करूंगा।

आप को याद होगा कि हमारा सब से बड़ा लक्ष्य यह था कि हमारी राष्ट्रीय आय में काफ़ी बढ़ोतरी होनी चाहिए। यह सदन अच्छी तरह से जानता है कि राष्ट्रीय आय में अब तक साढ़े अठारह परसेन्ट की बढ़ोतरी हुई है। अनुमान लगाया जाता था कि द्वितीय पंच-वर्षीय योजना में हमारी राष्ट्रीय आय में पच्चीस फ़ीसदी वृद्धि होगी। मगर मेरा ख़्याल है कि कई कारणों से आज हम यह नहीं कह सकते कि द्वितीय पंच-वर्षीय योजना में पच्चीस फ़ीसदी वृद्धि होगी। वह वृद्धि शायद तेईस या चौबीस फ़ीसदी ही रह जायगी।

हमारा दूसरा लक्ष्य यह था कि हम शीघ्रतापूर्ण और तेज़ी के साथ औद्योगीकरण करें। उस में हम को काफ़ी सफलता मिली है। राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में कहा है कि राउरकेला और भिलाई की धमन भट्टियां काम करने लगी हैं और कई कड़े उद्योग-धंधे और कारखाने खुलने वाले हैं। मैं कहूंगा कि इस द्वितीय पंच-वर्षीय योजना में हमने समाजवादी औद्योगीकरण की नींव डाली है और मेरा मत है कि वह नींव पक्की है। मुझे यह स्वीकार करने में ज़रा भी संकोच नहीं है कि तीसरे लक्ष्य में यानी रोज़गार में काफ़ी पैमाने पर विस्तार करना और नई नौकरियां पैदा करना, हम बहुत नाकामयाब रहे हैं। कई कारणों से हम लोग इस ओर कदम नहीं बढ़ा सके।

हमारा चौथा लक्ष्य यह था कि आज हमारे देश में आमदनी और सम्पत्ति के सम्बन्ध में जो इतना भेद-भाव और असमानता है, हम उस को कम करें और विकास-कार्य को बढ़ायें, ताकि आर्थिक

सत्ता का सम-विभाग हो। जैसा कि आप जानते हैं, हम ने वैल्थ टैक्स, एक्सपेंडिचर टैक्स और कितने दूसरे टैक्स लगाये हैं, ताकि इस ओर थोड़ी प्रगति हो।

हमारा पांचवां लक्ष्य कृषि-उत्पादन में वृद्धि और खाद्यान्नों की स्थिति में सुधार करना था। मैं कहना चाहता हूं कि कृषि हमारी सब से बड़ी कमजोरी है। इस कमजोरी के कारण कई हैं कहीं अतिवृष्टि हुई, कहीं अनावृष्टि हुई, कहीं सूखा पड़ा, हमें कई प्रकार के प्रकृति के प्रकोप का सामना करना पड़ा। सरकार ने कृषि-उत्पादन के सिलसिले में कितने ही वायदे किये थे, उनको पूरा करने में भी ढिलाई की गई। उदाहरणस्वरूप मैं कहना चाहता हूं कि भूमि सुधार आज भी नहीं हुए हैं, जो कि कई वर्ष पहले हो जाने चाहिए थे। इस के कई कारण बताये जाते हैं। कहा जाता है कि कई दबाव ऐसे हैं, जिनकी वजह से ऐसा नहीं हो सका। हमारे योजना मंत्री, नन्दा जी, ने एक छोटी सी पुस्तक भी लिखी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि कई सामाजिक और राजनैतिक दबाव ऐसे हैं, जो कि भूमि सुधार में बाधा डालते हैं--उन के अल्फ़ाज़ हैं : सोशल स्ट्रैसिज़ एण्ड पोलीटिकल इन्फलुएन्स लेकिन खुशी की बात है कि आज सरकार ने इस ओर भी अपना ध्यान दिया है और आज वह भूमि-सुधार करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार है।

जहां तक सहकारी कृषि का सम्बन्ध है, कुछ लोग कहते हैं कि सरकार ने उसके बारे में कोई नया कदम उठाया है। मैं कहना चाहता हूं कि यह कोई नया कदम नहीं है। जो लोग कहते हैं कि यह एक नया कदम है और इस को उठाने से पहले हम को जनमत-संग्रह करना चाहिए और इलेक्ट्रेट के सामने जाना चाहिए, उन को मैं कहना चाहता हूं कि वे ज़रा द्वितीय पंच-वर्षीय योजना की मोटी मोटी किताबों को पढ़ कर देखें कि कितने अध्याय--कितने चैप्टर--को-आपरेटिव फ़ार्मिंग के बारे में लिखे गये हैं। मैं तो यह कहना चाहता हूं कि यह सरकार की ढिलाई रही है कि उसने अब तक को-आपरेटिव फ़ार्मिंग के बारे में क़दम नहीं उठाया।

†**श्री रंगा** (तेनालि) : यह कहीं भी नहीं कहा गया है कि हम राष्ट्रीय आन्दोलन आरम्भ करने जा रहे हैं।

†**श्री कासलीवाल** : माननीय सदस्य ने उस को पढ़ा नहीं है। मैं जानता हूं कि उनकी राय क्या है। मैं इस वक्त अपने लायक दोस्त के साथ बहस नहीं करना चाहता हूं।

मैं यह कहना चाहता हूं कि पिछले साल राष्ट्रीय विकास परिषद्--नैशनल डेवेलपमेंट कौंसिल--ने यह निर्णय किया था कि हम तीन हजार सहयोगी खेत कायम करेंगे। मुझे इस बात का दुख है कि राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में इसका कोई ज़िक्र नहीं किया है। मैं समझता हूं कि जब माननीय प्रधान मंत्री जी इस बहस का जवाब देंगे, तो शायद इसका ज़िक्र करेंगे।

और भी कई नुक्ता-चीनियां की गई हैं, जिन पर मैं ज्यादा वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता हूं। यह कहा जाता है कि इसका प्रयोग कहीं नहीं हुआ है। मैं तो यह कहूंगा कि इस का प्रयोग ईमानदारी से कहीं नहीं हुआ है। जहां हुआ है, वहां बेईमानी थी और वे लोग चाहते थे कि सहकारी खेती नाकामयाब हो। आज हमारी ज़मीन के ६१ फ़ीसदी टुकड़े ढाई एकड़ या उससे कम हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि इन ढाई एकड़ के टुकड़ों में कितनी खेती हो सकती है, कितनी आमदनी हो सकती है। अगर इस बारे में कोई कदम उठाया जाये, तो इस का मतलब तो यही है कि जो लोग वहां काम करते हैं, वे इसी तरह भूखे और गरीब रहें। जो लोग कहते हैं कि सहकारी खेती नहीं हो सकती, वे इस बात पर ध्यान दें कि हमारी जो ६१ परसेंट भूमि छोटे-छोटे टुकड़ों में बंटी हुई है, उसका क्या होगा

†मूल अंग्रेज़ी में

[श्री कासलीवाल]

इस तरह की बात वे कहते हैं जो बड़े-बड़े ज़मींदार हैं, जिनके पास बड़े-बड़े ज़मीन के टुकड़े हैं और उनको आज भी वे कायम रखना चाहते हैं।

इसके साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जो भूमि अब तक पड़त पड़ी हुई है, उसको भी काम में लाया जाए। इस तरह की जिस भूमि को काम में लाया जाए वह काम भी कोआप्रेटिव बेसिस पर होना चाहिए। जब आप सीलिंग लगा देंगे और जो उसके बाद भूमि बचेगी, उसको भी आपको सहकारी आधार पर जोतने के लिये देनी होगी। जो भूमि सुधार लागू किये जा रहे हैं उसके फलस्वरूप बची हुई भूमि जो आपको मिलेगी, या सीलिंग लगाने से मिलेगी, वह इसी आधार पर जोती जानी चाहिये।

अब मैं खाद्यान्नों के शासकीय व्यापार करने के निर्णय पर कुछ कहना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, आपको याद होगा कि जब पिछली बार बजट पर बहस हुई थी, तो मैंने यह कहा था और उन चन्द एक सदस्यों में से मैं था जिन्होंने यह कहा था कि सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिये। और अन्न का जो थोक व्यापार है, उसको अपने हाथ में ले लेना चाहिए। मुझे अफसोस है उस वक्त हमारे कृषि मन्त्री ने इसका कोई उत्तर नहीं दिया था और इस सुझाव की अवहेलना कर दी थी। मुझे खुशी है कि आज सरकार ने यह बात मान ली है और सरकार इस पर कटिबद्ध है। और कुछ कदम भी उठा रही है और व्यापार को अपने हाथ में लेने जा रही है।

खाद्य उत्पादन बढ़ाने के लिये हमारी सरकार ने कई कदम उठाए हैं और वह इस ध्येय में कामयाब भी हुई है। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि वह कामयाब होगी भी क्योंकि आज देश की जनता जो भी कदम उठाये जाते हैं उनको कामयाब बनाने पर तुली हुई है और चाहती है कि सरकार कामयाब हो। आज कहा जाता है कि खाद्यान्नों की स्थिति खराब हो गई है, यह कहा जाता है कि अनाज नहीं मिलता है और अनाज महंगा हो गया है। लेकिन मैं समझता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि इस स्थिति के ऊपर भी जल्दी ही काबू पा लिया जाएगा।

राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में तृतीय पंचवर्षीय योजना की भी चर्चा की है। तीसरी योजना किस तरह की होगी और किस तरीके से बनाई जाएगी, इसका भी कुछ थोड़ा हमें पता है। इसके बारे में भी मैं थोड़ा सा निवेदन करना चाहता हूं। सबसे पहले मैं यह साफ तौर से कह देना चाहता हूं कि जो हमारी तीसरी योजना होने वाली है या जो तीसरी योजना बनने वाली है यह कोई अलग थलग नहीं रहने वाली है। तीसरी योजना दूसरी से जुदागाना नहीं होने वाली है। तीसरी योजना दूसरी योजना का ही एक लाजिकल एक्सटेंशन (विस्तार) होगा। तीसरी योजना के जो लक्ष्य होने चाहिये उनकी ओर मैं सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं। कुछ मूल विचार हैं जिनकी ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय मैंने मूल विचार शब्दों का प्रयोग किया है। मगर यह हमारी अवस्था हमारी जो मजबूरियां हैं उनका भी इसमें ध्यान रखना हमारा कर्तव्य है।

सबसे पहली चीज़ तो यह है कि हमारी जनसंख्या बड़ी तेजी के साथ बढ़ रही है। आज दो परसेंट के हिसाब से हमारी जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। इसी तरह से बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है। इस वास्ते तो पहले हमें जनसंख्या की ओर ध्यान देना होगा और दूसरे बेरोज़गारी की ओर ध्यान देना होगा। तीसरी चीज़ जिस पर हमें ध्यान देना होगा वह है धन लगाने की दरों के बारे में। हमें देखना होगा कि धन लगाने की दरें क्या होनी चाहियें। अगर हमारी डिनामिक सोसाइटी है, अगर हमें योजनाबद्ध विकास करना है और आगे बढ़ना है, तो हमें स्वभावतः ही देखना होगा कि हमारा रेट आफ इनवेस्टमेंट क्या हो।

चौथी चीज़ जो मेरे ध्यान में आती है वह यह है कि हमें सोचना होगा कि जिन देशों ने योजनाबद्ध विकास की तरफ कदम बढ़ाया और उस समय में बढ़ाया जबकि हमने भी उस तरफ बढ़ाया, तो उनमें उत्पादन की दरों में कितनी वृद्धि हुई है और हमारे में कितनी हुई है और कितनी होनी चाहिए। यह खाली विकास की होड़ का सवाल नहीं है, डिवेलेपमेंट की राइवैलरी (प्रतिद्वन्द्विता) का सवाल नहीं है। मैं यह भी कहूंगा कि इसका सम्बन्ध हमारी रक्षा से भी है। इसके साथ ही साथ मैं यह भी कहूंगा कि हमारी जनता की आशायें हैं, हमारी जनता की आकांक्षायें हैं, हमारी जनता की अभिलाषायें हैं, उनको भी हमें ध्यान में रखना होगा और जो हमारी मजबूरियां हैं उनको भी हमें अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देना होगा।

अब मैं तीसरी योजना के जो लक्ष्य होने चाहियें उन पर आता हूं। पहली बात तो यह है कि जो हमारी राष्ट्रीय आमदनी है कम से कम दुगुनी हो जानी चाहिए। मैं कोई नई चीज़ नहीं कह रहा हूं। अगर माननीय सदस्य द्वितीय योजना के सम्बन्ध में जो पुस्तक छपी हैं उनको पढ़ेंगे तो उनको पता लग जाएगा कि उनमें साफ तौर से यह लिखा हुआ है कि तृतीय योजना के अन्त तक आमदनी दुगुनी हो जानी चाहिये और यह लाज़िमी चीज़ है। अगर हर साल हमारी आमदनी ६ परसेंट के हिसाब से बढ़ती रहे तो बिना किसी प्रकार के सन्देह के हम यह कह सकते हैं कि तृतीय योजना के आखिर तक हमारी राष्ट्रीय आमदनी जो है दुगुनी हो जायगी।

दूसरी बात कृषि उत्पादन की है। इसमें कोई शक नहीं है कि हम को सख्त कदम उठाने पड़ेंगे और तीसरी योजना के खत्म होने के पहले-पहले हमारे कृषि उत्पादन को दुगना हो जाना चाहिए।

इसके साथ ही साथ हमें भारी उद्योगों के अन्दर धन लगाने की दर में भी काफी वृद्धि करनी होगी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत हमने १५ प्रतिशत लगाई थी मगर तृतीय योजना में मेरा सुझाव है कि हम २० प्रतिशत लगायें, यानी ५ प्रतिशत की हम वृद्धि करें।

चौथी बात यह है कि हमारे जो गृह उद्योग हैं या जो हमारी स्माल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं उनको जिस तरह से द्वितीय योजना के अन्तर्गत प्रोत्साहन दिया गया है उसी हिसाब से तृतीय योजना के अन्तर्गत भी प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए या उनको उससे भी ज्यादा प्रोत्साहन मिलना चाहिए।

राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में यह भी कहा है कि विदेशी विनिमय के सम्बन्ध में हमें कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है और हमारे सामने दिक्कतें पेश आ रही हैं और हम अब भी कुछ वार्तालाप विदेशी लोगों के साथ कर रहे हैं। मैं यह कहूंगा कि आज हमको अपने ऊपर ही निर्भर रह कर कार्य करना होगा। हमको दूसरे देशों से साधन मंगवाने की कोई जरूरत नहीं है। जिन साधनों की हमको आवश्यकता है वे हमें यहीं पर ही पैदा करने होंगे। अगर हम स्वावलम्बी होना चाहते हैं वह हम अपने देश के अन्दर ही पूंजी उपार्जन करके हो सकते हैं।

इनके अलावा दो तीन और भी लक्ष्य हमारे होने चाहियें मैं उनके बारे में थोड़ा सा कहना चाहता हूं। हमको बेरोजगारी कम करने की ओर भी ध्यान देना होगा। आज यह कहा जाता है कि बैकलाग आफ अनएम्प्लायमेंट है। मैं यह कहूंगा कि कम से कम डेढ़ करोड़ नौकरियां आपको नई पैदा करनी होंगी तीसरी योजना के आखिर तक इसके पहले अगर हम यह सोचें कि हम बेरोज़गारी को खत्म कर सकते हैं तो मैं समझता हूं यह गलत है, यह हो नहीं सकता है।

[श्री कासलीवाल]

आखिर में मैं यह कहना चाहता हूं कि शिक्षा का विस्तार हो। हमारे विधान में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल (निदेशतत्व) में यह कहा गया है कि दस वर्ष के आखिर तक हम शिक्षा का विस्तार इस किस्म से करेंगे, इस ढंग से करेंगे। मगर आज क्या इस विषय में हो रहा है, मैं यह पूछना चाहूंगा? मैं नहीं समझ पाया हूं कि हमारा शिक्षा मन्त्रालय क्या कर रहा है? वह इस बात पर सोचता ही नहीं मालूम देता है। वह सोचता ही नहीं है कि फलां वक्त तक हम छः से ग्यारह या छः से चौदह बरस तक के बच्चों को पूरे तौर पर शिक्षा दे सकेगा।

अब सवाल पैदा होता है कि क्या हम इन सब चीजों को कर सकेंगे, क्या हम इन सब लक्ष्यों को पूरा कर सकेंगे। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के बारे में जो पहली चीज़ मेरे दिमाग में आती है, वह निर्यात के बारे में आती है। जब तक हम एक्सपोर्ट नहीं करेंगे और काफी मात्रा में नहीं करेंगे तब तक हमारे पास काफी विदेशी विनिमय नहीं आने वाली है। इस वास्ते निर्यात के अन्दर वृद्धि होना लाजिमी है। कई किस्म की चीज़ों का निर्यात हो सकता है। अगर कृषि उत्पादन के अन्दर हम वृद्धि करने में सफल हो जायें, तो मैं यह कह सकता हूं कि हम खाद्यान्नों का भी निर्यात कर सकते हैं। चाय का जो निर्यात हम कर रहे हैं उसके अन्दर भी वृद्धि हो सकती है। इस तरह से दूसरी चीज़ों के निर्यात के अन्दर भी वृद्धि हो सकती है। हमारे यहां जो सिमेंट बन रहा है, उसको भी हम निर्यात कर सकते हैं। लोहे और फौलाद के जो कारखाने तैयार हो गये हैं और उनके अन्दर जो लोहा और फौलाद तैयार होगा, उसका भी निर्यात होना चाहिये। इसी तरीके से जो आयात है, उसके अन्दर हमको कमी करनी पड़ेगी। आयातिता चीज़ों का उत्पादन हमें यहां ही करना होगा ताकि उन्हें विदेशों से मंगाने की आवश्यकता न पड़े। मैं तो यह भी कहूंगा कि जो चीज़ें और जितनी चीजें आज आयात की जा रही हैं उन पर भी हमको सख्ती से रोक लगानी होगी।

खाद्यान्नों के अन्दर जो स्टेट ट्रेडिंग का मैं ने स्वागत किया है। मैं यहां यह भी कहना चाहता हूं कि हमें यहीं रुकना नहीं है, मगर हमको स्टेट ट्रेडिंग को और रास्तों के अन्दर ले जाना है। स्टेट ट्रेडिंग का कदम उठाना है, एक्सपोर्ट व्यापार के अन्दर ही नहीं बल्कि अन्दरूनी व्यापार के अन्दर भी। हमें भी पता लगना चाहिये कि कौन से बड़े बड़े एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट हाउसेज हैं जो कि हर किस्म का मुनाफा कमाते हैं। इसका व्यौरा आज तक हमारे सामने नहीं आया। मैं चाहता हूं कि सरकार इस ओर ध्यान दे कि एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट हाउसेज किस तरीके से मुनाफा उठा रहे हैं ताकि वह मुनाफा स्टेट ट्रेडिंग के जरिये आम जनता के काम में लाया जा सके।

एक दो चीजें और हैं जिनके ऊपर मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मसलन जो हमारी अतिरिक्त जनशक्ति है, उसका क्या इस्तैमाल हो? मेरा विचार है कि पूंजी उपार्जन के लिये हमको पूर्ण रूप से लाभ उठाना चाहिये और पूरी तरह पर जनशक्ति को काम पर लगाना चाहिये। कई चीजें हैं जैसे कुएं खोदना, बावलियां बनाना, नदियों के बांध बनाना, और भी बहुत सी चीजें हो सकती हैं, मैं कहां तक गिनाऊं? उनको मैं उस समय कहूंगा कि जब तक पंचवर्षय योजना के सम्बन्ध में वार्तालाप होगा, चाहे वह प्लैनिंग कमीशन में हो या और कहीं। इसके ऊपर हमें पूरी तौर से ध्यान देना चाहिये। साथ ही मैं यह भी कहूंगा कि हमें आत्म संयमी भी होना चाहिये हमें आस्टेरिटी को अपनाना होगा। आज हमारे यहां जो रुपया जाया हो रहा है, जो लीकेजेज हैं, उनको पकड़ा जाना चाहिये।

मैंने अपनी राय के मुताबिक यह थोड़ी सी बातें तृतीय पंचवर्षीय योजना की बाबत कहीं। मैं यह कह देना चाहता हूं कि यदि तृतीय पंचवर्षीय योजना अपनाई गई तो इसम शक नहीं है, जैसा कि राष्ट्रपति महोदय ने भी कहा, कि हमारी एकानमी स्वाश्रयी हो जायेगी। हमने सामाजिक न्याय

का दावा किया है, हमने आर्थिक समानता का बीड़ा उठाया है, और देश की जनता से हमारा वादा है कि हमने जो दावे किये हैं उनको पूरा करके रहेंगे ।

एक माननीय सदस्य : आपके वादों की क्या कीमत है ?

श्री कासलीवाल : यह आपको मालूम है और आप सदन में रोज देखते हैं कि उनकी बहुत बड़ी कीमत है ।

श्री वाजपेयी (बलरामपुर) : इसमें हमें कोई शक नहीं ।

एक माननीय सदस्य : आपके वादों की क्या कीमत है ?

श्री वाजपेयी : वह तो अनमोल है; उसकी कोई कीमत नहीं है ।

श्री कासलीवाल : जो कुछ राष्ट्रपति महोदय ने कहा है वही मैं भी कहूंगा कि हमारी विकास योजनाओं को पूरा करने के लिये सारे देश की जनता शामिल हो जाये । मैं सबको आह्वान देता हूं, निमन्त्रण देता हूं कि वे राष्ट्र के निर्माण में आगे बढ़ें, हमारा हाथ बटायें, देश की जनता की आर्थिक उन्नति के लिये साथ दें । मैं यहां पर उस महान् कवि की लाइनों की याद दिलाना चाहता हूं जो कि उन्होंने वैसे तो किसी और समय के बारे में कही थीं, लेकिन वे यहां पर भी ठीक हैं । वे लाइनें यह हैं :

"हम कौन थे, क्या हो गये हैं और क्या होंगे अभी,
आओ विचारें आज मिल कर यह समस्यायें सभी ।"

इतना ही कह कर मैं उपरोक्त प्रस्ताव सदन के सामने पेश करता हूं ।

†**श्री जोकीम आल्वा** (कनारा) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे इस प्रस्ताव का अनुमोदन करने का अवसर दिया । मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि हमारे राष्ट्रपति जापान, मलाया और इंडोनेशिया का दौरा करने गये और उन्होंने वहां पर अपनी भावनाओं का प्रसार किया । हमें यह भी जानकर प्रसन्नता हुई कि उनको ब्रिटेन आदि पश्चिमी देशों में भी आमंत्रित किया गया है । हम उनकी इन सभी पयर्टनों में सफलता की कामना करते हैं ।

पिछले वर्ष में भारत में कुछ प्रतिष्ठित व्यक्ति जिनमें एडिनबरा के ड्यूक भी थे, आये और हमने उन्हें बताया कि हम अपने अतिथियों का किस प्रकार सम्मान करते हैं । सरकार की आर्थिक नीति के बारे में श्रीकासलीवाल बहुत कुछ कह चुके हैं और मैं उस बारे में अधिक कुछ कहना नहीं चाहता हूं ।

राष्ट्रपति ने भूमि के बारे में किये जाने वाले सुधारों का जिक्र किया । मुझे उसकी बड़ी प्रसन्नता है और इस नीति को सरकार को ही लागू करना है । नागपुर के कांग्रेस अधिवेशन में दो बड़े महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास किये गये जो सहकारिता और अधिकतम भूमि के बारे में थे । हमें यदि अपने उद्देश्यों की पूर्ति में सफलता प्राप्त करनी है तो इन प्रस्तावों को कार्यान्वित करना ही होगा । ८ फरवरी के 'डान' में एक समाचार है कि ईरान में सरकार ने २३०० गांवों की भूमि लेली है जिसका वितरण किसानों में किया जायेगा और सहकारिता के आधार पर खेती होगी । जब ईरान जैसे सामन्तवादी देश में ऐसा किया जा सकता है, पाकिस्तान

†मूल अंग्रेजी में

[श्री जोकीम आल्वा]

में ५०० बीघे भूमि की सीमा निर्धारित की जा सकती है तो क्या कारण है कि हमारे लोकतंत्रीय राज्य में सहकारिता के आधार पर खेती की नीति को प्रोत्साहन न मिले। पदयात्रा करते समय संसद सदस्यों को अनुभव हुआ है कि जिन गावों में भूमि के मालिक ५० लोग हैं उन गांवों के लोगों में, वहां के लोगों की तुलना अधिक संतोष है जहां सारे गांव का एक ही व्यक्ति मालिक है।

तीसरी पंचवर्षीय योजना १०,००० करोड़ रुपये की बनाई गई है। वित्तीय विशेषज्ञ प्रो० काल्डोर का कहना है कि हमारे देश में राष्ट्रीय आय के दस प्रतिशत पर कर लगा है जबकि अमरीका में २० से ३० प्रतिशत तथा लंका में ११ प्रतिशत कर लिया जाता है। हमें और अधिक धन इकट्ठा करना होगा ताकि गांवों के गरीब लोगों में उसका वितरण किया जा सके और समस्त समाज का स्तर एक हो जाये अथवा अव्यवस्था की सर्वदा संभावना रहेगी। इसीलिए गांवों में सहकारिता के आधार पर खेती करने की नीति को लागू करना नितांत आवश्यक है। हमने रूस के सामूहिक फार्मों और चीन के सहकारी फार्मों के बीच एक रास्ता निकाला है। मैंने रूस के सामूहिक फार्मो को देखा है। रूस के एक फार्म पर जो खाना खाने को मुझे मिला वैसा खाना मुझे संसार के किसी भी स्थान पर भी अब तक नहीं मिला है। अपने फार्मों में उन्होंने सब तरह की और बहुत बढ़िया चीजें उगा रखीं हैं।

चीन में गया नहीं हूं परन्तु १० नवम्बर, १९५८ के न्यूयार्क टाइम्स में चीन की प्रगति के बारे में बताया है। उसमें दिया है कि लैनचाओ, एशिया का शिकागो बन रहा है। कनाडा के टोरेन्टो विश्वविद्यालय के प्राफैसर डा० जे० तुजो विन्सन ने लिखा है कि चीन में धर्म का स्थान कर्त्तव्य परायणता ने अधिक ले लिया है। हमें हिंसा से दूर रह कर प्रेम तथा अहिंसा के मार्ग पर चल कर भूमि संबंधी सुधार करने हैं जिससे देश की नींव ठोस हो जाये।

जहां तक सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्रों का संबंध है, मैं हिन्दुस्तान मशीन टूल्स फैक्टरी के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। जब हम उस फैक्टरी को देखने गये थे उस समय प्रबन्ध निदेशक ने हमें बताया था कि वहां पर भ्रष्टाचार, नौकरशाही आदि कुछ नहीं है और कोई हानि भी नहीं है। मैं यही चाहता हूं कि जब इस कारखाने की इतनी प्रगति हुई है तो हमें इस आदर्श को सामने रख कर कारखाने बनाने चाहिए।

श्री मनुभाई शाह ने हमें बताया था कि १९६०-६१ तक सीमेंट, चीनी, कपड़े, उर्वरक इस्पात तथा लोहे के बहुत से कारखाने बना लिए जायेंगे और हम प्रयत्न कर रहे हैं कि इन सभी वस्तुओं में आत्मनिर्भर हो जायें। मंत्रालय ने जो ज्ञापन हमें दिया है उसमें बताया गया है कि रूस तथा चेकोस्लोवाकिया की सरकार ने भारी संयंत्रों को स्थापित करने के लिए हमारी सहायता की है। हमें प्रसन्नता है कि उनकी सहायता से भिलाई और रूरकेला के संयंत्रों की स्थापना की जा सकी है।

विदेश नीति के सम्बन्ध में कहते हुए मैं श्री स्टैवैन्सन के एक भाषण की ओर ध्यान दिलाता हूं जिसका उल्लेख २०–१०–५८ के "न्यूयार्क टाइम्स" में किया गया है। उन्होंने रूस के अपने दौरे के पश्चात कहा कि यह समझना ठीक नहीं है कि रूस की वर्तमान व्यवस्था चल नहीं सकती। चीन भी बहुत बड़ा और शक्तिशाली देश है जो दिन पर दिन प्रगति कर रहा है। यह सोचना भी बिल्कुल गलत है कि सोवियत की पद्धति समाप्त होने वाली

हैं। श्री स्टीवैन्सन ने कहा कि दुनियां के लोगों को एक साथ रहना होगा या एक साथ खत्म होना होगा। उन्होंने कहा कि एक देश से दूसरे देश में यातायात, व्यापार और सांस्कृतिक आदान-प्रदान को प्रोत्साहन देना बहुत जरूरी है। हमारे प्रधान मंत्री ने इस बात को दस वर्ष पूर्व समझ लिया था और तभी अपनी इस विदेश नीति को अपनाया था। आज रूस में भारतीयों का जितना मान होता है उतना और किसी भी देश में नहीं होता। ऐसा केवल इसीलिये होता है क्योंकि हमारी नीति शांति की सर्जक है और युद्ध को प्रोत्साहन नहीं देती है।

गोआ के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। क्योंकि हमारी शान्ति नीति इस सम्बन्ध में भी एक दिन रंग लायेंगी। ऐसी हमारी धारणा है।

१९५६ में मैंने कहा था कि १९५७ तक पाकिस्तान में एशिया का सबसे बड़ा विमान बल बन जायेगा। हमें अफसोस है कि हमारे साथ उनके सम्बन्ध अच्छे नहीं रहे हैं। पाकिस्तान अपनी सैनिक शक्ति बढ़ाता जा रहा है। भारत के विरुद्ध विष उगलना उसकी नीति है। हम तो अपनी शांति की नीति ही अपनाना चाहते हैं। अमरीका पाकिस्तान को जो सैनिक सहायता दे रहा है, उसका बड़ा बुरा प्रभाव पड़ रहा है। यदि पाकिस्तान ने युद्ध का सहारा लिया तो मैं कह सकता हूं कि रूस की सैनिक शक्ति पाकिस्तान को एक दम नष्ट भ्रष्ट कर देगी। पाकिस्तान के लोगों में और हमारे लोगों में घनिष्ठ सम्बन्ध रहे हैं इसलिये मैं नहीं चाहता कि उनका कुछ नुक़सान हो। मैं तो चाहता हूं कि भारत को पूर्वी पाकिस्तान से पटसन, अंडे आदि अधिक मात्रा में खरीदने आरम्भ कर देने चाहिए जिससे उनकी आर्थिक दशा ठीक हो जाये। मैं समझता हूं कि इसके बाद नहरी पानी तथा अन्य प्रकार के सभी विवाद समाप्त हो जायेंगे।

कुछ माननीय सदस्यों, अर्थात श्री भरूचा, श्री गोरे, श्री नाथपाई, श्री जाधव तथा श्री चावन ने मैसूर–बम्बई सीमा विवाद का प्रश्न उठाया। मैं बताना चाहता हूं कि सरकार चुपचाप नहीं बैठी है। चाहे सीमा विवाद हल हों या न हो हमें आपस में एक दूसरे का सिर फोड़ने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। कोई भूमि-खंड इस राज्य में हो या उस राज्य में, इस के प्रश्न को देश से अधिक महत्व नहीं दिया जाना चाहिए।

†**अध्यक्ष महोदयः** प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ। जो माननीय सदस्य इस प्रस्ताव पर अपने संशोधन प्रस्तुत करना चाहें, वे अपने संशोधनों की संख्या सभा-पटल पर दे दें। यदि वे नियमानुकूल हुए तो मैं उन्हें प्रस्तुत मान लूंगा।

†**श्री श्री अ० डांगे** (बम्बई नगर––मध्य): मुझे तो इस अभिभाषण में जो चीज सबसे ज्यादा खटकी है, वह है इसकी उत्साहहीन भावना। इसे सुनने से मन में कोई उत्साह ही पैदा नहीं होता। लगता है, जैसे टैण्डरों का कोई विज्ञापन पढ़ रहे हों, या कोई सरकारी सूचना पत्र उसमें भूत, वर्तमान और भविष्य की कोई झांकी ही नहीं मिलती। पिछले वर्ष के कार्यों का कोई लेखा-जोखा ही नहीं किया गया है, और कहीं थोड़ा सा है भी, तो उसमें कई महत्वपूर्ण त्रुटियों पर पर्दा डालने की ही कोशिश की गई है।

अभिभाषण में बड़े गर्व से कहा गया है कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई है। गर्व की बात भी है। लेकिन यह भी बताया जाना चाहिये कि राष्ट्रीय आय की यह वृद्धि जनता के किस तबके की जेब में गई है? यदि हम इसकी विवेचना करें तो स्पष्ट हो जायेगा कि इस

†मूल अंग्रेजी में

[श्री श्री अ० डांगे]

वृद्धि की राशि का अधिकाधिक भाग एकाधिकारी पूंजीपतियों की जेबों में जा रहा है । मेहनतकश जनता को कोई भी लाभ नहीं हो रहा है। यदि इसे रोका नहीं गया, तो हमारी अर्थ-व्यवस्था बड़े संकट में पड़ जायेगी। इसका अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है।

पिछले वर्ष अभिभाषण में देश की मूलभूत कठिनाई विदेशी मुद्रा का संकट बताया गया था। जबकि सही चीज़ यह थी कि पूंजीवादी देशों में मन्दी आ गई थी और वे हमें कुछ राजनीतिक शर्तों पर ही सहायता देने को तैयार थे। दुःख की बात है कि अभिभाषण में कहा गया है कि विदेशी सहायता बिना किसी राजनीतिक शर्त के दी गई थी। यह बात क्यों भुला दी गई है कि विश्व बैंक और अमरीकी मिशन ने अमरीकी सहायता के लिये यह पहली शर्त रखी थी कि उस सहायता की राशि को सरकारी क्षेत्र के उद्योगों के विकास में नहीं लगाया जायेगा। अमरीकी राशि निजी मुनाफे खोरों के मुनाफे बढ़ाने के लिये ही प्रयोग की जानी है। यह राजनीतिक शर्त नहीं तो और क्या है? विश्व बैंक हमारे देश के औद्योगिक सम्बन्धों को अपने हिसाब से चलाना चाहता है। क्या यह राजनीति नहीं है? वह हमारे देश को एकाधिकार पूंजीवादी की ओर ले जाना चाहता है । इसीलिये देश में निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र में महत्व के बारे में एक बहस छिड़ गई थी, और प्रधान मंत्री को निजी क्षेत्र की निन्दा करनी पड़ी थी। अभिभाषण में इस बहस की ओर कोई इशारा भी नहीं है।

क्या इसका अर्थ यह है कि मंत्रिमंडल के सदस्य स्वयं ही इस समस्या के बारे में एक मत नहीं है? अभिभाषण में केवल कुछ बने-बनाये वाक्य ही दोहराये गये हैं, यह नहीं बताया गया कि भविष्य में हमारी अर्थ-व्यवस्था किस दिशा में प्रगति करेगी? सरकारी क्षेत्र पर अधिक जोर दिया जायेगा या निजी क्षेत्र पर? अभिभाषण में इसका इशारा भी नहीं मिलता कि सरकारी क्षेत्र को प्राथमिकता दी जायेगी। इसमें कांग्रेस दल के नागपुर अधिवेशन के संकल्प की गूंज भी नहीं सुनाई देती।

क्या उस नीति पर अमल किया जायेगा? संदेह इसलिये होता है कि माननीय वाणिज्य मंत्री ने अभी कुछ दिन पहले इंजीनियरिंग और मशीनी औजारों जैसे महत्वपूर्ण उद्योगों के लिये भी निजी क्षेत्र को दावत दी है । यदि ऐसा हुआ तो हमारी अर्थ-व्यवस्था बड़े संकट में पड़ जायेगी ।

इन दोनों क्षेत्रों का परस्पर टकराव काफी गम्भीर बन गया है । सरकार पहली बाजी तो हार ही चुकी है । सरकार विदेशी मुद्रा की बचत करने की दृष्टि से मिट्टी के तेल के आयात में पांच प्रतिशत कटौती करना चाहती थी, लेकिन सभी तेल समवायों ने उसका विरोध करके और जनता को सरकार के खिलाफ उभार कर, सरकार को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया है । इस प्रकार निजी क्षेत्र के विदेशी एकाधिकारियों ने सरकार पर विजय प्राप्त कर ली है । फिर भी कुछ माननीय सदस्य ऐसे भी हैं जो तेल के अनुसंधान का सारा कार्य निजी क्षेत्र को ही सौंप देने की वकालत करते हैं । वे इस देश की अर्थ-व्यवस्था और इस देश के दुश्मन हैं ।

इन दोनों क्षेत्रों के इस संघर्ष में, हमारे देश के निजी क्षेत्र को अमरीका और इंग्लैण्ड के निजी पूंजीपतियों की सहायता मिल रही है । यदि यह चलता रहा, निजी क्षेत्र इसी तरह सरकार को पीछे हटने पर विवश करता रहा तो हम कभी भी वे उद्योग खड़े नहीं कर सकेंगे जो राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था की नींव मजबूत करते हैं ।

अभी हाल में अमरीका ने हमारे देश को सात करोड़ रुपये के मूल्य के कुछ पुराने मशीनी औजारों का उपहार दिया था। उसका असर क्या पड़ा है? रेलवे मंत्रालय अब उन्हीं मशीनी औजारों को उपयोग में ला रहा है और हमारा 'दी हिन्दुस्तान मशीन टूल्स' का उत्पादन, मांग कम होने के कारण, अब कम किया जा रहा है। यदि ऐसे ही उपहार मिलते रहे, तो वह बन्द भी कर दिया जायेगा।

अमरीका इस तरह हमारे देश के उन्हीं उद्योगों को चोट पहुंचा रहा है जो हम द्वितीय योजना में खड़े करना चाह रहे हैं। फिर सरकारी क्षेत्र का विकास कैसे होगा?

हमें ऐसे उपहार नहीं लेने चाहिये जिनसे हमारे बुनियादी उद्योगों के विकास में बाधा पड़ती हो।

उदाहरण के लिये, अब हमें औषधियों के पेटेन्ट के लिये रायल्टी अदा करनी पड़ेगी। इस पर भी एक माननीय मंत्री चाहते हैं कि कोई अमरीकी फर्म हमारे यहां औषधि-निर्माण की फैक्टरी लगा दे, चाहे हमें उसके पेटेन्टों के लिये रायल्टी ही क्यों न देनी पड़ी। हम रूस का प्रस्ताव क्यों नहीं मानते जो हमारे यहां बिना किसी रायल्टी की शर्त के औषधि-निर्माण की फैक्टरी खड़ी करने को तैयार है? हमारे कुछ मित्र, समाजवाद की दुहाई देते हुए, विदेशी एकाधिकारियों की सहायता करना चाहते हैं। यह तोड़-फोड़ की नीति बन्द की जानी चाहिये।

अब खाद्यान्नों और उनके मूल्यों का प्रश्न लीजिये। हम प्रथम पंचवर्षीय योजना के आरम्भकाल से ही कहते आ रहे हैं कि देश की जनता भमि-सीमा का निर्धारण चाहती है। सरकार ने द्वितीय योजना में भी इसे नहीं माना। उसका तर्क था कि इस प्रश्न पर गृह-युद्ध तक छिड़ सकता है। लेकिन अब कांग्रेस दल ने स्वयं ही उसके लिये संकल्प पारित किया है। लेकिन इस अभिभाषण में उसका जिक्र भी नहीं है।

अभिभाषण में 'भूमि-सुधार' शब्द को अस्पष्ट रखा गया है। भूमि-सीमा निर्धारण के बारे में कुछ कहा ही नहीं गया। माननीय मंत्रिगण स्वयं इसके बारे में एकमत नहीं हैं। इसीलिये उसे अस्पष्ट भाषा में रखा गया है। भारत सरकार को भूमि-सीमा के बारे में शीघ्र ही कोई निर्णय करना चाहिये। खाद्य-स्थिति में तब तक कोई सुधार नहीं हो सकता जब तक किसानों को भू-स्वामियों और पूंजीपतियों के शोषण से मुक्त नहीं किया जाता। लेकिन यहां तो हालत ही अजीब है: कांग्रेस संगठन एक बात कहता है और कांग्रेसी मंत्री उसकी काट करते रहते हैं।

लेकिन ऐसे काट करने वाले लोग ही राज्यों और केंद्र में अपना बहुमत बनाये हुए हैं। आप संकल्प चाहे जो पारित करते रहिए। प्रधान मंत्री जो चाहे कहें, पर मंत्रिगण उसकी कार्यान्विति में उसे असफल बना देते हैं। इसीलिये हमारा देश और हमारी योजनायें रसातल की ओर जा रही हैं। अभिभाषण में इसका कोई भी उल्लेख नहीं है।

फिर, खाद्यान्नों के मूल्यों और थोक व्यापार के क्षेत्र में भी मखौल किया जा रहा है। पता नहीं सरकार उसे अपने हाथ में लेने से क्यों हिचकती है। स्पष्ट सी चीज है कि किसानों से खाद्यान्न खरीदने का काम बहुत बड़े-बड़े व्यापारी नहीं करते, बल्कि उनके मुनीम लोग ही करते हैं, जिन्हें ५०, ६० या ज्यादा से ज्यादा १०० रुपये तनख्वाह मिलती

[श्री श्री० अ० डांगे]

है। सीधी सी बात है कि सरकार उन मुनीमों को सरकारी नौकरी में ले लें और वे सरकार के लिये खाद्यान्न खरीदने लगें। बड़े-बड़े व्यापारी तो केवल सट्टा करते हैं।

कपास के क्षेत्र में लान्लीज और रैलीस निजी समवाय काफी बड़ा व्यापार करते थे। उनकी ओर से भी सारी खरीद उनके मध्यवर्गीय एजेन्ट ही किया करते थे। बड़े-बड़े लोग तो केवल बैंकों के अपने लेखों और ऋणों से ही मतलब रखते हैं। सरकार बैंको के ऋणों और खाद्यान्नों के स्टोरों को अपने हाथ में ले सकती है। सरकार उन सभी एजेन्टों को अपनी नौकरी में रख सकती है। इस तरह सारे थोक व्यापार को सरकार अपने हाथ में ले सकती है। सभी मुनीमों और एजेन्टों को नौकरी मिल ही जायेगी। फिर गृह-युद्ध की धमकी कौन देगा? कुछ मुट्ठी भर स्टोरिये? यदि सरकार इन मुट्ठी भर स्टोरियों को ठीक नहीं कर सकती, तो जनता कर देगी। लेकिन सरकार इस संबंध में कुछ भी नहीं कर रही है।

अभिभाषण में इस बात पर बड़ा सन्तोष प्रकट किया गया है कि मजदूरों ने अनुशासन की सभी बातों को स्वीकार कर लिया है। लेकिन सरकार को इस बात की कोई भी चिन्ता नहीं है कि बड़े-बड़े उद्योगपति अनुशासन भंग कर रहे हैं। क्या सभा जानती है कि हमें पिछले साल इस्पात की कमी के कारण चार लाख टन इस्पात का आयात करना पड़ा था, लेकिन पिछले ही साल बर्नपुर में दो भट्टियां बन्द कर दी गई थीं, जो तीन लाख टन इस्पात तैयार करती थीं। भट्टियों को बन्द करने का कारण यह बताया गया था कि कारखाने में एक दूसरी और भी नवीनतम ढंग की भट्टी लगाई जाने वाली थी। उससे सात सौ मजदूर बेरोजगार हो गये थे योजना आयोग को यह बात मालूम ही नहीं है, हालांकि और सभी मंत्रालय जानते हैं। क्या इसी को योजनीकरण कहते हैं? मजदूर वर्ग के साथ ऐसा ही भौंडा बर्ताव किया जा रहा है। सभी आयोग—वेतन आयोग, सूती वस्त्र आयोग, चीनी आयोग इत्यादि—सभी कानों में तेल डाले बैठे हैं। मजदूरों की शिकायतों और उनकी मांगों पर कोई ध्यान ही नहीं देता।

इसी तरह गंगा बांध योजना हम सबके लिये बड़े गर्व की चीज है। लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ? बांध के निर्माण में लगे हजारों मजदूर अब बेरोजगार घूम रहे हैं। उनकी जीविका का कोई साधन ही नहीं रह गया है। कोई भी मंत्री उनकी परवाह नहीं करता। उनको यह आश्वासन भी नहीं दिया जाता कि बरौनी परिष्करिणी के निर्माण के लिये उनको काम पर रख लिया जायेगा। तब फिर, ऐसी हालत में, मजदूर वर्ग में इन परियोजनाओं के लिये कोई भी उत्साह कैसे पैदा हो सकता है?

इसी तरह कर्मचारी राज्य बीमा योजना से प्राप्त करोड़ों रुपया राष्ट्रीय योजना में लगाया जा रहा है, पर मजदूरों के लिये अस्पताल नहीं बनवाये जाते। तब फिर मजदूर वर्ग इस योजना के लिये अपना पेट क्यों कटवायें? हमारी सारी विकास योजनाओं में ऐसी ही अराजकता फैली हुई है।

मजदूरों ने मांग की थी कि उच्चतम न्यायालय को मालिकों के कहने पर, मजदूरों की मांगें ठुकराने से रोका जाये। इस सिलसिले में भी कुछ नहीं किया गया है।

†**अध्यक्ष महोदय**: क्या उच्चतम न्यायालय को अनुदेश जारी कर दिये जायें?

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री श्री० अ० डांगे : सुझाव यह था कि औद्योगिक विधियों को इस प्रकार का रूप दिया जाये कि ऐसे मामलों की अपील उच्चतम न्यायालय में न हो सके ।

मजदूरों की तनखाहें इतनी कम हैं, फिर भी एक ऐसी योजना थोपी जा रही है जिस पर हमें करोड़ों खर्च तो करने पड़ेंगे, लेकिन जिससे हमें रत्ती भर भी लाभ नहीं होगा। यह बड़ी खतरनाक नीति है । कुछ उद्योगों में घाटा उठाकर भी निर्यात करने की छट दी जा रही है, और उस घाटे को सरकार अपने कोष से पूरा करेगी । चीनी उद्योग और सूती वस्त्र उद्योग को ऐसी ही छूट दी जा रही है । इस तरह सरकार की सारी नीति निजी मुनाफेखोरों को लाभ पहुंचाने और किसान मजदूरों को हानि पहुंचाने की है । इस नीति को ठीक किया जाना चाहिये ।

इसी तरह सरकार बम्बई के दोभाषी राज्य से सम्बन्धित प्रश्न पर भी गुजरात और महाराष्ट्र की जनता की मांग अनसुनी कर रही है । लेकिन जनता कमर कसे हुए है और यदि उसकी मांग नहीं मानी जायेगी तो वह उचित, शान्तिपूर्ण और संवैधानिक, लेकिन प्रभावशाली ढंग से अपना संघर्ष जारी रखेगी । साथ ही सीमाओं का प्रश्न भी सुलझाया जाना चाहियें । आशा है संसद् इस सत्र में इन दोनों ही प्रश्नों पर विचार करेगी ।

साथ ही, हमें सेवाओं के प्रति भी यह सतर्कता रखनी चाहिये कि कार्यक्रम और ईमानदार लोग आगे बढ़ें, और अक्षम और बेइमान कर्मचारियों की छंटनी होती चले । सरकार अभी इसके प्रति सतर्क नहीं है ।

इसी सिलसिले में श्री एम० ओ० मथाई का मामला सामने आता है । यहां मैं सभा के विशेषाधिकार से सम्बन्धित उसका पहलू नहीं ले रहा हूं ।

मैं यह पूछता हूं कि अमरीकी सेवाओं का वह आदमी प्रधान मंत्री के सचिवालय में सीधा इतने बड़े पद पर कैसे पहुंच गया ? क्या सरकार ने उसके पहले जीवन के बारे में कोई भी जांच-पड़ताल नहीं कराई थी ? इसका सारा दोष गृह-कार्य मंत्रालय को है, जिसने इस मामले में १९४८ से ही सर्व सतर्कता नहीं रखी । यह काम गृह-कार्य मंत्रालय का ही था प्रधान मंत्री का नहीं । प्रधान मंत्री ने तो इस मामले में बड़ी साफ़गोई से काम लिया है ।

रेलवे मंत्रालय और गृह-कार्य मंत्रालय सिर्फ छोटे-मोटे, साधारण मज़दूरों और कर्मचारियों के लिये ही बड़े सख्त बने रहते हैं ।

लेकिन जब कोई सरकारी अधिकारी किसी बड़े महत्वपूर्ण पद पर पहुंच जाता है, तो उसकी कार्यवाहिओं पर कोई भी नज़र नहीं रखी जाती । उस साठ गांठ में मंत्री लोग भी शामिल होने लगते हैं ।

गृह-कार्य मंत्रालय को सिर्फ देश के कम्युनिस्टों, प्रजा सोशलिस्टों, और यहां तक कि उनसे मिलने वाले कांग्रेस मैनों की ही परवाह रहती है ? लेकिन गृह-कार्य मंत्रालय उस समय कहां सो रहा था जब अमरीकी रेडक्रास संस्था में काम करने वाला यह आदमी इतने महत्वपूर्ण पद पर चुपके से पहुंच गया ?

गृह-कार्य मंत्रालय ने इस आदमी की देश भक्ति और निष्ठा की भावना की छान-बीन क्यों नहीं की ?

[श्री श्री० अ० डांगे]

किसी ने भी यह सतर्कता नहीं रखी कि श्री एम० ओ० मथाई के पास ६ लाख रुपये कहां से आये। उन्हें तो सिर्फ छोटे-मोटे क्लर्कों के पीछे पड़ने की लगी रहती है ?

मैं यह नहीं कहता कि श्री मथाई पंडित नेहरू की राजनीतिक नीतियों को भी प्रभावित कर सकते थे। लेकिन श्री मथाई के बाहरी सम्बन्ध तो इतने खतरनाक थे।

इसीलिये मैं ज़ोर दे कर कहता हूं कि हमें इस सम्बन्ध में, सेवाओं के मामलों में, सतर्कता रखनी चाहिये। अच्छे आदमियों, कर्मचारियों, को आगे बढ़ाना चाहिये।

†**श्री याज्ञिक** (अहमदाबाद) : यह बड़े आश्चर्य और खेद का विषय है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में कि द्विभाषी बम्बई राज्य में गुजरात में गत अगस्त में घटनायें हुईं उसका कोई उल्लेख नहीं किया गया है। अभी गुजरात के लोगों के अगस्त १९५६ के घाव भरे नहीं थे कि वहां एक और दुर्घटना हो गयी और महा गुजरात प्राप्त करने के लिये पांच युवकों को अपना बलिदान देना पड़ा। हमें इस बात का बड़ा दुःख है और हम इस बात को भूल नहीं सकते कि प्रधान जैसे व्यक्ति ने महा गुजरात जनता परिषद् पर तानाशाही प्रवृत्तियों का आरोप लगाया है। जैसा कि आपको पता है कि विवाद १९५६ के शहीदों का स्मारक बनाने के बारे में था। ८ अगस्त, १९५८ को जो जलूस हमने निकाला वह एक शांति पूर्ण प्रदर्शन था। हम जिस जगह स्मारक स्थापित करना चाहते थे वह नागरिकों की जगह थी। मेयर ने उस जगह स्मारक स्थापित करने से इन्कार कर दिया और ऐसा करने से उसने निगम से कोई परामर्श नहीं किया। खैर हम लोगों को तो वहां स्मारक बनाना ही था। मैंने मुख्य मंत्री को इस बारे में लिखा भी था कि वह हस्तक्षेप न करें और हमें नगर निगम की जगह में स्मारक बनाने दे। हमें अभी तक उस पत्र का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

यहां गुजरात परिषद के सदस्य अहमदाबाद गोली दुर्घटना में मरे शहीदों का स्मारक बनाने की ही मांग कर रहे थे। यह शहीद महा गुजरात एक भाषी राज्य की प्राप्ति के शांतिपूर्ण सत्याग्रह कर रहे थे, जब कि गोली का शिकार हो गये।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : क्या माननीय सदस्य को पता है कि इस सम्बन्ध में कोई जांच हो रही है और मामला अदालत के समक्ष है ?

†**श्री याज्ञिक** : गोली चलाने की जिम्मेदारी किस पर है, इस मामले पर जांच हो रही है, परन्तु मैं उस पर कुछ नहीं कह रहा।

†**उपाध्यक्ष महोदयः** उस अवस्था में जब कि मामले पर जांच हो रही है, उस पर हमारा यहां पर चर्चा करना उचित नहीं।

†**श्री नाथवानी** (सोरठ) : इसकी बम्बई उच्च न्यायालय के न्यायाधीश श्री कोटला जांच कर रहे हैं।

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : जांच हो रही है। माननीय सदस्य और उनके मित्रों ने स्वयं उसकी मांग की थी। ८ अगस्त और इसके बाद जो कुछ हुआ इसकी जांच

---

†मूल अंग्रेज़ी में

की जानी थी; अतः जांच के अन्तर्गत ८ अगस्त और इसके बाद होने वाली सभी घटनाएं जांच के क्षेत्र में आ जाती हैं। और यह जांच उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश कर रहे हैं। जांच का कार्य चल रहा है और माननीय सदस्य के कुछ अन्य लोगों के वकील द्वारा उस दिन की दुर्घटना के सम्बन्ध में कई एक प्रश्न पूछे गये हैं। अतः इसका सम्बन्ध उस सारी कालावधि से ही है।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** मंत्री महोदय ने अभी बताया है कि माननीय सदस्य के वकील इस विषय में कई एक प्रश्न पूछते रहे हैं। अतः मैं माननीय सदस्य से प्रार्थना करूंगा कि अभी इस मामले का उल्लेख न करें। इस पर चर्चा करने के लिये भविष्य में कई अवसर हमें मिलते रहेंगे।

†**श्री याज्ञिक :** ११, १२ और १३ अगस्त की घटनाओं के पश्चात् गुजरात के लोगों में कुछ निराशा और भ्रांति उत्पन्न हो गयी। हम शांति भी रखना चाहते थे और शहीदों का स्मारक बनाने का अपना संघर्ष भी जारी रखना चाहते थे। अतः हमने जिलाधीश को सूचित करके १७ अगस्त को अपना सत्याग्रह आरम्भ किया। यह सत्याग्रह पिछले ६ महीने से शान्ति-पूर्ण ढंग से चल रहा है। हालांकि हमें उकसाने वाली बहुत कुछ घटनायें घटीं। इस सत्याग्रह का उद्देश्य शहीदों का स्मारक बनाना ही नहीं था, बल्कि इस का एक उद्देश्य यह भी था कि इस से सम्बद्ध सभी पक्षों को हम अपने विचार का बना सकें। परन्तु हैदराबाद में एक भाषण द्वारा पुनः प्रधान मंत्री ने हमारी भावनाओं पर चोट की। उन्होंने हम पर तानाशाही प्रवृत्तियों का आरोप लगाया, जो अब जांच का विषय है। उन्होंने यह कह कर एक और आघात किया कि बम्बई राज्य का अर्थ कुछ यह है कि मराठी भाषाभाषियों का गुजराती भाषाभाषियों पर प्रभुत्व रहेगा। कईयों का विचार है कि यह बात प्रधान मंत्री ने महाराष्ट्र वालों को प्रसन्न करने के लिये कही थी हमें यह सुन कर बहुत ही दुःख हुआ है। आगे चल कर उन्होंने मराठी भाषा की भी बहुत प्रशंसा की। मेरी समझ में नहीं आता कि प्रधान मंत्री ने महाराष्ट्रियों को खुश करने के लिये ऐसा करना क्यों ठीक समझा।

†**श्री मोरारजी देसाई :** श्रीमान्, मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि प्रधान मंत्री ने क्या कहा था। उन्होंने सिर्फ़ यह कहा था कि बम्बई राज्य में महाराष्ट्र वालों का बहुमत है, अतः उन्हें तो कोई शिकायत नहीं होनी चाहिये। उन्होंने प्रभुत्व होने की कोई बात नहीं कही। प्रधान मंत्री ने यह बात हमेशा कही है कि हमारे देश की सभी भाषायें राष्ट्र भाषायें हैं और उनका समान महत्व है। उन्होंने इस मामले में कभी भेद-भाव नहीं किया। और उस भाषण में उन्होंने मराठी भाषा के कोई गुण गान नहीं किये हैं।

†**श्री याज्ञिक :** उनके भाषण ने हमारी भावनाओं पर चोट की है और हमने बड़ौदा में प्रधान मंत्री की सभा के साथ ही एक सभा करके अपने रोष को प्रकट किया था। उस भाषण से हमें काफी परेशानी हुई है और इससे किसी को कोई लाभ नहीं हुआ। हमारी स्पष्ट मांग है कि महाराष्ट्र और महागुजरात एक भाषी राज्यों का निर्माण किया जाये। बम्बई कांग्रेस कमेटी के प्रधान ने भी यही मत प्रकट किया है, अतः हमारे साथ जो अन्याय हुआ है उसे दूर किया जाना चाहिये, ताकि स्थिति सामान्य रूप में आ सके। यदि महागुजरात की स्थापना हो जाये, तो हम सरकारी योजना और अथवा विभिन्न परियोजनाओं के मामले में पूरा सहयोग कर सकेंगे जो कि सारे भारत के भविष्य की एक मात्र आशा है।

†मूल अंग्रेजी में

†श्री गोरे (पूना) : श्रीमान्, आज हम, इस लोक-सभा के सदस्य, तीसरी बार राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा कर रहे हैं। मैंने जितनी बार अभिभाषण को सुना, मुझे हमेशा कुछ निराशा सी ही हुई है। हमारे राष्ट्रपति को केवल अपने मंत्रिमंडल के कारनामों पर ही प्रकाश नहीं डालना चाहिये प्रत्युत सामूहिक तौर पर राष्ट्र की आशाओं और भावनाओं को भी अपने अभि-भाषण में समुचित स्थान देना चाहिये हम समझते हैं कि अभिभाषण में अपनी महत्वाकांक्षों के साथ-साथ अपनी असफलताओं और सफलताओं के साथ अपनी कमियों का भी उल्लेख होना चाहिये। साथ ही उसमें यह भी बताना चाहिये कि देश में कहां असन्तोष पाया जाता है और किन कारणों से। परन्तु वर्तमान अभिभाषण में कुछ भी नहीं किया गया है और इस दृष्टि से राष्ट्रपति द्वारा आज तक दिये तीनों अभिभाषणों में कमियां रही हैं।

देश के प्रमुख भागों में खाद्य की कमी है परन्तु हमारी सरकार उससे अनभिज्ञ रहने में ही आनन्द का अनुभव कर रही है। बम्बई और केरल में ही नहीं, उत्तर प्रदेश, पंजाब और बिहार में भी लोग खाद्य की कमी के लिए चिल्ला रहे हैं। परन्तु हमारे खाद्य मंत्री आत्म-संतोष की भावना लिये बैठे हुए हैं, लेकिन उनकी इस भावना से हमारी स्थिति में सुधार नहीं हो सकता। क्या भविष्य में इस आधार पर किसी आशा का निर्माण किया जा सकता है हमारे यहां आज हर चीज़ के दाम बढ़ते हैं। जब हम बम्बई आदि नगरों में मिट्टी के तेल के लिये लम्बी लाइनें लगी देखते हैं तो हम सोचते हैं कि हमारी हालत बड़ी ख़राब है। यदि हम वास्तविक स्थिति को नहीं समझेंगे, यदि हम कृषि-क्षेत्र में प्रगति नहीं करेंगे और यदि इस प्रकार कीमतें बढ़ती जायेंगी तो न केवल द्वितीय योजना के शेष काल की प्रत्युत तीसरी योजना की स्थिति भी बड़ी शोचनीय हो जायेगी।

आज अवस्था यह है कि हम अपनी सिंचाई क्षमता का पूर्णरूप में प्रयोग नहीं कर रहे। जो भूमि व्यर्थ बिना सिंचाई के पड़ी है उसका उपयोग नहीं किया जा रहा। पश्चिमी और मध्य रेलवे के आस पास सैंकड़ों एकड़ भूमि बिना सिंचाई के पड़ी है। राजस्थान में लाखों एकड़ भूमि ऐसी है जहां जंगली वृक्षों को काट कर उसे खेती योग्य बनाया जा सकता है और वहां तीन मन प्रति एकड़ के हिसाब से खाद्यान्न पैदा किया जा सकता है परन्तु इस दिशा में किया कुछ भी नहीं जा रहा।

तीसरी योजना के लिये बहुत शोर किया जाता है। श्री कासलीवाल तथा श्री जोकीम आल्वा ने अपने भाषणों में इस पर बहुत कुछ कहा। लेकिन राष्ट्रपति के अभिभाषण में तीसरी योजना के बारे में शायद एक पैरा भी नहीं है, न ही उसमें खाद्य-स्थिति और बढ़ते हुए मूल्यों का जिक्र है। आप ही विचार कर यह बतायें कि यदि इस प्रकार कीमतें बढ़ती गयीं और खाद्यान्नों की कमी चलती रही तो क्या योजना सफल हो सकेगी। आज जनता के उत्साह की बात छोड़ दीजिये, स्वयं सरकारी कर्मचारियों में असन्तोष बढ़ रहा है और दूसरे वेतन आयोग को मांग की जा चुकी है। बात यह है कि लोग यह अनुभव करते हैं कि बढ़ती हुई कीमतों के कारण गुजारा नहीं हो रहा और गुजारा न होने के कारण ही पक्षपात और भ्रष्टाचार का जन्म होता है। २० महीने व्यतीत हो गये हैं और वेतन आयोग अभी विचार ही कर रहा है। यही कारण है कि दूसरे वेतन आयोग की मांग हो रही है। अतः मैं कहता हूं कि हमेशा यथार्थ को समझ थोड़ा सचेत होना चाहिए, और शीघ्र ही समुचित निर्णय करना चाहिए। निर्णय करके, उसे कार्यान्वित करने में भी देरी नहीं करनी चाहिए।

---

†मूल अंग्रेजी में

इसके अतिरिक्त देश में और भी विभिन्न कारणों से असन्तोष है, परन्तु मैं उन पर अधिक कहना नहीं चाहता। मैं काश्मीर की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट करवाना चाहता हूं। हमने काश्मीर के लिए काफी बलिदान किया है और कर रहे हैं। हमें उसी प्रकार के लोकतंत्रीय सरकार का वहां निर्माण करना है जैसी कि हमारी सरकार यहां है। आज काश्मीर के लोग यह मांग कर रहे हैं कि हमारे चुनाव आयोग का वहां भी प्राधिकार होना चाहिए और काश्मीर को भी उच्चतम न्यायालय क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत लाया जाना चाहिए। वहां से जो संसद के सदस्य संसद में आते हैं, उनका चुनाव होना चाहिए। हमें इस दिशा में सचेत होना चाहिए और शीघ्र से शीघ्र उचित कार्यवाही करनी चाहिए।

गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक की समस्याओं को मैं एक महाराष्ट्री के नाते नहीं, बल्कि राष्ट्रीय दृष्टिकोण से देखता हूं। मेरा मत यह है कि हम जितनी इसमें देर कर रहे हैं उतने ही ये मामले उलझते जा रहे हैं। यदि हम इन मामलों को सुलझा लें तो देश की एक प्रमुख समस्या हल हो सकती है। हम ५ लाख लोगों की भावनाओं से खेल नहीं सकते। मैसूर और महाराष्ट्र के सीमा विवादों के सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि यदि पाटस्कर फ़ार्मूला अन्य राज्यों के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकता है तो यहां उसकी उपयोगिता का लाभ क्यों नहीं उठाया जाता।

गोया के सम्बन्ध में राष्ट्रपति के अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं। गत दो बार से ऐसा हुआ है, शायद सरकार इस दिशा में कोई नीति निर्धारित नहीं कर सकी है। लगता है हमारी सरकार का विचार है कि मौन रहने से डा० सालाज़ार इस बस्ती का कब्जा हमारे हवाले कर देंगे। पुर्तगाल सरकार गोआ में बहुत ही महत्वपूर्ण पग उठा रही है। वहां गोआ निवासियों को पुर्तगाल रंग में रंगने के कार्यक्रम पर अमल हो रहा है और हमारी सरकार अकर्मण्यता की नीति अपना रही है। इस प्रकार चुप बैठे रहने से तो गोआ की समस्या हल नहीं होगी। यह व्यापक राष्ट्रीय समस्या है और यदि अवस्था यही रही तो आने वाले समय में गोआ भारत के लिए एक कांटे की तरह बन जायेगा।

श्रीमान, अभिभाषण की सभी ५४ बातों पर तो मेरे लिए सविस्तार कहना सम्भव नहीं। परन्तु वेतन आयोग की बात को पुन: कहना चाहता हूं। आज सरकार के सभी विभागों में एक प्रकार की अव्यवस्था है। सेवा संबंधी नियम ठीक प्रकार नहीं बने हुए हैं, कई-कई वर्ष की सेवा के बाद भी लोग अस्थायी रहते हैं। लोगों की शिकायतें उचित हैं। यदि उनकी ओर ध्यान न दिया गया तो वे किस प्रकार पूरी वफादारी से काम कर सकेंगे। मैं इस बात पर जोर दूंगा कि सरकारी कर्मचारियों की सेवा की शर्तों सम्बन्धी नियमों में एकरूपता होनी चाहिए। आपको इस मामले में ठोस कार्यवाही करनी चाहिए कि जो भी लोग सरकारी कार्यालयों में काम करते हैं, उन्हें समुचित सुविधायें प्राप्त हों और वे पूरी वफ़ादारी से काम कर सकें।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर १६६ संशोधन प्रस्तुत किये गये हैं। समय की बचत करने के उद्देश्य से, यदि वे अन्यथा नियमानुकूल होंगे तो मैं उन्हें प्रस्तुत किया गया मान लूंगा। चुने हुए संशोधनों की एक सूची सूचना पट पर लगा दी जायेगी और आज रात को सदस्यों को परिचालित भी कर दी जायेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

[उपाध्यक्ष महोदय]

राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत किये गये:—

संशोधन संख्या	प्रस्तावक का नाम	संक्षिप्त विषय
१.	श्री उ० च० पटनायक	खाद्य उत्पादन कार्यक्रम पर अत्याधिक व्यय करने के बाद भी भारत में खाद्य सामग्री का मूल्य बढ़ते जाना; विदेशी मुद्रा की कठिनाइयों का बढ़ते जाना; देश की वास्तविक आवश्यकताओं का ध्यान रखे बिना निर्यात और आयात की अनुज्ञप्तियों तथा अनुज्ञा का दिया जाना; भ्रष्टाचार, मुनाफाखोरी तथा चोर-बाजारी के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही न किया जाना; जनता के रहन-सहन के स्तर को ऊंचा उठाने के लिये किसी प्रभावी प्रस्थापना का अभाव; और राष्ट्रीय प्रतिरक्षा तथा विकास कार्यक्रम के लिये मानवीय तथा भौतिक संशोधनों को संगठित करने के लिये किसी भी ठोस प्रस्थापना का अभाव ।
२.	श्री उ० च० पटनायक	सरकार का अब भी राष्ट्र मंडल का सदस्य बना रहना; पाकिस्तान को अमरीका द्वारा दी जाने वाली सैनिक सहायता का भारत द्वारा विरोध न किया जाना; सीमावर्ती आक्रमणों तथा पाकिस्तान की धमकियों के विरुद्ध किसी शक्तिशाली व प्रभावी कदम का अभाव; पाकिस्तान में तथा भारत की पुर्तगाली बस्तियों में क्षेप्यास्त्रों, और नये नौसेना तथा वायु सेना अड्डों के निर्माण की ओर प्रर्याप्त ध्यान न दिया जाना ।
३.	श्री उ० च० पटनायक	राष्ट्रीय प्रतिरक्षा के लिये तथा राष्ट्र निर्माण गतिविधियों में भाग लेने के बारे में देश भक्त जनता की आकांक्षाओं को संतुष्ट करने के लिये किसी ठोस प्रस्थापना का अभाव; विभिन्न सामाजिक-आर्थिक योजनाओं तथा कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिये जनशक्ति को संगठित व प्रशिक्षित करने की संभावना का अभाव; प्रतिरक्षा व्यय को सामाजिक-आर्थिक विकास अन्दोलन में भी प्रयुक्त करने की महान संभावना के प्रति उपेक्षा; प्रतिरक्षा आवश्यकताओं के लिये सामग्री तैयार करने तथा प्रतिरक्षा सम्बन्धी वस्तुओं की खरीद के नियंत्रण के लिये किसी योजना का अभाव; प्रतिरक्षा सामग्री खरीदे जाने की गोपनीयता के कारण भ्रष्टाचार में वृद्धि और बहुत अधिक हानि होना ; योजना आयोग

संशोधन संख्या	प्रस्तावक का नाम	संक्षिप्त विषय
		तथा भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय जीवन के प्रतिरक्षा तथा असैनिक पार्श्वों को एकीकृत करने का कोई प्रयत्न न किया जाना ।
४.	श्री नौशीर भरूचा	संयुक्त महाराष्ट्र तथा महागुजरात की जनता की भावनाओं का समुचित सम्मान न किया जाना ।
५.	श्री नौशीर भरूचा	बम्बई और मैसूर के बीच सीमा सम्बन्धी विवाद को हल करने में सरकार द्वारा किसी ठोस कार्यवाही का न किया जाना ।
६.	श्री नौशीर भरूचा	देश में गेहूं तथा अन्य खाद्यान्नों की बढ़ती हुई कीमतों को रोकने के लिये सरकार द्वारा कोई प्रभावी योजना का न अपनाया जाना ।
७.	श्री नौशीर भरूचा	खाद्य उत्पादन को बढ़ाने के लिये कोई व्यवहारिक कदम का उठाया जाना ।
८.	श्री नौशीर भरूचा	कृषि सुधारों, विशेषतया सहकारी कृषि, भूमि की अधिकतम सीमा तथा अतिरिक्त भूमि के निबटारे के सम्बन्ध में सरकार के दृष्टिकोण का स्पष्ट रूप में प्रकट न किया जाना ।
९.	श्री नौशीर भरूचा	सरकार द्वारा खाद्यान्नों का थोक व्यापार अपने हाथों में लेने की व्यवस्था या योजना का उल्लेख न किया जाना ।
१०.	श्री नौशीर भरूचा	मिट्टी के तेल की अत्यधिक कमी की ओर ध्यान न दिया जाना ।
११.	श्री नौशीर भरूचा	औद्योगिक संस्थाओं के बन्द होने के कारण उत्पन्न बेरोजगारी को कम करने के लिये किसी प्रभावी योजना का न होना ।
१२.	श्री नौशीर भरूचा	बन्द औद्योगिक संस्थाओं को अपने हाथों में लेकर पुनः चालू करने का अधिकार लेने के लिये विधान प्रस्तुत करने का कोई उल्लेख न किया जाना ।
१३.	श्री नौशीर भरूचा	द्वितीय पंचवर्षीय योजना का आवश्यक अंग क्या होगा, योजना के शेष भाग को कार्यान्वित करने के लिये सरकार के पास क्या अन्तरिक साधन हैं और विदेशी मुद्रा की कमी की पूर्ति कैसे होगी, इन बातों का कोई स्पष्ट उल्लेख न किया जाना ।

संशो-धन संख्या	प्रस्तावक का नाम	संक्षिप्त विषय
१४.	श्री नौशीर भरूचा	व्यापार, उद्योग या जनता को करों के बोझ से कोई छुटकारा मिलेगा, इसकी कोई आशा का व्यक्त न किया जाना ।
१५.	श्री नौशीर भरूचा	मंत्रियों के यात्रा भत्तों की फिजूलखर्ची को रोकने के किसी इरादे को प्रकट न किया जाना ।
१६.	श्री नौशीर भरूचा	प्रतिरक्षा व्यय में किसी ठोस बचत की आशा का उल्लेख न किया जाना ।
१७.	श्री नौशीर भरूचा	गोआ तथा अन्य पुर्तगाली बस्तियों को मुक्त कराने के सम्बन्ध में किसी बात का उल्लेख न किया जाना ।
३२.	श्री यादव . .	खाद्यान्नों के मूल्य की वृद्धि को रोकने तथा निश्चित मूल्य नीति निर्धारित करने में सरकार की असफलता ।
३३.	श्री यादव	पुलिस द्वारा अन्धाधुन्ध गोली चलाने की प्रथा को रोकने के लिये कुछ सिद्धान्त निर्धारित करने में सरकार की असफलता ।
३४.	श्री यादव	उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादकों की हड़ताल का कोई उल्लेख न किया जाना ।
३५.	श्री यादव . .	पिछड़ी जातियों के आयोग के प्रतिवेदन में दी गयी सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिये कोई आश्वासन न दिया जाना ।
३६.	श्री यादव	देश में व्याप्त भ्रष्टाचार व पक्षपात का कोई उल्लेख न किया जाना ।
३७.	श्री यादव	जाति प्रथा की बढ़ती हुई बुराइयों का कोई उल्लेख न किया जाना ।
३८.	श्री यादव	निरन्तर बढ़ती हुई नौकरशाही का कोई उल्लेख न किया जाना ।
३९.	श्री यादव .	ग्राम पंचायतों तथा जिला पंचायतों की स्थापना कर के प्रशासन को विकेन्द्रीकृत करने में सरकार की असफलता ।
४०.	श्री यादव . .	पंचवर्षीय योजना के निम्नलिखित दोषों का उल्लेख न किया जाना ।

संशो-धन संख्या	प्रस्तावक का नाम	संक्षिप्त विषय
		(१) रूस तथा अमरीका की प्रणाली के अनुसार पंचवर्षीय योजना का स्वरूप निर्धारण करना ;
		(२) वित्तीय संसाधनों का अभाव; और
		(३) योजना का सम्पूर्ण देश के लिये नहीं वरन् कुछ चुने हुए लोगों के लिये ही लाभप्रद होना ।
४१.	श्री यादव	देश में बढ़ती हुई आर्थिक असमानता का उल्लेख न किया जाना ।
४२.	श्री यादव	देश में बढती हुई बेरोजगारी तथा उसे दूर करने के उपायों का उल्लेख न किया जाना ।
४४.	श्री यादव	दिल्ली में लगी विदेशियों की मूर्तियों को हटाने का कोई उल्लेख न किया जाना ।
४५.	श्री यादव	विदेशी तथा देश के पूंजीपतियों द्वारा जनता के शोषण को रोकने का कोई उल्लेख न किया जाना ।
४६.	श्री यादव .	बनारस विश्वविद्यालय की बिगड़ती हुई हालत का कोई उल्लेख न किया जाना ।
४७.	श्री यादव	भारत व पाकिस्तान के बीच विवादों को तय करने के सम्बन्ध में कोई उल्लेख न किया जाना ।
४८.	श्री पाणिग्रही . .	अमरीका की सहायता से पाकिस्तान में सैनिक तथा आणविक शक्ति के अड्डे बनाये जाने की खबरों और उन से पैदा होने वाले खतरों के सम्बन्ध में कोई उल्लेख न किया जाना ।
४९.	श्री पाणिग्रही . .	विभिन्न राज्यों में विभिन्न भाषाभाषी लोगों के हितों तथा अधिकारों के बारे में, विशेषतया सरायकेला व खरसवान के उड़िया भाषी लोगों की कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए, राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों का कोई उल्लेख न किया जाना और सरायकेला व खरसवान की जनता की उड़ीसा में मिलने की उचित मांग को पूरा करन में सरकार की असफलता ।
५०.	श्री पाणिग्रही . .	उड़ीसा में तालचेर स्थित विलियर्स खान के ७०० मजदूरों के हितों की रक्षा करने में सरकार की असफलता तथा उस खान में पुनः काम चालू करवाने में असफलता ।

संशो-धन संख्या	प्रस्तावक का नाम	संक्षिप्त विषय
५१.	श्री पाणिग्रही	उड़ीसा में प्रदीप पत्तन के विकास की आवश्यकता पर ध्यान देने में सरकार की असफलता ।
५२.	श्री पाणिग्रही	उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल तथा अन्य राज्यों में मिट्टी के तेल की बढ़ती हुई कीमतों की ओर ध्यान देने तथा लोगों के संकट को दूर करने के लिय कोई प्रभावी कदम उठाने में सरकार की असफलता ।
५३.	श्री पाणिग्रही . .	दण्डकारण्य क्षेत्र में पुनर्वास की धीमी प्रगति की ओर ध्यान देने में असफलता और इस को देखते हुए पश्चिमी बंगाल के शिविरों को बन्द करने की निर्धारित तिथि में परिवर्तन करने में असफलता ।
५६.	श्री तंगामणि	वर्तमान मद्रास राज्य का नाम 'तामिलनाद' रखने की दिशा में की जाने वाली कार्यवाही का कोई उल्लेख न किया जाना ।
५७	श्री तंगामणि . .	तामिलनाद में वर्ष १९५८ में हथ करघा बुनकरों को पूरी छुट का भुगतान न किया जाना ।
५८	श्री तंगामणि . .	मद्रास राज्य को हथकरघा छूट के ५५ लाख रुपये में से केवल ४० लाख रुपये स्वीकृत किया जाना ।
५९	श्री तंगामणि	मद्रास के कुछ नगरों में मिट्टी के तेल का अभाव तथा उस की बढ़ती हुई कीमतें ।
६०	श्री तंगामणि . .	मद्रास राज्य के दक्षिण नगरों से लंका को बीड़ी के निर्यात पर रोक ।
६१	श्री तंगामणि .	तम्बाकू तथा बीड़ी के आयात के लिये लंका सरकार से समझौता करने की आवश्यकता ।
६२	श्री नि० बि० माईति .	गत वर्ष में उद्देश्यों की प्राप्ति में प्रशंसनीय सफलता और आगामी वर्ष में लक्ष्यों की पूर्ति के लिये सहयोग देने का आश्वासन ।
६३	श्री प्र० गं० देब .	खाद्य नीति में पूर्ण असफलता ।
६४	श्री प्र० गं० देब .	कृषि सुधार सम्बन्धी नीति के निर्माण में अदूरदर्शिता ।
६५	श्री० प्रं० गं देब . .	कूचबिहार की बस्तियों को पाकिस्तान के साथ बदलने के लिये प्रधान मंत्री ने पाकिस्तान के प्रधान मंत्री के

संशो-धन संख्या	प्रस्तावक का नाम	संक्षिप्त विषय
		साथ जो करार गत वर्ष सितम्बर में किया था, उसका संसद् की राय के अनुकूल न होना ।
७६	श्री अं० वें० घारे .	द्विभाषी बम्बई राज्य को तोड़कर बम्बई सहित महाराष्ट्र तथा महागुजरात राज्यों के निर्माण की अनिवार्यता तथा अविलम्बता का उल्लेख न किया जाना ।
७७	श्री अं० वें० घारे .	बम्बई और मैसूर राज्य के बीच सीमा-समायोजन के सम्बन्ध में पाटस्कर निर्णय के आधार पर विवाद को निबटाने का कोई उल्लेख न किया जाना ।
७८	श्री अं० वें० घारे	मुनाफाखोरों द्वारा उत्पन्न की गई मिट्टी के तेल की कृत्रिम कमी तथा सरकार द्वारा उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही न करने का उल्लेख न किया जाना ।
७९	श्री अं० वें० घारे	केन्द्र द्वारा सिंचाई परियोजनाओं को देर से स्वीकृत करने के कारण इन परियोजनाओं की क्रियान्विति में बहुत विलम्ब होना सरकारी धन का बरबाद होना ।
८०	श्री अं० वें० घारे	कृषि उत्पादन के क्रय के लिये सहकारी समितियों की स्थापना की आवश्यकता ।
८१	श्री अं० वें० घारे	बम्बई राज्य के औरंगाबाद प्रसारण केन्द्र के फिर से न खोले जाने में असफलता ।
८२	श्री अं० वें० घारे .	पाकिस्तानियों द्वारा सीमा पर गोली चलाने की निरन्तर होने वाली घटनायें तथा सरकार द्वारा उनको रोकने में असफलता ।
८३	श्री ब्रजराज सिंह .	योजना की इन मूल त्रुटियों का उल्लेख न किया जाना :— (क) अधिक सहायता देकर किस प्रकार छोटे पैमाने के उद्योगों तथा कुटीर उद्योगों का विकास किया जाये ; (ख) सीसे तथा चूड़ी उद्योग को कच्चा माल उपलब्ध कराने में सरकार की उदासीनता ; (ग) छोटे उद्योगों की अवहेलना करके बड़े उद्योगों पर बहुत अधिक धन का व्यय किया जाना ।

संशो-धन संख्या	प्रस्तावक का नाम	संक्षिप्त विषय
८४	श्री ब्रजराज सिंह	भूमिहीन खेतिहरों को ऊसर भूमि पर बसा कर अधिक भूमि का कृष्यकरण कर के राष्ट्र की खाद्य समस्या का हल किया जाना, सिंचाई की छोटी योजनाओं का विस्तार करना; खाद्य व कृषि विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार; भूमि की न्यूनतम व अधिकतम सीमा का निर्धारण; खाद्य के अभाव से उत्पन्न भूखमरी व मृत्यु; कृषि तथा औद्योगिक उत्पादनों की कीमतों को एक समानता पर लाना और गन्ने का मूल्य २ रु० प्रति मन निर्धारित किया जाना ।
८५	श्री ब्रजराज सिंह	संविधान के अनुसार १४ वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा की व्यवस्था न होना और विद्यमान शिक्षा पद्धति के मूल दोषों तथा प्रविधिक शिक्षा के विकास के लिए एक प्रभावी तथा ठोस कार्यक्रम का उल्लेख न किया जाना ।
८६	श्री ब्रजराज सिंह	एक सीमित समय के भीतर लाखों बेरोजगार व्यक्तियों को काम धन्धा देने तथा सरकारी रोजगारी दिलाऊ दफ्तरों में व्याप्त भ्रष्टाचार, पक्षपात तथा भाई-भतीजा-वाद का उल्लेख न किया जाना ।
८७	श्री ब्रजराज सिंह	आय की असमानता को दूर करने के लिए सरकार द्वारा की जाने वाली कार्यवाही तथा सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों में आय की बढ़ती हुई असमानता का उल्लेख न किया जाना ।
८९	श्री ब्रजराज सिंह	विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिये की जाने वाली प्रभावी कार्यवाही तथा दण्डकारण्य योजना में व्याप्त भ्रष्टाचार का उल्लेख न किया जाना ।
९०	श्री ब्रजराज सिंह	युद्ध विरोधी सभी राष्ट्रों का एक तीसरा गुट बनाने की आवश्यकता ; विदेशी शासन से पीड़ित राष्ट्रों को स्वतंत्र कराने के लिये किसी प्रभावी योजना का बनाया जाना ; गोआ को मुक्त कराने के लिये प्रभावी कार्यवाही करना तथा निशस्त्रीकरण योजना को सफल बनाने तथा अणु व उद्जन बमों के प्रयोग को रोकने के लिये प्रभावी कार्यवाही का किया जाना ।

संशोधन संख्या	प्रस्तावक का नाम	संक्षिप्त विषय
९१	श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	बगदाद संधि को शक्तिशाली बनाने तथा उसमें सम्मिलित राष्ट्रों को आणविक शस्त्रों से सज्जित करने के सम्बन्ध में ब्रिटेन और अमरीका के बीच हुए करार से शान्ति के लिए जो खतरा उत्पन्न हो गया है उसकी ओर ध्यान देने में असफलता ।
९२	श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	एशिया के अनेक देशों में लोकतंत्रात्मक तथा प्रगतिशील शक्तियों की पराजय तथा विशेष रूप से पाकिस्तान में तानाशाही के जन्म की ओर ध्यान देने में असफलता ।
९३	श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	विदेशी पूंजी की सहायता से गैर-सरकारी क्षेत्र में एकाधिकार वादी व्यापारिक संस्थाओं द्वारा महत्वपूर्ण उद्योगों पर कब्जा करने के कारण देश की अर्थ-व्यवस्था को उत्पन्न खतरे की ओर ध्यान देने में असफलता ।
९४	श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	आय में बढ़ती हुई असमानता, वेतन आयोग के प्रतिवेदन के प्रकाशन में विलम्ब तथा मुख्य मुख्य उद्योगों के लिये वेतन बोर्ड नियुक्त करने की आवश्यकता की ओर ध्यान देने में असफलता ।
९५	श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	देश में शिक्षितों तथा अशिक्षितों में बढ़ती हुई बेरोजगारी का, जो कपड़े की मिलों के बन्द होने, वैज्ञानिकन तथा कच्चे माल की कमी के कारण और भी अधिक बढ़ गई है, उल्लेख न किया जाना ।
९६	श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	बाजार में से चावल को गायब होने से रोकने तथा व्यापारियों द्वारा कृत्रिम अभाव पैदा करने की प्रवृत्ति को रोकने में सरकार की असफलता ।
९७	श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	पटसन की न्यूनतम कीमत निर्धारित न कर पाना तथा इस सम्बन्ध में किये गये प्रयत्नों की विफलता ।
९८	श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	अत्यावश्य वस्तुओं के मूल्यों पर नियंत्रण रखने तथा व्यापारियों की चोरबाजारी पर रोकथाम करने में सरकार की असफलता ।

संशोधन संख्या	प्रस्तावक का नाम	संक्षिप्त विषय
१००	श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	भारी मशीन निर्माण, कारखानों, ढलाई के बड़े कारखानों, औषधि निर्माण तथा औषधीय उद्योगों में लाभ के आश्वासन पर विदेशी गैर-सरकारी पूंजी को देश में आने देने की बढ़ती हुई प्रवृत्ति, जो देश की आर्थिक तथा राजनैतिक वृद्धि के लिये खतरनाक सिद्ध होगी।
१०१	श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	पश्चिमी बंगाल सरकार की राय लिये बिना ही पश्चिम बंगाल के बेरुबारी संघ को पाकिस्तान को हस्तान्तरित करने के प्रश्न पर ध्यान न दिया जाना।
१०२	श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	चीनाकुरी कोयला खान दुर्घटना सम्बन्धी जांच न्यायालय के प्रतिवेदन पर तथा प्रतिवेदन के निश्चयों से उत्पन्न जन क्षोभ पर ध्यान न दिया जाना।
१०३	श्री बा० चं० कामले	अल्पसंख्यक जातियों के योग्य व्यक्तियों के संबंध में किसी नीति का उल्लेख न किया जाना।
१०४	श्री बा० चं० कामले	देश के नव बौद्धों के बारे में सेवा, शिक्षा तथा अन्य आर्थिक योजनाओं संबंधीं अपनी नीति के परिणामों के मूल्यांकन में असफलता।
१०५	श्री बा० चं० कामले	नव बौद्धों की इन मागों को, कि सेवाओं, शिक्षा तथा अन्य कल्याणकारी योजनाओं में जो सुविधायें अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों को प्राप्त हैं वही नव बौद्धों को दी जायें, स्वीकार करने में असफलता।
१०६	श्री बा० चं० कामले	पिछड़ी जातियों के आयोग के प्रतिवेदन पर सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही के परिणामों के मूल्यांकन का उल्लेख न किया जाना।
१०७	श्री तंगामणि	बैंकिंग समवायों के राष्ट्रीयकरण के संबंध में सरकार के दृष्टिकोण का उल्लेख न किया जाना।
१०८	श्री तंगामणि	बैंकरों द्वारा गुप्त रक्षित कोष को बोनस अंशों में बदलने की नीति के संबंध में सरकार के दृष्टिकोण का उल्लेख न किया जाना।

संशोधन संख्या	प्रस्तावक का नाम	संक्षिप्त विषय
१०९	श्री तंगामणि	मद्रास राज्य में मेत्तर में अल्युमीनियम के कारखाने की स्थापना तथा परियोजना प्रतिवेदन के प्रकाशन में विलम्ब।
११०	श्री तंगामणि	कारखानों द्वारा तैयार किये गये नमक पर पुनः अधिकर लगाने का उल्लेख न किया जाना।
१११	श्री तंगामणि .	हाकी तथा क्रिकेट जैसे खेलों में कुशलता की कमी का तथा पटियाला समिति प्रतिवेदन को लागू करने में विलम्ब का उल्लेख न किया जाना।
११२	श्री खाडिलकर	अभिभाषण में आत्मतुष्टि के संकेत द्वारा यह प्रकट होता कि सरकार सामाजिक पुनर्निर्माण की योजनाओं को लागू करने के लिए कटिबद्ध नहीं है और उसमें आर्थिक स्थिति की आलोचनात्मक टिप्पणी का अभाव।
११३	श्री खाडिलकर	बढ़ते हुये मूल्यों का जनता के रहन सहन के स्तर पर प्रभाव और मूल्यों पर नियंत्रण करने के लिए किये जाने वाले प्रभावी उपायों का उल्लेख करने में असफलता।
११४	श्री खाडिलकर	काश्मीर राज्य को उच्चतम न्यायालय तथा निर्वाचन आयोग के पूर्ण अधिकार क्षेत्र में लाकर उसे भारत में पूर्णतः एकीकृत करने की आवश्यकता की अवहेलना किया जाना।
११५	श्री खाडिलकर .	जनसंख्या पर नियंत्रण रखने के लिए परिवार आयोजन को आवश्यक महत्व न दिया जाना।
११६	श्री खाडिलकर .	महागुजरात और संयुक्त महाराष्ट्र की जनता की इच्छाओं पर ध्यान देने में असफलता।
११७	श्री खाडिलकर	बम्बई और मैसूर के सीमा विवाद को पाटस्कर निर्णय के आधार पर निबटाने में सरकार की असफलता।
११८	श्री खाडिलकर .	पुर्तगाली शासन से भारतीय राज्य क्षेत्र को मुक्त कराने के संबंध में सरकार की नीति का उल्लेख करने में असफलता।
११९	श्री विमल घोष .	बेरूबारी संघ के एक भाग को पाकिस्तान को देने का प्रस्ताव।

संशो-धन संख्या	प्रस्तावक का नाम	संक्षिप्त विषय
१२०	श्री सूपकार	देश की खाद्य समस्या के स्थायी हल का कोई उल्लेख न किया जाना ।
१३४	श्री वाजपेयी . .	बेरुबारी संघ के कुछ भाग को पाकिस्तान को देने के लिए जो भारत-पाकिस्तान करार है उस में बंगाल विधान-सभा द्वारा व्यक्त अनुनमोदन का ध्यान न रखा जाना ।
१३५	श्री वाजपेयी	पाकिस्तानी सेनाओं द्वारा भारतीय सीमा पर होने वाले निरन्तर आक्रमणों तथा उसके परिणामस्वरूप सीमावर्त्ती क्षेत्रों में रहने वाले भारतीयों में उत्पन्न अशान्ति का उल्लेख करने में असफलता ।
१३६	श्री वाजपेयी .	देश में उत्पन्न भीषण खाद्य संकट की ओर ध्यान न दिया जाना ।
१३७	श्री वाजपेयी .	बम्बई-मैसूर सीमा विवाद का उल्लेख न किया जाना ।
१३८	श्री वाजपेयी .	तीसरी योजना के चतुर्सूत्री उद्देश्यों में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लक्ष्य को सम्मिलित न किया जाना ।
१३९	श्री वाजपेयी . .	गोआ, दमन और दीव को मुक्त कराने के लिए शीघ्र कार्यवाही करने की आवश्यकता ।
१४०	श्री वाजपेयी	भारत की प्रतिरक्षा शक्ति को बढ़ाने की परम आवश्यकता के संबंध में सरकार की सजगता का उल्लेख न किया जाना ।
१४१	श्री वाजपेयी	वेतन आयोग के प्रतिवेदन के उपस्थापन में विलम्ब होने पर भी सरकारी कर्मचारियों को अग्रेतर अन्तरिम सहायता देने का उल्लेख न किया जाना ।
१४२	श्री वाजपेयी	विदेशी ऋणों को लेने का प्रयत्न किया जा रहा है, पर इस बढ़ती हुई ऋण ग्रस्तता को दूर करने के उपायों का उल्लेख न किया जाना ।
१४३	श्री वाजपेयी .	संविधान की आठवीं अनुसूची की भाषाओं में सिन्धी को सम्मिलित करने की मांग पर ध्यान न दिया जाना ।
१४४	श्री वाजपेयी	बम्बई को संयुक्त महाराष्ट्र और गुजरात में विभाजित करने की आवश्यकता का उल्लेख न किया जाना ।

संशोधन संख्या	प्रस्तावक का नाम	संक्षिप्त विषय
१४५	श्री वाजपेयी	निर्वाचन आयोग के अधिकार क्षेत्र को जम्मू और काश्मीर तक बढ़ा कर इस राज्य को भारत के अन्य राज्यों के समान बनाने के लिए कदम उठाने की आवश्यकता का उल्लेख न किया जाना ।
१४७	श्री वाजपेयी . .	औद्योगिक संबंधों तथा तत्संबंधी समस्याओं के उल्लेख में नैनीताल सम्मेलन के निर्णयों को पूर्ण-रूपेण लागू करने में सरकार की असफलता का उल्लेख न किया जाना ।
१४८	श्री वाजपेयी .	खाद्यान्नों के व्यापार का समाजीकरण करने के बारे में राष्ट्रीय विकास परिषद के निश्चय में वित्त, प्रशासन व्यवस्था तथा खाद्यान्न उत्पादकों के हितों संबंधी अनेक समस्याओं का ध्यान रखने में असफलता ।
१५०	श्री स० म० बनर्जी	सरकारी व गैर-सरकारी क्षेत्रों में काम करने वाले मजदूरों के वेतन में वृद्धि का कोई आश्वासन न दिया जाना ।
१५१	श्री स० म० बनर्जी	उत्तर प्रदेश में खाद्यान्नों के मूल्य में अत्यधिक वृद्धि तथा सरकार द्वारा समस्या को हल करने में असफलता का उल्लेख न किया जाना ।
१५२	श्री स० म० बनर्जी .	केन्द्र द्वारा सहायता न मिलने के कारण उत्तर प्रदेश में बहुत सी परियोजनाओं के पूर्ण न होने का उल्लेख न किया जाना ।
१५३	श्री स० म० बनर्जी .	उत्तर प्रदेश में चीनी के कारखानों के मजदूरों की प्रस्तावित हड़ताल का उल्लेख न किया जाना ।
१५४	श्री स० म० बनर्जी .	उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में उत्पन्न अकाल स्थिति का उल्लेख न किया जाना ।
१५५	श्री स० म० बनर्जी .	देश में बढ़ते हुये भ्रष्टाचार, बरबादी तथा फिजूलखर्ची को रोकने के लिए सरकार की किसी योजना का उल्लेख न किया जाना ।
१५६	श्री स० म० बनर्जी	देश में अध्यापकों के वेतन तथा उनकी कार्य-दशाओं के संबंध में कोई उल्लेख न किया जाना ।

संशो-धन संख्या	प्रस्तावक का नाम	संक्षिप्त विषय
१५७	श्री स० म० बनर्जी	. युद्धास्त्र कारखानों का विस्तार न करने के लिए गैर-सरकारी द्वारा सरकार पर पड़ने वाले दबाव का उल्लेख न किया जाना ।
१५८	श्री स० म० बनर्जी	. वेतन आयोग के प्रतिवेदन के शीघ्र उपस्थापन के संबंध में कोई उल्लेख न किया जाना ।
१५९	श्री सुबोध हंसदा	. अनुसूचित जातियों व अनुसूचित आदिम जातियों की उन्नति संबंधी कल्याणकारी गति विधियों की प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए समिति नियुक्त करने का कोई उल्लेख न किया जाना ।
१६०	श्री सुबोध हंसदा	. पाकिस्तान से आये भूमिहीन अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों तथा शरणार्थियों के पुनर्वास के संबंध में कोई उल्लेख न किया जाना ।
१६२	श्री सुबोध हंसदा .	. विभिन्न परियोजनाओं के कारण अनुसूचित आदिम जाति के जो लोग निष्क्रान्त या स्थानच्युत हो गये हैं, उनको पुनर्वासित किये जाने के समय का उल्लेख न किया जाना ।
१६३	श्री सुबोध हंसदा .	. अनुसूचित जातियों व अनुसूचित आदिम जातियों की प्रगति में अब तक जितनी उन्नति हो चुकी है उसका उल्लेख न किया जाना ; अनुसूचित आदिम जातियों के लिए स्थान सुरक्षित करने की अवधि १९६० तक बढ़ा दी जाने के बारे में उल्लेख न किया जाना ।
१६५	श्री कोडियान	. औद्योगिक विकास के संबंध में राज्यों तथा क्षेत्रों के बीच असमानता को हटाने के संबंध में कोई उल्लेख न किया जाना ।
१६६	श्री कोडियान	. जहाज बनाने के दूसरे कारखाने की स्थापना के संबंध में कोई उल्लेख न किया जाना ।
१६७	श्री कोडियान	. खाद्य संभरण की क्षेत्रीय प्रणाली की कार्य संचालन विधि की प्रगति का समुचित मूल्यांकन न किया जाना ।
१६८	श्री कोडियान	. क्षेत्रों के अन्तर्गत सर्वाधिक कमी वाले राज्यों को खाद्य संभरण के संबंध में प्राथमिकता देने का आश्वासन न दिया जाना ।

संशो-धन संख्या	प्रस्तावक का नाम	संक्षिप्त विषय
१६९	श्री कोडियान	. मालाबार तट पर मत्स्य पालन के विकास के संबंध में कोई उल्लेख न किया जाना ।
१७०	श्री कोडियान	. पिछड़े राज्यों में बढ़ती हुई बेकारी को रोकने के उचित उपायों का न सुझाया जाना ।
१७१	श्री कोडियान	. दैनिक जीवन के लिए आवश्यक वस्तुओं के बढ़ते हुए मूल्यों को रोकने के लिए उचित उपायों का न सुझाया जाना ।
१७२	श्री कोडियान	. काजू, इलायची, नारियल जटा आदि के घटते हुए मूल्यों को रोकने के लिए उचित उपायों का न सुझाया जाना ।
१७३	श्री कोडियान	. भूमि सुधार करने के लिये आवश्यक कार्यवाही के उल्लेख का अभाव ।
१७४	श्री कोडियान	. योजनाओं में प्रक्रिया सम्बन्धी विलम्बों को दूर करने तथा जनता द्वारा उनकी क्रियान्विति में भाग लेने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करने का अभाव ।
१७५	श्री बि० दासगुप्त	. बिहार में पश्चिम बंगाल की सीमा के निकट रहने वाले बंगाली भाषा-भाषी लोगों के सांस्कृतिक तथा शैक्षिक अधिकारों की रक्षा करने में असफलता ।
१७६	श्री बि० दासगुप्त	. बिहार में पश्चिमी बंगाल की सीमा के निकट भाषायी अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा करने में असफलता ।
१७७	श्री बि० दासगुप्त	. भाषा के आधार पर राज्यों के अपूर्ण पुनर्गठन तथा राज्यों की सीमाओं के पुनर्समायोजन के अपर्याप्त उपायों के कारण उत्पन्न असंतोष ।
१७८	श्री बि० दासगुप्त	. गांवों को आधार मान कर प्रशासनिक इकाइयों की स्थापना; भारत की जनता का उचित प्रकार से संगठन; और किसानों की उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने के लिए उचित उपायों का न अपनाया जाना ।
१७९	श्री बि० दासगुप्त	. खाद्यान्नों के बढ़ते हुए मूल्यों को रोकने में असफलता; मिट्टी के तेल की कमी; और गन्ने के मूल्य न बढ़ाना ।
१८०	श्री बि० दासगुप्त	. विभिन्न राज्यों की भूमि समस्याओं को हल करने, जोतों की अधिकतम सीमा निर्धारित करने, भूमिहीन किसानों में भूमि वितरण करने, तथा तकावी ऋण देने में संघ सरकार की असफलता ।

संशो-धन संख्या	प्रस्तावक का नाम	संक्षिप्त विषय
१८१	श्री बि० दासगुप्त	. जनता का जीवन स्तर बढ़ाने और बेकारी दूर करने में सरकार की असफलता ।
१८२	श्री बि० दासगुप्त	. अधिक व्यय करन पर भी सामूदायिक विकास तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्डों की खाद्य उत्पादन बढ़ाने में जनता को उत्साहित करने में असफलता ।
१८३	श्री बि० दासगुप्त	. राष्ट्र मण्डल से बाहर निकलने के उल्लेख का अभाव ।
१८४	श्री बि० दासगुप्त	पाकिस्तान को सैनिक सहायता देने के बारे में अमरीका से किये गये विरोध के उल्लेख का अभाव ।
१८५	श्री बि० दासगुप्त	. बेरूबारी संघ के हस्तांतरण तथा पाकिस्तानी हमलों के उल्लेख का अभाव ।
१८६	श्री बि० दासगुप्त	. द्विभाषा-भाषी बम्बई राज्य का विभाजन करके दो एक-भाषा-भाषी राज्य, महाराष्ट्र, तथा महागुजरात बनाने में सरकार की असफलता ।
१८७	श्री बि० दासगुप्त	पश्चिमी बंगाल में फरक्का बांध के निर्माण के उल्लेख का अभाव ।
१८८	श्री बि० दासगुप्त	. दण्डकारण्य योजना के ब्यौरे का उल्लेख न किया जाना ।
१८९	श्री बि० दासगुप्त	. सिंदरी के उर्वरक कारखाने की असंतोषजनक स्थिति ।
१९०	श्री बि० दासगुप्त	. सरकारी स्वायत्तशासी निगमों पर नियंत्रण के उपायों का उल्लेख न होना ।
१९१	श्री बि० दासगुप्त	. विदेशी सार्थों को दामोदर घाटी निगम के द्वारा उत्पादित बिजली देने के बारे में पश्चिमी बंगाल सरकार को परामर्श देने में संघ सरकार की असफलता ।
१९२	श्री बि० दासगुप्त	. सार्वजनिक स्वास्थ्य का बिगड़ते जाना ।
१९३	श्री बि० दासगुप्त	. उद्योगों का वैज्ञानिकन करने; कुछ बन्द की गई औद्योगिक संस्थाओं का प्रबन्ध ले लेने ; और श्रमजीवी पत्रकारों के उत्पीड़न के उल्लेख का अभाव ।
१९४	श्री बि० दासगुप्त	. चावल का पर्याप्त मात्रा में संभरण करने में असफलता ।
१९५	श्री बि० दासगुप्त	. चिनाकुरी कोयला खान दुर्घटना संबंधी जांच न्यायालय के प्रतिवेदन के उल्लेख का अभाव ।

संशोधन संख्या	प्रस्तावक का नाम	संक्षिप्त विषय
१९६	श्री बि० दासगुप्त	. गोआ तथा अन्य पुर्तगाली बस्तियों को स्वतंत्र कराने का उल्लेख न होना ।
१९७	श्री बि० दासगुप्त	. शिक्षा पद्धति को एक निश्चित स्तर पर लाने का कोई उल्लेख नहीं किया जाना ।
१९८	श्री बि० दासगुप्त	. विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत दिये गये केन्द्रीय अनुदानों का उपयोग करने के बारे में राज्य सरकार पर नियंत्रण रखने और केन्द्रीय सरकार द्वारा समान राशि के अनुदान देने की पद्धति समाप्त करने के बारे में उल्लेख न किया जाना ।
१९९	श्री पु० र० पटेल	. खाद्यान्नों, कोयले, तथा मिट्टी के तेल के बढ़ते हुए मूल्यों के उल्लेख का अभाव ।
२००	श्री पु० र० पटेल	. बम्बई को द्विभाषाभाषी राज्य बनाये रखने के कारण बम्बई राज्य की जनता की भावना का उल्लेख न किया जाना ।
२०१	श्री पु० र० पटेल	. गोआ तथा पाकिस्तान की सीमा घटनाओं का उल्लेख न किया जाना ।
२०२	श्री पु० र० पटेल	राज्यों की सीमा का भाषा के आधार पर समायोजन करने के सिद्धान्त का बम्बई राज्य पर लागू न किया जाना ।
२०३	श्री पु० र० पटेल	. गुजरात में सिंचाई परियोजनाओं को क्रियान्वित करने में देर ।
२०४	श्री बा० चं० कामले	. देश की १० करोड़ एकड़ बेकार पड़ी भूमि का कृष्यकरण करने की योजना बनाने में असफलता ।
२०५	श्री बा० चं० कामले	. नगरीय, औद्योगिक, तथा सरकारी कर्मचारियों की आय की अधिकतम सीमा निर्धारित करने की योजना बनाने में असफलता ।
२०६	श्री नौशीर भरूचा	. वेतन आयोग के प्रतिवेदन आने तक सरकारी कर्मचारियों को अतिरिक्त अन्तरिम सहायता के बारे में सरकार के उद्देश्य का उल्लेख न किया जाना ।
२०८	श्री मी० रु० मसानी	. अभिभाषण के पैरा ११ में उल्लिखित सहकारिता का सहकारी खेती से संबंध ।
२०९	श्री मी० रु० मसानी	. अभिभाषण के पैरा ११ में उल्लिखित सुधारों का कृषि जोतों की अधिकतम सीमा से सम्बन्ध ।

†**स्वामी रामानन्द तीर्थ** (औरंगाबाद) : माननीय सदस्यों ने कुछ ऐसी बातें कहीं हैं जो काफी अशिष्ट हैं। कम्युनिस्ट दल के नेता ने मंत्रिमंडल के सदस्यों के मतभेदों का जिक्र किया था। मैं समझता हूं कि लोकतंत्रिक व्यवस्था में हर स्तर पर कुछ मतभेद रहना स्वाभाविक ही है। लेकिन उन मतभेदों के होते हुए भी, कार्यान्विति और अमल की एकता भी तो है।

अभिभाषण में बड़ी सीधी, संयत भाषा में देश की सफलतायें और भावी सम्भावनायें दिखाई गई हैं।

लोकतांत्रिक और समाजवादी ढंग से एक योजनापूर्ण अर्थ-व्यवस्था के निर्माण में हमें कठिनाइयों को नजर अन्दाज़ नहीं कर देना चाहिये। यह कहने से कोई फायदा नहीं कि अभिभाषण में यह कठिनाई नहीं बताई गई या उस कठिनाई का जिक्र नहीं किया गया। हमें आय-व्ययक सत्र में उन सभी समस्याओं पर तो विचार करना ही है। यह तो संसद् का काम है।

हमें दो योजनाओं की कार्यान्विति का काफी अनुभव हो चुका है। इसका फायदा उठा कर हमें अब तृतीय पंचवर्षीय योजना को कार्यान्वित करना चाहिये। हमें तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में एक करोड़ साठ लाख व्यक्तियों को रोजगार देना है। उनके लिये काम पैदा करना है। इसलिये तृतीय योजना महत्वाकांक्षी तो होगी ही। इसलिये हमें उसके प्रति पूरी तत्परता दिखानी चाहिये।

द्वितीय योजना की सफलताओं से हम पूरी तरह सन्तुष्ट नहीं है।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य अपना भाषण सोमवार को जारी रखें। अब हम गैर-सरकारी कार्य लेंगे।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बंधी समिति

चौंतीसवां प्रतिवेदन

†**सरदार अ० सिंह सहगल** (जंजगीर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

> "कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के चौंतीसवें प्रतिवेदन से, जो सभा में ११ फरवरी, १९५९ को उपस्थापित किया गया था, सहमत है।"

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

†**श्री तंगामणि** (मदुरै) : इस प्रतिवेदन के पैरा ४, मद २, में दिया गया है कि "केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को अन्तरिम सहायता की दूसरी किस्त" सम्बन्धी संकल्प की चर्चा के लिये डेढ़ घण्टा रखा गया है। यह विषय बड़ा महत्वपूर्ण है। मैं चाहता हूं कि इसके लिये ढाई घण्टे रखा जाये।

---

†मूल अंग्रेजी में

†उपाध्यक्ष महोदयः समिति में बताया गया था कि यदि वेतन आयोग आवश्यक समझेगा तो वह अन्तरिम सहायता की सिफारिश कर सकता है। वेतन आयोग जिस समय भी चाहे दूसरा अन्तरिम प्रतिवेदन पेश कर सकता है।

खैर, यदि इस संकल्प के लिये अधिक समय की आवश्यकता होगी, तो उस पर विचार किया जायेगा।

†श्री नाथ पाईः (राजापुर) : वेतन आयोग के निर्देश-पद में दिया गया है कि आयोग अन्तरिम सहायता के सम्बन्ध में प्रतिवेदन पेश कर सकता है। हम इस संकल्प के द्वारा आयोग से यही कहना चाह रहे हैं कि वह अन्तरिम प्रतिवेदन पेश कर दे, क्योंकि पूरे प्रतिवेदन आने में बड़ा विलम्ब हो रहा है। हम चाहते हैं कि सरकार आयोग से इसके लिये कहे। इसलिय यदि समय बढ़ा दिया जाये, तो अच्छा होगा। तभी हम अपनी पूरी बात कह सकगे।

†उपाध्यक्ष महोदय : इस सम्बन्ध में मुझे अभिक कुछ नहीं कहना है। इसका निर्णय तो सभा को ही करना है।

†श्री तंगामणि : इसीलिये, मेरा प्रस्ताव है :

"कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ दिया जाये, अर्थात् :—

'इस रूपभेद के साथ कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को अन्तरिम सहायता की दूसरी किस्त देने सम्बन्धी संकल्प के लिये नियत समय एक घण्टा और बढ़ा दिया जाये।,"

†उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ दिया जाये, अर्थात :—

'इस रूपभेद के साथ केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को अन्तरिम सहायता की दूसरी किस्त देने सम्बन्धी संकल्प के लिये नियत समय एक घण्टा और बढ़ा दिया जाये।,"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के चौंतीसवें प्रतिवदन से, जो सभा में ११ फरवरी, १९५९ को उपस्थापित किया गया था, सहमत है, इस रूप भेद के साथ कि केंन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को अन्तरिम सहायता की दूसरी किस्त देने सम्बन्धी संकल्प के लिये नियत समय पर एक घ टा और बढ़ा दिया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

---

†मूल अंग्रेजी में

देश के सभी लोक सेवा आयोगों पर केन्द्रीय नियंत्रण के बारे में संकल्प

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अब सभा में देश के सभी लोक सेवा आयोगों पर केन्द्रीय नियंत्रण सम्बन्धी निम्न संकल्प पर, जो श्री सुबिमन घोष ने १९ दिसम्बर, १९५८ को प्रस्तुत किया था, आगे चर्चा होगी :—

> "इस सभा की यह राय है कि संघ तथा राज्यों के सभी लोक सेवा आयोग भारत सरकार के अधीन होने चाहियें और उन सब की स्थिति उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के समकक्ष होनी चाहिये तथा इस प्रयोजन के लिये संविधान में संशोधन करने के हेतु उपयुक्त विधान प्रस्तुत किया जाये।"

श्री सुबिमन घोष अपना भाषण जारी रखें।

†**श्री सुबिमन घोष** (बर्दवान) : हर व्यक्ति इस बात से सहमत होगा कि यदि लोकतंत्र को सुचारू रूप से कार्य करना है तो न्यायपालिका तथा लोक सेवा आयोगों को स्वतंत्रता से काम करना चाहिये और इनके ऊपर किसी प्रकार से कार्यपालिका का नियंत्रण नहीं होना चाहिये। यहां न्यायपालिका मेरा विषय तो नहीं है किन्तु इतना अवश्य कहूंगा कि हमारे संविधान में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के चयन में राज्यपालों को कुछ अधिकार दिये गये हैं किन्तु देखने में यह आता है कि इन न्यायाधीशों के चयन में राजनीतिक भावनाओं को महत्व दिया जाता है। प्रायः चुनावों में हारे हुये व्यक्तियों को यह स्थान दे दिया जाता है इस प्रकार के न्यायाधीशों में न्याय के मामले में जनता का विश्वास नहीं रहता। यही बात लोक सेवा आयोग के साथ भी लागू है। एक राज्य में तो यहां तक हुआ कि एक व्यक्ति जो कि मैट्रिक भी पास नहीं है लोक सेवा आयोग के सदस्य बनाये गये हैं। कैसे आशा की जा सकती है कि एक व्यक्ति जो कि मैट्रिक भी नहीं है लोक सेवा आयोग के सदस्य के नाते अच्छे व्यक्ति का चयन कर सकता है। इस प्रस्तावित विधेयक द्वारा इस प्रकार की धांधलेबाजी को रोकने का प्रयत्न किया गया है।

अब मैं दूसरी बात लेता हूं। एक राज्य में लोक सेवा आयोग का वर्ष १९५५-५६ का ब्यौरा दिसम्बर, १९५८ में प्रकाशित हुआ जब कि नियमतः इसे उसी वर्ष के अंत में प्रकाशित कराना चाहिये था। मेरा अपना विचार है कि उसमें सरकार के विरुद्ध कुछ आलोचना थी इसलिये उसे कुछ समय तक टाला गया और समय निकल जाने के पश्चात् उसे प्रकाशित कराया गया ताकि उस पर चर्चा न की जा सके। उस प्रतिवेदन में से दो उदाहरण मैं आपके सामने प्रकट करूंगा। सर्वप्रथम एक सरकारी उच्च पदाधिकारी के विरुद्ध कुछ आरोप लगाये गये। सराकार ने यह मामला लोक सेवा आयोग को भेजा। आयोग ने सिफारिश की कि उस व्यक्ति की उस पद से अवनति कर दी जाये किन्तु किसी प्रकार उस उच्च पदाधिकारी ने अपना प्रभाव डाल कर सरकार को अपने पक्ष में कर लिया। और सरकार ने फिर से उसका मामला आयोग को भेजा। आयोग ने लिखा कि इस मामले पर काफी सोच विचार कर निर्णय दिया है अतः इसमें परिवर्तन की कोई गुंजाइश नहीं है किन्तु इसके होते हुये भी वह पदाधिकारी अपने पद पर १८ महीने तक बना रहा उसके पश्चात् उसके विरुद्ध लगाये आरोप यह कह कर वापिस ले लिये गये कि वे गलत थे। दूसरे उदाहरण में यह देखा गया कि सरकार ने तीन डाक्टरों तथा एक पेथोलोजिस्ट के लिये विज्ञापन दिया। उपयुक्त व्यक्तियों की कमी के फलस्वरूप आयोग ने केवल एक व्यक्ति को चुना और सरकार से प्रार्थना की कि वह फिर से विज्ञापन दें। किन्तु व्यवहार में बात बिल्कुल दूसरी ही हुई। सरकार ने सात आठ महीने पश्चात् उन

†मूल अंग्रेजी में

स्थानों पर दूसरे व्यक्तियों की नियुक्ति कर दी और आयोग द्वारा चुने हुये व्यक्ति की नियुक्त यह कह कर टाल दी कि वह काम पर १ महीने बाद आ सकेगा जब कि व्यक्तियों की नियुक्ति उसके ७–८ महीने पश्चात् की गई। इसी प्रकार एक मंत्रालय में एक व्यक्ति जो कि प्रायः अन्धा है जिसकी दृष्टि माइनस १४ है और जो विलिंगडन अस्पताल के डाक्टरों द्वारा अयोग्य घोषित कर दिया गया था। उसके लिये मेडीकल बोर्ड बदला गया और सफदरजंग अस्पताल द्वारा उसे ठीक घोषित कराया गया क्योंकि वह एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का लड़का था। उसी प्रकार एक दूसरे उच्च न्यायाधीश का लड़का जो संघ लोक सेवा आयोग द्वारा दो बार अनुपयुक्त ठहराने पर भी अभी तक अपने पद पर काम कर रहा है। इस प्रकार की घटनायें हमारे यहां हो रही हैं। इस तरह यह सिद्ध हो जाता है कि इन आयोगों का निर्माण ठीक नहीं है। मैं तो यह कहना चाहता हूं कि नियुक्ति के मामले में ये आयोग सर्वोच्च सत्ता प्रधान होने चाहियें। एक बार जिस व्यक्ति को लोक सेवा आयोग अनुपयुक्त ठहरा देता है तो सरकार को उसकी नियुक्ति नहीं करनी चाहिये।

इसके अतिरिक्त स्वायत्त निकायों जैसे कि भिलाई, रूरकेला, रेलवे, पोर्ट कमिश्नर के कार्यालय आदि के लिये भी व्यक्तियों का चुनाव लोक सेवा आयोग के द्वारा किया जाना चाहिये। क्योंकि इन स्थानों में भी नियुक्ति के समय मनमानी चलाई जाती है। इसलिये अगर प्रशासन में अच्छाई लानी है तो सरकार को चाहिये कि वह लोक सेवा आयोगों का एक अखिल भारतीय निकाय बनाये। और राज्यों के लोक सेवा आयोग इस निकाय के उसी प्रकार सदस्य हों जिस प्रकार कि राज्यों के उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रशासित किये जाते हैं। इनमें व्यक्तियों की नियुक्ति राष्ट्रपति अथवा राज्यपालों द्वारा इस उच्चतम निकाय के अध्यक्ष के परामर्श से की जानी चाहिये। इस उच्चतम निकाय के दो कार्य होने चाहिये। सर्वप्रथम तो यह व्यक्तियों का चयन करेगी तथा दूसरे राज्यों में काम करने वाले लोक सेवा आयोग के विरुद्ध की गई शिकायतों की सुनवाई करेगी। जो कि अपील के रूप में इसके सामने पेश की जायेगी। इसके लिये विस्तृत नियम बनाये जा सकते हैं। दूसरे राज्यों के इन लोक सेवा आयोगों के ऊपर बनाया गया निकाय अथवा अखिल भारतीय निकाय को अपना चिकित्सा विशेषज्ञ मंडल (मेडिकल बोर्ड) रखना चाहिये जो कि इस लोक सेवा आयोग के प्रति ही निष्ठावान होगा न किसी और के प्रति।

तीसरे सरकार को यह निश्चित करना चाहिये कि कौन से पदों के लिये लोक सेवा आयोगों को नियुक्ति करनी होगी और कौन से पदों के लिये नहीं। जैसे कि किसी देश में राजदूत की नियुक्ति, अथवा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिये लोक-सेवा आयोग के सम्मुख जाने की आवश्यकता नहीं है। और जब एक बार वह तय हो जाता है तो सरकार को फिर लोक सेवाआयोग की सिफारिश के बिना किसी व्यक्ति की नियुक्ति करने का अधिकार नहीं होना चाहिये। अगर सरकार को अस्थायी पदों के लिये व्यक्तियों की आवश्यकता है तो लोक सेवा आयोग से विभागीय आधार पर अथवा सुविधा के अनुसार सूची तैयार करने के लिये कह सकती है। जब भी सरकार को ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकता हो तो वह इन लोक सेवा आयोगों को कहे, और वे व्यक्तियों की सूची सरकार को देंगे। इस प्रकार पक्षपात का मामला बहुत कुछ समाप्त हो जायेगा। अतः मैं आशा करता हूं कि सरकार प्रशासन में सुघड़ता लाने के लिये इस विषय में अवश्य ही कुछ करेगी।

†**उपाध्यक्ष महोदयः** : संकल्प प्रस्तुत हुआ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री श्री नारायण दास** (दरभंगा) : मैं मूल संकल्प के स्थान पर स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या १ प्रस्तुत करता हूं ।

†**श्री राजेन्द्र सिंह** (छपरा) : मैं मूल संकल्प के स्थान पर स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या २ प्रस्तुत करता हूं ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : ये दोनों संशोधन तथा संकल्प सभा के सामने हैं ।

†**श्री श्रीनारायण दास** : माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा है उसे देखते हुये तो इस बात की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती कि संविधान में संशोधन करने के लिये किसी विधान की आवश्यकता है ।

[**श्री बर्मन** पीठासीन हुए]

इस संकल्प में दो बातें महत्वपूर्ण हैं । एक तो यह है कि केन्द्रीय तथा राज्यों के लोक सेवा आयोग केन्द्रीय सरकार के अधीन हो दूसरे उनके अधिकार उच्चतम न्यायालय जैसे हों । ऐसा प्रतीत होता है कि वे यह सुझाव देना चाहते हैं कि इन आयोगों को जिन पदों के लिये नियुक्ति करने का अधिकार मिला है उन पर नियुक्ति करने के मामले में वे पूर्णतः स्वतन्त्र हों ।

उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र के सफल संचालन के लिये ही उन्होंने यह सुझाव दिया है । हमारे संविधान में अधिकारों का विभाजन किया गया है । चूंकि हमारी सरकार संघात्मक सरकार है इसलिये अधिकार विभाजित हैं । यहां तक कि बहुत ही महत्वपूर्ण मामलों में राज्य सरकारें पूर्णतः स्वतन्त्र हैं और केन्द्र को उनमें हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है ।

लोक सेवा आयोग के मामले में भी राज्यों को यह अधिकार दिया गया है कि वे अपने यहां लोक सेवा आयोग रखें । और जैसा कि माननीय सदस्य ने सुझाव दिया है कि इसके लिये संविधान में संशोधन करने के लिये विधान बनाया जाये तो इसके लिये आवश्यक है कि प्रत्येक राज्य से उसकी राय ली जाये क्योंकि केवल इस सदन की राय लेना ही उपयुक्त नहीं है । चूंकि इसका प्रभाव राज्य सरकारों के कार्य संचालन पर पड़ेगा अतः आवश्यक राज्यों में रहने वाले व्यक्तियों तथा वहां के विधान सभाइयों की राय ली जाये । और उनकी राय जाने बिना इस सदन को कोई निर्णय नहीं लेना चाहिये ।

यदि सदन यह समझता है कि यह मामला विचारणीय है तो मेरा यह सुझाव है कि इस मामले की जांच करने के लिये एक समिति की नियुक्ति कर दी जाये । राज्यों के व्यक्तियों तथा वहां की सरकारों से उनकी राय आ जाने के पश्चात् ही हमें अपनी राय इस सम्बन्ध में देनी चाहिये ।

यह तो ठीक है कि नियुक्ति, पक्षपात तथा बिना किसी भेदभाव के होनी चाहिये । हमारा देश एक बहुत बड़ा देश है । सभी कुछ केन्द्र से हो यह संभव नहीं है । राज्यों को भी कुछ अधिकार मिलने चाहियें । केन्द्रीयकरण लोकतन्त्र के विरुद्ध है । केन्द्र में बैठकर सदस्यों को इस बात का आभास होना, कि अमुक राज्य में किस प्रकार के व्यक्तियों की आवश्यकता है, कठिन है । इसलिये कुछ अधिकार राज्य आयोगों को दिये गये हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

इस सम्बन्ध में उच्चतमन्यायालय का उल्लेख किया गया है। यह ठीक है कि उच्चतम-न्यायालय है किन्तु कितने ऐसे व्यक्ति यहां हैं जो इसका उपयोग कर पाते हैं क्यों कि यह बहुत महंगी है। किन्तु हमारा उद्देश्य तो अधिकारों को अधिक निकायों में बांटने का है न कि उन्हें केन्द्रीयकरण करने का। इसीलिये हमारे यहां उच्चन्यायालयों की व्यवस्था की गई है। और वे स्वतन्त्र रह कर कार्य कर रहे हैं।

जिस प्रकार कि न्यायपालिका में स्वतंत्रता के साथ कार्य हो रहा है उसी प्रकार लोक-सेवा आयोग के सदस्यों को उस सरकार से जिसके द्वारा उनकी नियुक्ति की गई डरना नहीं चाहिये।

माननीय सदस्य ने कहा था कि पहले इसका केन्द्रीयकरण किया जाये और प्रत्येक राज्य में लोक-सेवा आयोग की शाखायें खोली जायें। मैं इस विचार से सहमत नहीं हूं। दूसरे उन्होंने लोक-सेवा आयोग के द्वारा सभी नियुक्यिां करने का उल्लेख किया है किन्तु हो सकता है उनका चुनाव हमेशा अच्छा न हो क्योंकि चुनने वाले सदस्य भी मनुष्य हैं और वे भी भावनाओं से प्रभावित होते हैं। इसीलिये व्यक्तियों की नियुक्ति का कार्य सरकार तथा लोक-सेवा आयोग को सौंपा गया है। हमारे संविधान में यह व्यवस्था की गई है कि जब कभी किसी नियुक्ति के बारे में सरकार तथा लोक-सेवा आयोग के बीच मतभेद हो तो संसद् के समक्ष यह मामला लाया जाये और इस पर चर्चा करने का अधिकार है। और मैं समझता हूं कि जो बातें यहां उठाई जाती हैं उसके आधार पर कोई भी सरकार लोक-सेवा आयोग की सिफारिशों के विरुद्ध नहीं जा सकती। हमने देखा भी है कि जब संघ लोक-सेवा आयोग के प्रतिवेदन पर चर्चा हुई थी तो यहां सदस्यों द्वारा उठायी गयी बातों पर सरकार ने ध्यान दिया था।

अंत मैं यही कहूंगा कि इसकी जांच करने के लिये एक समिति बनाई जाये। और यह समिति प्रत्येक राज्य में जायेगी, वहां की जनता से वहां के सरकारी सदस्यों से उनकी राय ले ी तात्पश्चात् इस सभा को अपना प्रतिवेदन देगी। तभी हम उस प्रतिवेदन के आधार पर यह निर्णय कर सकेंगे कि क्या इसकी आवश्यकता है, क्या ऐसा करना वांछनीय है। अंत मैं अपना संशोधन सभा के विचारार्थ प्रस्तुत करता हूं।

श्री राजेन्द्र सिंह : मेरा नम्बर, २ संशोधन है, जो कि मैंने मूल प्रस्ताव को सब्स्टीट्यूट करने के लिये मूव किया है। उसमें मैंने यह छोड़ दिया है कि सुप्रीम कोर्ट की बराबरी का तो एक केन्द्रीय पब्लिक सर्विस कमिशन हो किन्तु पार्लियामेंट के मातहत उसको सारा काम होता रहे और जो उसके काम हों उन पर निगरानी करने के लिये पार्लियामेंट को अधिकार हो। बदकिस्मती से वह बातें उसमें नहीं आई जिनको कि मैं चाहता था और जिनको कि लाना मेरा उद्देश्य था।

दूसरी बात जब मैंने यह संशोधन आपके सामने रक्खा तो उस समय मेरे दिमाग में यह बात थी कि यदि यह संशोधन मंजूर हो या उस पर विचार भी हो तो एक संवैधानिक प्रश्न उठता है कि जो हमारा संविधान है उसमें हमें एक मौखिक परिवर्तन करना पड़ेगा। संविधान एक बहुत पवित्र निधि है और साधारण तौर पर उसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये। किन्तु जिस समय इस संविधान की रचना हुई थी, उस समय और आज के समय के दौरान हमारे ख्यालात और जो हमारी आशायें हैं उनमें महान् परिवर्तन हुए हैं और उन परिवर्त्तनों को दृष्टि में रखते हुये हमें अपने संविधान के अन्दर आवश्यक परिवर्तन करना होगा।

[श्री राजेन्द्र सिंह]

सभापति महोदय मैं सदन के माननीय सदस्यों का ध्यान दूसरी पंचवर्षीय योजना में शासन और संगठन के मुताल्लिक जो बातें कही गई हैं उनकी ओर दिलाना चाहता हूं। उसके अध्याय ६ से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि यदि हमें इस देश का आर्थिक विकास करना है और आर्थिक ढांचा सुदृढ़ करना है तो जो शासन हमने ब्रिटिश हुकूमत से बिरासत में लिया है, उस शासन के जो आधार हैं और जो उसका ढांचा है उसके अन्दर परिवर्तन करना होगा और उन परिवर्त्तनों को करने के लिये यदि हमें अपने संविधान में कहीं-कहीं पर परिवर्त्तन करना भी आवश्यक हो जाये तो उस परिवर्त्तन को हमें करने के लिये सहर्ष तैयार हो जाना चाहिये और उन परिवर्त्तनों को अंगीकार कर लेना चाहिये।

सभापति महोदय, देश के प्रशासन का जो मेरा अनुभव है, उसको सोच कर और देख कर मेरे मन में जो एक पीड़ा होती है, व्यथा होती है उसको मैं यहां सदन में व्यक्त करके इस सदन का समय बर्बाद नहीं करना चाहता हूं। मगर मैं कांग्रेस के हर एक व्यक्ति से कहूंगा, चाहे वह मंत्री हो अथवा साधारण सदस्य, देश के किसी भी हिस्से में वे चले जायें अलबत्ता उस ज्जगह को छोड़ कर जहां कि वे स्वयं शासन में हो, सब जगहों पर घूम करके अगर वे यह कह सकें कि हमारे देश के अन्दर जो शासन है वह एक ईमानदार शासन है और उस शासन के ऊपर हमको भरोसा और विश्वास है तो मैं मान लूंगा। मैं सहर्ष स्वीकार कर लूंगा कि जो आप करते हैं वह सही है। किन्तु, सभापति जी, सारे देश में घूमने का मुझ को भी मौका मिला है और जिस मुहकमे में मैं गया, जिस व्यक्ति से मैं मिला, सबों ने एक जबान से, एक राय से कहा कि आज देश के अन्दर जितना शासन में भ्रष्टाचार है, जितना अनाचार है, और जितना दुराचारी आज हमारा शासन है उतना शायद ब्रिटिश हुकूमत के जमाने में भी नहीं था।

हमारे कांग्रेस के मंत्री आयोजना की बात करेंगे, देश को आगे बढ़ाने की बात करेंगे, प्रगति की बात करेंगे, समाजवाद की बात करेंगे, राम राज्य की बात करेंगे, परन्तु देश में शासन सुधरे, शासन ईमानदार हो, शासन में देशभक्ति हो, इसका उनको कोई परवाह नहीं है।

सभापति जी, मैं उनकी इस राय से सहमत नहीं हूं कि चूंकि एक आदमी पब्लिक सर्विस कमीशन का सदस्य या चेयरमैन है इसलिये वह बड़ा ईमानदार है। चूंकि वह ऊंची कुरसी पर बैठ गया है इसलिये उसका दिल और दिमाग ऊंचा हो गया है यह मैं नहीं मानता। जैसा कि हमारे भाई श्री श्रीनारायण दास जी ने कहा है, वह आदमी भी हमारे ही समाज से उत्पन्न हुआ है, जो हमारे समाज में व्याधियां हैं वे उसके अन्दर भी मौजूद हैं। और इसका इलाज होना चाहिये। आयोग ने कहा था "एनश्योरिंग इंटेग्रिटी इन एडमिनिस्ट्रेशन"। तीन वर्ष कब्ल यह निवेदन किया गया था कि देश के शासन के अन्दर सत्यता के वातावरण की उत्पत्ति होनी चाहिये। मगर, सभापति जी, आपका हमारा और सदन के सदस्यों का यह अनुभव है कि इन तीन वर्षों में देश का शासन और भी अधोमुखी हुआ है। इस शासन के अन्दर कोई विकास नहीं हुआ है। और मैं घोष साहब की इस बात का समर्थन करता हूं कि आज देश के सामने एक तूफान है, और कभी भी हम इस तूफान के थपेड़े में पड़ सकते हैं। मैं कहता हूं कि यह देश विसूवियस के मुख पर खड़ा है, कभी भी यह ज्वालामुखी फट सकता है और देश का विनाश हो सकता है यदि शासन के अन्दर माकूल परिवर्तन न किया गया।

मैं उस दिन को याद करता हूं जब कि स्वतंत्रता संग्राम में एक बच्चे की हैसियत से मुझ को लड़ना पड़ा था। उस समय हमारा नारा था कि यह जेलर और दरोगा हमारे ससुर और साले हैं, और जेल हमारी सुसराल है। मगर बड़ी जिम्मेदारी के साथ, जितनी जिम्मेदारी एक संसद् के सदस्य में हो सकती है, उस सारी जिम्मेदारी के साथ और इज्जत और मर्यादा का ख्याल रखते हुये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सदन के सामने कि आज के मंत्री, चाहे वह कैबिनेट की श्रेणी के हों, चाहे वह डिप्टी मिनिस्टर हो या पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी हों, उनका एक ही काम रह गया है कि वह शासन का समर्थन करें। जिस तरह से एक नामाकूल और गलत दामाद भी घर में आ जाता है तो उसकी खातिर की जाती है, उसी तरह से अगर कोई भ्रष्टाचारी अफसर होता है तो हमारे मंत्री उसका समर्थन करते हैं बाहर ही नहीं सदन के भीतर भी। यह प्रजातंत्र का मखौल इस सदन के अन्दर हो रहा है। कल की बात है कि मैंने सरे आम कहा, सदन में बड़ी जवाब देही के साथ कहा, कि सोनपुर का डी० टी० एस० अपने घर में वैश्याओं को बुलाता है, वे बिना टिकिट आती हैं। उनके साथ जो बात होती होगी वह तो मैं दुरबीन लगा कर नहीं देखता, सिर्फ सुनता हूं और उससे अन्दाजा करता हूं। इस पर डिप्टी मिनिस्टर साहब ने कहा कि यह सरासर गलत है। मैं कहता हूं कि अगर गलत है तो आप इसकी तहकीकात कीजिये। एक लहमें में कह दिया कि गलत है। मैंने चुनौती दी कि तहकीकात होनी चाहिये और अगर यह बात सही हो तो उनको इस्तैफा देना चाहिये और अगर गलत होगी तो मैं इस्तैफा देने को तैयार हूं। मैं नहीं समझता कि अगर मैं संसद् का सदस्य हो गया तो मैं ऊंचा उठ गया हूं। मैं इस पद को एक लहमे में छोड़ सकता हूं। मगर वह मेरी बात पी गये। वह मेरे साथी हैं। उनको ऊंची कुरसी मिल गयी है। मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला है। लेकिन जब मैं एक अभियोग लगाता हूं तो वह कहते हैं कि यह सरासर गलत है। क्या इसी के लिये वह उपमंत्री हुये हैं? कोई आदमी सही है .....

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : आनरेबल मेम्बर ने कल भी एक दो दफा यही चीज कही और दुहराई। वह पेशकश कर रहे हैं कि इस चीज को साबित करेंगे अगर वह इस चीज को साबित कर सकते हैं तो मैं उस अफसर को कड़ी से कड़ी सजा दे सकता हूं।

†**श्री राजेन्द्र सिंह :** धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।

†**सभापति महोदय:** इस सभा के सामने विषय यह है कि सार्वजनिक सेवाओं के लिये अच्छे व्यक्तियों की नियुक्ति कैसे की जाये। मैं चाहता हूं कि माननीय सदस्य संकल्प से सुसंगत बातों पर ही प्रकाश डालें और व्यक्तिगत उदाहरणों का उल्लेख न करें। वे इस वर्तमान व्यवस्था की आलोचना कर सकते हैं तथा नई व्यवस्था जारी करके उसमें सुधार करने का सुझाव दे सकते हैं। व्यक्तिगत उदाहरण कहीं कहीं ही दे सकते हैं।

†**श्री राजेन्द्र सिंह :** मैं यही निवेदन कर रहा था कि जहां कहीं भी हम जाते हैं चाहे वह रेलवे विभाग है अथवा प्रशासकीय विभाग सभी जगह गड़बड़ है। कल माननीय रेलवे उपमंत्री से मैं समयाभाव के कारण नहीं मिल सका। आज उन्होंने कम से कम इतना आश्वासन तो दिया है कि मामले की जांच की जायेगी। कहां तो वह कहते थे कि मेरी बात बिल्कुल गलत है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री शाहनवाज खां :** आशा है कि माननीय सदस्य त्यागपत्र वाली बात नहीं भूले होंगे ।

†**श्री स० म० बनर्जी :** (कानपुर) : यह बात दोनों ओर लागू होती है ।

श्री शाहनवाज खां : अगर इजाज़त हो तो मैं यह कहना चाहता हूं कि आनरे ल मेम्बर ने यह कहा था कि उनके सैलून में वैश्यायें जाया करती हैं ।

श्री राजेन्द्र सिंह : मैंने सैलून नहीं कहा, मैंने घर कहा था। मैंने कहा था कि सोनपुर का डी० टी० एस० छपरा से ३५ मील अलग के शहर से वेश्याओं को बुलाता है । मैंने टी० टी० ई० से कहा कि जाकर चैक करो, तो उसने कहा कि इससे तो मेरी नौकरी जाती रहेगी तुम ही चैक करो । आखिर चूंकि मुझे को भी वहां से वोट मिलते हैं इसलिये मैंने भी छोड़ दिया ।

†**सभापति महोदय :** अध्यक्ष महोदय ने एक व्यवस्था यह भी की थी कि जब किसी माननीय सदस्य को किसी पदाधिकारी के विरुद्ध कोई आरोप लगाने हों तो वह पहले सम्बन्धित मंत्री महोदय को लिख कर भेजें और उनके उत्तर से असन्तुष्ट होने पर ही सदनमें इसका उल्लेख करें और इसकी सूचना अध्यक्ष महोदय को भेज दें। यह बहुत अच्छी प्रथा है और हमें इस का पालन करना चाहिये। क्योंकि कि कोई भी सदस्य किसी भी पदाधिकारी के विरुद्ध कोई भी आरोप लगा सकते हैं और हम उनके बारे में यहां चर्चा नहीं कर सकते तथा उनके सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं कर सकते । इसलिये हमें अध्यक्ष महोदय द्वारा जारी की गई व्यवस्था का पालन करना चाहिये । माननीय सदस्य इस सम्बन्ध में नियम संख्या ३५३ देखें ।

श्री राजेन्द्र सिंह : मैंने इसे समझ लिया है और इस मामले को अध्यक्ष महोदय तक ले जाऊंगा। साथ ही यह भी जानता हूं कि यदि मैंने यह बात श्री शाहनवाज़ खां को लिखी तो मक से कम छः महीने तक उत्तर की प्रतीक्षा करनी होगी ।

मैं यह कहना चाहता था कि पब्लिक सर्विस कमीशन में भी वही दोष वर्तमान हैं, जो कि किसी महकमे में या किसी मंत्री के साथ वर्तमान हैं । मैं यह नहीं मानता कि वह इन बातों से अछूता है। यह ठीक है कि संविधान के अधीन देश के हर एक प्रदेश में एक-एक पब्लिक सर्विस कमीशन है। लेकिन मैं आप को बिहार की स्थिति के बारे में बताना चाहता हूं। मेरे बिहार के दोस्तों को पता होगा। मैं बिहार की बात करता हूं—दूसरे सूबों के बारे में मैं नहीं जानता हूं। वहां पर पब्लिक सर्विस कमीशन के मायने ये हैं कि यदि किसी जाति विशेष के लोग कमीशन के मेम्बर हैं, तो वे अपनी जाति के उम्मीदवारों को खोजते हैं । हमारे यहां यदि कोई व्यक्ति आफ़िसर हो जाता है और वह अगर किसी मिनिस्टर की बिरादरी का हुआ, तो उसको अपने थाने में, अपने सब-डिविज़न में या अपने जिले में रखा जाता है। मैं कहना चाहता हूं कि आज िहार में रोज-मरा की जिन्दगी बड़ी विषाक्त हो गई है। एक आदमी दूसरे से बात करने में सहमत है। वह डरता है कि कहीं इस के कोई दूसरे मायने न लगा लिये जायें। जब मैं एक केन्द्रीय पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करता हूं, तो उस का अर्थ यह नहीं है कि मैं प्रदेशों के स्वशासन के विरुद्ध हूं और उसको खत्म

†मूल अंग्रेजी में

करना चाहता हूं। मैं यह चाहता हूं कि सारे देश के लिये एक सेवा आयोग हो और उसके मातहत और लोग हों। मेरा ख्याल है कि ऐसा होने पर हम प्रदेश, जाति, धर्म और दूसरे छोटे-छोटे झगड़ों से मुक्त हो सकते हैं, जिन में हम इस वक्त फंसे हुये हैं। आज जो हालत है, उस को आप देखिये। हमारे सूबे में एक दिन वह समय था, जब कि यह लहर चली, यह वातावरण पैदा हुआ कि बिहार में दूसरे प्रदेश के आदमी को रख न लिया जाये और बिहार में ऊंचे पदों पर केवल बिहारियों को हीं रखा जाये। वह लहर चली, आन्दोलन हुआ और उसके कुछ नतीजे भी निकले। लेकिन ग्यारह वर्ष के शासन के बाद आज स्थिति यह है कि यह भावना पैदा हो गई है कि ऊंचे पदों पर बिहारियों को न रखा जाये। राजपूतों, कायस्थों और ब्राह्मणों ने एक दूसरे का विश्वास खो दिया है। हमारे प्रदेश में १७ जिलों में १४, १५ जिलों में नान-बिहारी कलैक्टर हैं। मुझे उन से कोई द्वेष नहीं है। उन में से काफ़ी अच्छे लोग हैं—कुछ नाजायज लोग भी हैं, लेकिन काफ़ी अच्छे हैं। मेरा निवेदन यह है कि जो जिस प्रदेश का है, वह अपने प्रदेश में कम से कम नौकरी न करे, तभी कुछ न्याय हो सकता है। बिहार के लोग तादाद और एरिया के मुताबिक सर्विस में जायें, लेकिन उन को मद्रास में रखा जाये और मद्रास के लोगों को बिहार में रखा जाये। इसी तरह बंगाल के लोगों को पंजाब में रखा जाये और पंजाब के लोगों को बंगाल में रखा जाये। इस का लाभ यह होगा कि किसी प्रदेश के जो शासक होंगे, उन को उस जमीन से कोई लगाव नहीं होगा और उनमें कोई प्रेजुडिस—पूर्वाग्रह—भी नहीं होगा। वे स्ट्रिक्ट्ली आब्जेक्टिव प्वाइंट आफ़ व्यु (निश्पक्ष दृष्टि) से सब प्रश्नों को देखेंगे। इस दृष्टि से कि हमारी सेवाओं में सुधार हो उन की दक्षता में बृद्धि हो, उन का चरित्र अच्छा हो और उन के व्यक्तित्व में सचाई झलके, किसी भी पार्टी या फ़िरके से उनका सम्बन्ध न हो, यह आवश्यक है कि एक यूनिफ़ाइड सेंट्रल सर्विस कमीशन नियुक्त किया जाये और उस के मातहत हर महकमे के लिये नौकर रखने की व्यवस्था हो, लेकिन इट शुड बी एकाउंटेबल टु दि पार्लियामेंट। (वह संसद के प्रति उत्तर दायी हो) मैं इस बात से बिलकुल सहमत नहीं हूं कि पब्लिक सर्विस कमीशन के लोग देवता हैं और वे कभी गल्ती नही करेंगे। पार्लियामेंट हर वर्ष उन की रिपोर्ट पर विचार करे, उन के कार्यों पर नजर रखे और अगर उसको कोई गलती दिखाई दे, तो उस का सुधार किया जाये।

सभापति जी, मैं आप का बहुत अनुगृहीत हूं कि आप ने कृपा कर के मुझे इतना वक्त दिया। धन्यवाद।

श्री ब्रजराज सिंह (फिरोजाबाद): विधान-निर्माताओं ने जब केन्द्र और राज्यों के लिये अलग-अलग सर्विस कमीशन बनाने की व्यवस्था की, तो उद्देश्य उन का यह था कि राज्यों को अपने दायरे में पूरी स्वतन्त्रता रहे और वे अपनी सर्विसिज में लोगों को भर्ती कर सकें और जहां तक केन्द्रीय सेवाओं का सम्बन्ध है, उस में केन्द्र को भी पूरी स्वतन्त्रता रहे। जहां तक श्री घोष के प्रस्ताव का सम्बन्ध है, श्री श्रीनारायण दास और श्री राजेन्द्र सिंह ने उस पर अपने संशोधन पेश किये हैं, मैं उन की आतमा से सहमत नहीं हूं। एक बात मैं कहना चाहूंगा और वह यह है कि चाहे वह राज्य की सर्विस कमिशन हो चाहे केन्द्र की, आज कुछ इस तरह की प्रवृत्ति बनती जा रही है कि जो सेवायें हैं उनको किसी न किसी प्रकार से उन कमिश्नंस के दायरे से निकाल करके अपने अधिकार क्षेत्र में किया जाने लग गया है और कर लिया गया है। अभी लोक-सभा सचिवालय की ओर से एक पुस्तिका प्रकाशित हुई है। जिसका नाम है क्लासिफाइड लिस्ट आफ पब्लिक अंडरटेकिंग्स एंड अदर बाडीस इन इंडिया और यह किताब हम लोगों को दी गई है और इसमें दर्ज है कि अरबों रुपये का प्रबन्ध करने

[श्री व्र.राज सिंह]

वाली जो संस्थायें हैं जिनका निर्माण केन्द्रीय सरकार ने किया है, उनके आधीन जो नियुक्तियां होती है, वे बिना कमिशन को पूछे या बिना उसकी राय लिये ही कर ली जाती है। इसकी कोई जरूरत महसूस नहीं की जाती है और न इसकी कोई जरूरत ही है। हिन्दुस्तान की सरकार का जितना बजट है उससे कहीं अधिक रुपया ये जो संस्थायें हैं, उसका वे प्रबन्ध करती हैं और करेंगी। उनके आधीन होने वाली नियुक्तियों के बारे में पब्लिक सर्विस कमिशन को न पूछने की आवश्यकता है और न ही इसकी राय लेने की जरूरत है। मैं यह भी बतलाना चाहता हूं कि दो-दो हज़ार रुपये मासिक की जो नियुक्तियां हैं उनको करते समय हो सकता है कि गवर्नमेंट को, मिनिस्टर से पूछने की जरूरत पड़े वर्ना जो चेयरमैन इन संस्थाओं के हैं या जो डाइरैक्टर्स हैं वे ही अपने आप बड़ी-बड़ी तनख्वाहों वालों की नियुक्तियां कर सकते हैं। यह प्रवृत्ति, मैं समझता हूं जनतंत्र के विकास के लिये अच्छी नहीं है। जितनी भी नियुक्तियां हों वे सभी पब्लिक सर्विस कमिशन की मार्फत होनी चाहिये। यह एक उसूल होना चाहिये लेकिन मैं आज देख रहा हूं कि इस उसूल की पूरे तौर से हत्या की जा रही है फिर चाहे वह राज्यों का सवाल हो या केन्द्र का हो।

मैं जानता हूं कि राज्य भी अपने सीमित क्षेत्र में इस तरह की प्रवृत्ति दिखाते हैं कि वे अलग-अलग तरीके से अपने आदमियों को भरती कर लेते हैं और ऐसे-ऐसे लोगों को रख लेते हैं जिनको कि सात सौ, आठ सौ और एक हजार रूपये तनख्वाह दी जाती है और कमिशन की कोई राय ही नहीं ली जाती है, उससे पूछा तक नहीं जाता है। जब यह सवाल पैदा होता है कि उनको कमिशन के सामने पेश किया जाये तो उनको पेश नहीं किया जाता है। इस तरह की जो प्रवृत्ति दृष्टिगोचर हो रही है यह बहुत ही खतरनाक प्रवृत्ति है और इस पर रोक लगनी जरूरी है। मैं उदाहरण दे कर इस सदन का समय बरबाद करना नहीं चाहता। लेकिन मैं इतना अवश्य कहना चाहता हूं कि क्या यह उचित है कि हम इस तरह के पब्लिक अंडरटेकिंग्स (सरकारी उपक्रम) के नाम पर अरबों रुपये की सम्पत्ति का प्रबन्ध करने वाली संस्थायें कायम करके, उनका प्रबन्ध करने के लिये जो व्यक्ति नियुक्त किये जाते हैं उनको कमिशंस के अधिकार क्षेत्र से बाहर कर दें। पार्लियामट के अधिकार क्षेत्र से तो उनको बाहर नहीं किया जा सकता है क्योंकि पार्लियामेंट पूरी तरह से सर्व सत्ता प्राप्त संस्था है, लेकिन पब्लिक सर्विस कमिशन के परव्यू से भी उनमें होने वाली नियुक्तियों को बाहर करना किसी भी तरह से उचित नहीं समझा जा सकता है। इस तरह से नियुक्तियां करने से हो सकता है हमारी सेवाओं में वह निष्पक्षता न आये जो उनमें आनी चाहिये या वह योग्यता न हो जोकि उनमें होनी चाहिये। जब कोई नियुक्ति कमिशन के अधिकार क्षेत्र से बाहर होती है तो केन्द्र के बारे में तो मैं नहीं कहता लेकिन राज्यों में तो राजनीतिक आधारों को लेकर कर दी जाती है। केन्द्र में यह चीज़ आई है या नहीं, यह मैं नहीं जानता लेकिन इस तरह की स्थिति यहां भी आ सकती है।

लेकिन इन सब बातों को अलग रखते हुए मैं कहना चाहता हूं कि इन कमिशंस को वही महत्व दिया जाना चाहिये जो कि हमारे संविधान में दिया गया है। उस महत्व को देखते हुए मैं यह उचित नहीं समझता हूं कि पब्लिक अंडरटेकिंग्स के अन्दर जो नियुक्तियां होती हैं उनको कमिशंस के अधिकार क्षेत्र में से बाहर कर दिया जाय। दो-दो हज़ार रुपये महीने की नियुक्तियों को उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर करने का तो कोई कारण ही नहीं हो सकता है। आज हम पब्लिक सैक्टर (सरकारी क्षेत्र) को बढ़ाते चले जा रहे हैं, इस को अधिक महत्व देते जा

रहे हैं, और मैं समझता हूं इसको बढ़ाना भी चाहिये, इसको अधिक महत्व भी दिया जाना चाहिये और मैं उस से पूरे तौर पर सहमत हूं। इसके लिए हमें अधिकाधिक रुपया पब्लिक सैक्टर में लगाने की जरूरत पड़ेगी और उस रुपये का प्रबन्ध कौन करेगा, ये सेवायें हैं तो करेंगी। इस वास्ते इन सेवाओं के बारे में हमें यह देखना होगा कि जो क्मपीटेंट (योग्य) आदमी हैं वही रखे जायें और यह काम बखूबी कमिशंस ही कर सकती हैं। इस वास्ते मैं सरकार को आगाह करना चाहूंगा और चाहूंगा कि वह इस सम्बन्ध में अपनी नीति स्पष्ट करे।

मैं यह भी चाहूंगा कि चाहे अखिल भारतीय सेवायें हों और चाहे दूसरी कोई नौकरियां हों, किसी तरह की भी नियुक्तियां बिना कमिशन से पूछे और उसकी रज़ामन्दी लिए नहीं होनी चाहियें। अगर आप ऐसी कोई बात करते हैं तो वह उचित नहीं है। ये जो पब्लिक अंडरटेकिंग्स हैं इनमें कौन लोग हैं। क्लासिफाइड लिस्ट जो लोक सभा सचिवालय की ओर से प्रकाशित की गई इसको देखा जाए तो पता चलेगा कि ज्यादातर डायरेक्टर्स आफिसर लोग ही हैं और उनके ज़रिये ही ये नियुक्तियां होती हैं और उन्हीं को आप यह अधिकार देते हैं कि वे जिनको चाहें रख लें। मैं किसी के प्रति किसी भी प्रकार की दुर्भावना प्रकट करना नहीं चाहता लेकिन इतना अवश्य कहना चाहूंगा कि अगर वे खुद डायरेक्टर बने रहना चाहते हैं तो उनको जो पार्टी उस समय सत्ता थामे हुए हैं उसका कहना मानना ही होगा। इस वास्ते मैं कहना चाहता हूं कि उसूली तौर पर यह बात मान ली जाए कि जितनी भी नियुक्तियां हों वे सब कमिशंस के ज़रिये हों, केन्द्र में यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन के ज़रिये हों और सटेट्स में स्टेट्स पब्लिक सर्विस कमिशंस के ज़रिये।

मैं एक और बात कहना चाहता हूं। आज जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के ताल्लुकात हैं उसका कतई यह मतलब नहीं है कि जहां तक न्याय देने का ताल्लुक है, उस में हाई कोर्टस सुप्रीम कोर्ट के मातहत होती हैं। हां इतना जरूर है कि हाई कोर्ट की जजमेंट से अगर कोई पक्ष असन्तुष्ट होता है वह सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है और वहां पर न्याय प्राप्त कर सकता है। इसी तरह से भविष्य के लिए अगर आप कोई इस तरह की व्यवस्था कर दें कि राज्य के किसी कमिशन में अगर कोई ऐसी बात हो जाए जिस से कि एक पक्ष को संतोष न हुआ हो तो वह यदि यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन में जाना चाहे तो जा सकता है और वहां अपील कर सकता है। इस वास्ते मैं समझता हूं कि कुछ स्वास्थ्यकारी परम्परायें इस तरह से कायम हो सकती हैं।

एक बात और मैं कहना चाहूंगा। हमारे केन्द्रीय सचिवालय में जो सेवायें हैं उनके बारे में कहा जाता है कि कुछ नियम बने हुए हैं और उन नियमों के अनुसार ही भरती की जाती है, प्रोमोशंस की जाती हैं, पदोन्नतियां की जाती हैं और उन में से कुछ केसिस में कमिशन की राय लेने की जरूरत पड़ती है। जिस तरह से पदोन्नतियां की जाती हैं उस से कभी-कभी कुछ लोगों को असन्तोष भी होता है और वे समझते हैं कि वे सही तौर पर नहीं की गई हैं। ऐसे केसिस में या तो कमिशन की राय मांगी ही नहीं जाती है और अगर मांगी भी जाती है तो इस तरह से मांगी जाती है जिस तरह से कि उसकी राय का कोई महत्व ही नहीं रह जाता है। मैं समझता हूं जनतंत्र को सफल बनाने के लिए, देश का विकास करने के लिये, उन्नति करने के लिये यह बहुत आवश्यक है कि हमारी जो सेवायें हैं वे निष्पक्षता पूर्वक अपना कार्य करें। उनको विश्वास की भावना से कार्य करना चाहिये और जब तक यह भावना उन में पैदा नहीं होती काम काज अच्छी तरह से नहीं चल सकता है। इस वास्ते उनको यह महसूस कराने की आवश्यकता है कि अगर वे नियमों में रहते हुए वक्त की सरकार के खिलाफ कोई काम करें, तो उनको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है।

अन्त में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि संविधान में जो महत्व पब्लिक सर्विस कमिशन को दिया गया है वही महत्व उनका बना रहना चाहिये और यह जो प्रवृति दिखाई दे रही है कि उसके दायरे से अधिक नौकरियों को निकाल कर शासन के हाथ में या संस्थाओं के हाथ में सौंप दिया जाए, इस का अन्त होना चाहिये और जितनी भी नियुक्तियां हैं ये सभी कमिशन के ज़रिये होनी चाहियें ।

श्री रघुनाथ सिंह (वाराणसी) : सभापति महोदय, जो प्रस्ताव उपस्थित किया गया है उसके मौलिक सिद्धान्तों का चारों ओर से स्वागत किया गया है, समर्थन किया गया है। उस प्रस्ताव में जो संशोधन उपस्थित किये गये हैं उनमें तथा प्रस्ताव में कोई मूल रूप में बहुत अधिक अन्तर नहीं है। लेकिन हमें देखना यह है कि हम किस तरह से हिन्दुस्तान को एक बना सकते हैं, उस में किस प्रकार से एकरूपता ला सकते हैं। राज्यों की अलग सेवायें हो गई हैं, रेलवे की अलग सेवा हो गई है और केन्द्र की भी अलग सेवा हो गई है। इस पर हमको इस दृष्टि से विचार करना चाहिये कि जो सेवायें हैं वे किस प्रकार से स्वतंत्रतापूर्वक और निष्पक्ष भाव से अपना काम कर सकती हैं। प्रान्तीयता और जातीयता, ये दो हमारे बड़े भारी शत्रु हैं और इन दोनों का अवसान होना चाहिये। इनका अवसान उसी अवस्था में हो सकता है जब कि हमारी एक केन्द्रीय सेवा होगी या हम एक सेवा का संगठन करेंगे। आज एक तो रेलवे सर्विस कमिशन है। वह जो छोटे कर्मचारी हैं उनकी भरती वह करता है लेकिन जो बड़े कर्मचारी होते हैं, वे आई० ए० एस० में से लेकर रख दिये जाते हैं। जिस तरह से अंग्रेज़ों के ज़माने में होता था कि जो आई० सी० एस० होते थे वे दुनिया की जितनी सर्विसिस हैं उन सभी के लिए विशेषज्ञ समझे जाते थे, उसी तरह से आज आइ० ए० एस० समझे जाने लगे हैं। इस प्रवृति का अन्त होना चाहिये। एक व्यक्ति जिस विषय का विशेषज्ञ हो, उसी पद पर उसको नियुक्त किया जाना चाहिये। दूसरे पर नहीं। जिस तरह से पूर्वकाल में इंडियन इंजीनियरिंग की एक सर्विस थी, उसी प्रकार से इंडियन इंडस्ट्रियल सर्विस (भारतीय औद्योगिक सेवा) होनी चाहिये, उसी प्रकार से इडियन रेलवे सर्विस भारतीय रेलवे सेवा होनी चाहिये . . .

रेलवे मंत्री (श्री जगजीवन राम) : है ।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

यह देखिये कि सिंदरी के कारखाने के लिये एक आई० सी० एस० चेअरमैन बना कर भेज दिये गये। ऐसा नहीं होना चाहिये। जो आदमी जिस विषय का एक्सपर्ट (विशेषज्ञ) हो, उस का जिस विषय का ज्ञान हो, उस के अनुसार ही उस को सेवा करने का अवसर दिया जाना चाहिये। हमारे प्रान्तों में क्या होता है? एक प्राविंशल जुडिशल सर्विस (राज्य न्यायिक सेवा) है, उस में यह होता है कि लोगों का इन्फ्लुएंस (प्रभाव) चलता है। प्राविंसेज के अन्दर बहुत से लोगों का प्रभाव जुडीशियरी में होने लगा है और जुडिशल शासन के लिये हिन्दुस्तानियों के हृदय में जो भावना पहले थी वह आज नहीं रही है। उस में कमी हो गई है, इस वास्ते, कि उन का जो रिक्रूटमेंट (नियुक्तियां) होती हैं, जो आदमी लिये जाते हैं उन की नियुक्ति में बहुत से फैक्टर काम करते हैं। उस में जातीयता काम करती है, प्रांतीयता काम करती है। इस वास्ते जो जुडिशल सर्विस है उस को केन्द्रीय सर्विस होना चाहिये ताकि इंडेपेंडेंस हो। जब तक वहां पर इंडेपेंडेंस नहीं होगी तब तक वहां पर इंसाफ नहीं होगा, और अगर देश में इंसाफ का खून होगा तो फिर हमारी आजादी के कोई अर्थ नहीं हैं। मैं आप को एक एग्जाम्पल (उदाहरण) दूं। हमारे सूबे का, हमारे शहर का एक स्टूडेंट है नाइन्थ क्लास का वह ले लिया जाता है सर्विस में लेकिन एक बी० ए० क्लास का स्टूडेंट नहीं लिया जाता है। कई तरह के लोग हैं। एक स्टडेंट थर्ड डिवीजन में

पास होता है वह इंफ्लुएंस के कारण ले लिया जाता है लेकिन फर्स्ट क्लास पास स्टूडेंट नहीं लिया जाता है । अगर इस तरह की बातें होती हैं तो इस का असर हमारी आने वाली सन्तान पर बहुत खराब होगा और अगर इस प्रकार का खराब असर होता गया तो शासन चल नहीं सकता ।

उपाध्यक्ष महोदय : यह तो इस बात पर निर्भर करता है कि किस काम के लिये किस आदमी को लेना है, उस काम के लिये दसवीं जमात फेल अच्छा है या बी ० ए० पास अच्छा है ।

श्री रघुनाथ सिंह : मैं काम के सम्बन्ध में ही कह रहा हूं । खास कामों में भी ऐसा हो जाता है कि इंफ्लुएंस बड़ा काम करता है । जो आदमी अच्छा होता है वह नहीं लिया जाता लेकिन जो आदमी अच्छा नहीं है, जिसका कोई उपयोग नहीं है, वह इंफ्लुएंस के कारण स्थान प्राप्त कर लेता है । यह प्रवृति हमारे देश के लिये अच्छी नहीं है, इस वास्ते इस का अवसान होना ही चाहिये ।

श्री दी० चं० शर्मा (गुरदास पुर) : इसका इलाज क्या है ?

श्री रघुनाथ सिंह : सर्विस का केन्द्रीकरण होना चाहिये । इस का एक मात्र इलाज यही हो सकता है कि हम लोगों की नैतिकता अच्छी हो, हम में मारैलिटी जो है वह और बढ़े । अगर यह नहीं बढ़ेगी तो कानून के कारण हम में मारैलिटी नहीं आ सकती । अच्छे से अच्छा आदमी हो लेकिन अगर उस में नैतिकता नहीं है तो उस के द्वारा अच्छा काम नहीं हो सकता है ।

इन शब्दों के साथ जो प्रस्ताव हमारे भाई ने रक्खा है मैं उसका समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि उस पर सद्भावना पूर्ण विचार होगा और हमारे आजाद हिन्दुस्तान में सब को आजादी के साथ काम करने का मौका प्राप्त होगा ।

†**श्री शंकरय्या** (मैसूर) : मैं इस संकल्प का इस आधार पर विरोध करना चाहता हूं कि इस से केन्द्र तथा संघ लोक सेवा आयोग के हाथों में अधिक शक्तियों का केन्द्रीकरण हो जायेगा । यह अनुचित है क्योंकि हम सभी क्षेत्रों में विकेन्द्रीकरण करने का प्रयत्न कर रहे हैं । राज्य सरकारों को ही यह अधिकार प्राप्त है कि वह राज्य लोक सेवा आयोग को अधिक शक्तियां प्रदान कर सकती हैं और आयोग द्वारा दुरुपयोग किये जाने पर उन्हें वापस ले सकती हैं ।

मेरे विचार से लोक सेवा आयोगों को उतनी स्वतंत्रता नहीं प्रदान की जानी चाहिये जितनी कि उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालयों को है । क्योंकि ये आयोग गलती कर सकते हैं । आयोगों की शक्तियों को संघ लोक सेवा आयोग में केन्द्रीकरण करना भी अनुचित है क्योंकि इस से स्थानीय व्यक्तियों या स्थिति का भली प्रकार ज्ञान न होने के कारण उनकी उपेक्षा हो सकती है । इसके अलावा संघ लोक सेवा आयोग इस कार्य को कुशलतापूर्वक कर भी नहीं सकता है । अभी ही इस सम्बन्ध में शिकायतें हो रही हैं कि दिल्ली में संघ लोक सेवा आयोग का कार्यालय होने के कारण कुछ राज्यों को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है तब तो इस प्रकार की शिकायतें बहुत बढ़ जायेंगी ।

बजाय इस के यह चाहिये कि संघ लोक सेवा आयोग परीक्षा में प्राप्त अंकों को अधिक महत्व नहीं दे क्योंकि विभिन्न विद्यालयों का अपना-अपना स्तर होता है और इसका यह फल होता है कि ऊंचे स्तर वाले विश्व विद्यालयों के विद्यार्थी कम अंक पाने के कारण चुनाव में रह जाते हैं और उन से कम योग्य व्यक्ति आ जाते हैं ।

†मूल अंग्रेजी में

साथ ही मैं यह भी कहना चाहता हूं कि रेलवे सेवा आयोगों के कार्य सम्बन्धी प्रतिवेदन भी संसद् के दोनों सदनों और सम्बन्धी राज्यों के विधान सभाओं में रखा जाना चाहिये। जिस से सदस्यों को ज्ञात हो सके कि रेलवे सेवा आयोग किस प्रकार कार्य कर रहे हैं।

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)**: मैं संकल्पकर्ता महोदय से पूर्ण आदर के साथ यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह संकल्प सुविचारित नहीं है साथ ही अव्यवहारिक और अटपटा भी है। इस सम्बन्ध में मैं उन बुनियादी सिद्धान्तों को सभा के सम्मुख रखने का प्रयत्न करूंगा जिन पर हमारा संविधान आश्रित है। इसके अधीन न केवल संसद् को ही वैधानिक प्राधिकार प्राप्त हैं अपितु राज्यों की विधान सभाओं को भी अपने-अपने राज्यों में पूर्ण वैधानिक अधिकार प्राप्त हैं। कुछ विषय भी ऐसे हैं जो पूरी तरह राज्य विधान सभाओं के अन्तर्गत हैं। इसलिये क्या संविधान के वर्तमान रूप को अक्षुण्ण रखते हुये माननीय सदस्य द्वारा प्रस्तुत योजना पर विचार किया जा सकता है? या ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि संविधान में व्यापक परिवर्तन किये जायें?

माननीय सदस्यों ने उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों संघ लोक सेवा आयोग तथा राज्य लोक सेवा आयोगों के बीच एक भ्रांति पैदा कर दी है। वस्तुत: इन संस्थाओं का रूप नितान्त भिन्न है। जहां तक उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालयों का सम्बन्ध है वे गैर-सरकारी पक्षों या गैर-सरकारी और सरकारी पक्षों के बीच झगड़ों का निपटारा करती हैं। वे विवादास्पद प्रश्नों का निर्णय करते हैं और उस पर अपना निर्णय देते हैं। उनके निर्णय को सभी गैर-सरकारी पक्षों और सरकार को भी मानना होता है।

इस कारण संविधान में न्यायपालिका के सिद्धान्त का पूरी तरह से प्रतिपादन किया गया है और उसे स्वीकार किया गया है। उच्चतम न्यायालय और न्यायालय न केवल विवादास्पद प्रश्नों का ही निर्णय करते हैं अपितु उनसे कभी कभी संवैधानिक प्रश्नों के सम्बन्ध में भी राय पूछी जाती है।

लोक सेवा आयोग राज्य तथा केन्द्र में सेवाओं के सम्बन्ध में काम करते हैं। सेवाओं का प्रश्न केन्द्र में संघीय कार्य पालिका के अन्तर्गत और राज्यों में राज्य सरकारों की कार्यपालिका के अन्तर्गत आता है। लोक सेवा आयोगों का विकास राज्य तथा केन्द्रीय सरकारों के अधीन इस लिये किया गया है कि विभिन्न आवेदनकर्ताओं की योग्यता इत्यादि पर विचार कर उनकी नियुक्ति की जा सके। इस बात के लिये उचित व्यवस्था भी की गई है। संविधान में भी विभिन्न राज्यों में और केन्द्र में लोक सेवा आयोग नियुक्त करने के सम्बन्ध में व्यवस्था की गई है। संकल्प के प्रस्तावक महोदय को इस संस्था के कार्यों को अपने ध्यान में रखना चाहिये। लोक सेवा आयोग को नियुक्तियां करने का प्राधिकार नहीं है। नियुक्ति करने का कार्य केन्द्र तथा राज्य में कार्य-पालिका सरकार का है। संविधान के अनुच्छेद ३२० में इसका स्पष्ट उल्लेख किया गया है। उनका कार्य केवल सलाह देने का है उक्त अनुच्छेद में यह भी कहा गया है कि सरकार लोक सेवा आयोगों से कुछ मामलों में परामर्श करेगी। उसी अनुच्छेद में यह भी कहा गया है कि कई मामले ऐसे भी हो सकते हैं कि जब लोक सेवा आयोगों से सलाह करना संभव न हो या अनुकूल न समझा जाय। ऐसे मामले में राष्ट्रपति का यह विशेषाधिकार होगा कि वह कुछ विषयों को लोक सेवा आयोगों की अधीनता से हटा देवें। अभी पिछले सत्र में सभा में ऐसे विनियमों के सम्बन्ध में चर्चा हुई थी

---

†मूल अंग्रेजी में

जिनके अधीन राष्ट्रपति ने कुछ विषय संघ लोक सेवा आयोग की परिधि से हटा दिये हैं । इसलिये क्या हम उस बुनियादी सिद्धान्त पर विचार करते हुये जिस पर हमारा संविधान आधारित है, उच्चतम न्यायालयों और उच्च न्यायालयों को, जिन्हें अन्तिम निर्णय का अधिकार प्राप्त है, लोक सेवा आयोगों के समकक्ष रख सकते हैं ।

कई बार विरोधी पक्ष के सदस्य सरकार पर अविश्वास के कारण यह सोचते हैं कि समस्याओं का सब से सरल उपचार यह है कि कार्य को न्याय पालिका या लोक सेवा आयोगों के अधीन रख दिया जाय । अभी दो दिन पूर्व इस प्रश्न के पहले पहलू पर भाषण करते हुये मैंने कहा था कि न्यायपालिका और कार्यपालिका के पृथक पृथक कार्य हैं और कार्यपालिका का अंकुश यह है कि वह केन्द्र में संसद् और राज्यों में राज्य विधान सभा के प्रति उत्तरदायी हैं । यह प्रश्न सेवाओं पर नियुक्ति के अधिकारों और दायित्वों से सम्बन्ध रखता है । नियुक्ति करने का वास्तविक कार्य लोक सेवा आयोगों का नहीं है । वस्तुतः यदि हम इस बुनियादी गल्ती पर ध्यान देवें तो इस संकल्प पर विचार करने का भी प्रश्न नहीं पैदा होता है, संकल्प को स्वीकार करना तो दूर की बात है ।

जहां तक संविधान के संशोधन का प्रश्न है यद्यपि यह अधिकार संसद् को प्राप्त है तथापि कुछ विषयों पर राज्य सरकारें घनिष्ट रूप से सम्बन्धित रहती हैं । क्योंकि राज्यों में लोक सेवा आयोग राज्य सरकारों व राज्य विधान सभाओं की सहयोगिता से ही कार्य करते हैं । माननीय सदस्य अपने संकल्प द्वारा इन लोक सेवा आयोगों को उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के समकक्ष रखना चाहते हैं । यह अव्यवहारिक है । कुछ सदस्यों ने यह सलाह दी है कि संघ लोक सेवा आयोग के स्थान पर एक संयुक्त लोक सेवा आयोग बनाया जाय । यह व्यावहारिक नहीं है । क्योंकि राज्य की सेवायें राज्यों के विषय के अन्तर्गत आती हैं और केन्द्र की सेवायें संघीय विषय के अन्तर्गत । क्या संघीय लोक सेवा आयोग को प्रत्यक्ष अथवा अपीलीय शक्तियां दी जा सकती हैं । निस्संदेह संघ लोक सेवा आयोग को यह अधिकार है कि वह उन मामलों के सम्बन्ध में जो उसको भेजे गये हैं अपनी सलाह देवे । केन्द्रीय सरकार भी इस बात का पूरा पूरा ध्यान रखती है कि उनकी सिफारिशों का यथाशक्ति आदर किया जाय । पिछले वर्ष के प्रतिवेदन से जो कि अभी पिछले सत्र में सभा में रखा गया है सभा को यह ज्ञात होगा कि कोई भी ऐसा मामला नहीं हुआ जिसमें आयोग की राय नहीं मानी गई । यद्यपि संविधान के अधीन सरकार को संघ आयोग की राय न मानने का पूरा पूरा अधिकार है क्योंकि अन्ततः सरकार का कार्य कार्यपालिका ने ही चलाना है । यदि सरकार ऐसा अनुभव करती है कि आयोग की राय न मानी जाय तो वह न केवल ऐसा कर सकती है अपितु उसे ऐसा करने का पूरा पूरा अधिकार है । इस सम्बन्ध में यह अंकुश रखा गया है कि जब संसद् के दोनों सदनों में संघ लोक सेवा आयोग का प्रतिवेदन रखा जाय तो उसके साथ वह ज्ञापन भी रखा जाय जिसमें वे कारण दिये गये हों जिनके कारण सरकार ने आयोग की राय स्वीकार नहीं की । इस सम्बन्ध में कई बार चर्चा हो चुकी है और हमने सभा को विश्वास दिलाया है कि केवल अपवाद स्वरूप मामलों में ही सभा की सिफारिश की अवहेलना की जाती है । उसके लिये भी कारणों का उल्लेख कर दिया जाता है । राज्य आयोगों के सम्बन्ध में भी यही बात लागू होती है । वहां भी लोक सेवा आयोगों का प्रतिवेदन स्थानीय सभाओं के पटल पर रखा जाता है और विधान सभा के सदस्यों को उन पर चर्चा करने और विशेषतः यह जानने का अवसर दिया जाता है कि किन कारणों से किन्हीं विशेष मामलों में लोक सेवा आयोग की राय नहीं मानी गई ।

इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुये क्या राज्यों की विधान सभाओं के लिये इस प्रश्न पर विचार करना अधिक उचित नहीं होगा । मैं यहां इस विषय का केवल संवैधानिक पहलू ही नहीं ले

रहा हूं अपितु व्यावहारिक पहलू भी ले रहा हूं। कई मामलों का सम्बन्ध केवल राज्य सेवाओं से ही होता है। इन बातों को राज्य लोक सेवा आयोग ही निपटाते हैं। इसलिये इन बातों से उत्पन्न होने वाले प्रश्नों पर विचार करने के लिये राज्य सरकारें या राज्यों की विधान सभायें ही अधिक उपयुक्त हैं। ऐसे सभी मामलों के सम्बन्ध में जब कभी संसद् में गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्पों, विधयकों या सरकार द्वारा तत्सम्बन्धी विधेयक या संकल्प प्रस्तुत करने के इरादों से ऐसा प्रश्न पैदा होता है तो हम राज्य सरकारों से सलाह लेते हैं क्योंकि वे संघीय इकाइयां हैं इसलिये बिना उनकी राय लिये कोई कार्य नहीं किया जा सकता है।

एक सदस्य ने एक संशोधन रखा है जिसमें वह रेलवे को भी घसीट लाये हैं। रेलें सरकार के विभाग के अन्तर्गत आती हैं। संघ लोक सेवा आयोग ने भी यह सिद्धान्त स्वीकार कर लिया है कि रेलवे बोर्ड के अधीन श्रेणी प्रथम और द्वितीय में जो नियुक्तियां की जाती हैं उनके सम्बन्ध में संघ लोक सेवा आयोग की राय ली जाती है और उसे स्वीकार किया जाता है। यद्यपि रेलवे सेवा आयोग भी हैं तथापि यह लोक सेवा आयोगों की तरह संविहित संस्थायें नहीं हैं। न ये क्षेत्रीय आधार पर ही स्थापित किये गये हैं। भारत की सारी रेलवे प्रणाली के लिये केवल चार रेल सेवा आयोग कार्य कर रहे हैं। वे केवल तीसरे वर्ग के कर्मचारियों की ही नियुक्ति करते हैं। भारत सरकार में तीसरे वर्ग के कर्मचारियों की नियुक्ति की प्रणाली यह है कि हम रोजगार दफ्तरों से नाम मंगाते हैं और उनके आधार पर नियुक्तियां की जाती हैं। सरकार प्रत्यक्ष नियुक्तियां बहुत थोड़े मामलों में करती है। वस्तुतः इस सम्बन्ध में हमारी शक्तियां बहुत सीमित हैं। यद्यपि तीसरे वर्ग के कर्मचारियों की नियुक्ति के लिये भी रेल विभाग, रेलवे सेवा आयोगों की नियुक्ति के लिये विवश नहीं है तथापि नियुक्तियों की बड़ी संख्या को ध्यान में रखते हुये उन्होंने संविधान के अनुच्छेद ३०९ के अधीन रेलवे सेवा आयोग ऐसी संस्थाओं की नियुक्ति करना उचित समझा है। इसलिये यद्यपि रेलवे मंत्रालय अपनी सारी नियुक्तियां सीधे भी कर सकता था तथापि उन्होंने एक ऐसी विधि अपनायी जिसकी मेरे विचार से स्वयं संकल्पकर्ता महोदय भी प्रशंसा करेंगे।

यह भी सुझाव दिया गया है कि संघ लोक सेवा आयोग के अधीन एक चिकित्सक बोर्ड भी होना चाहिये। इस सम्बन्ध में दो प्रश्न पैदा होते हैं कि क्या संघ लोक सेवा आयोग राज्य लोक सेवा आयोगों से बड़ी संस्था है जो उन पर नियंत्रण रखती है। यह बात बिल्कुल गलत है। राज्य सेवा आयोगों और लोक सेवा आयोगों के पृथक पृथक क्षेत्र हैं। इसलिये ऐसी स्थिति में राज्य आयोगों को संघ लोक सेवा आयोग के अधीन रखना वांछनीय और उपयुक्त नहीं होगा। ऐसा होने पर संघ लोक सेवा आयोग के लिये अपना कार्य चलाना बहुत कठिन हो जायेगा। वस्तुतः इनके क्षेत्र एक दूसरे से पृथक पृथक, समानान्तर और स्वतंत्र हैं। इस कारण ऐसे प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

मैं माननीय सदस्यों को यह भी बता देना चाहता हूं कि लोक सेवा आयोगों की सदस्यता के लिये बड़ी बड़ी शर्तें रखी गई हैं। केन्द्र में राष्ट्रपति द्वारा उनकी नियुक्ति और राज्यों में राज्यपाल द्वारा उनकी नियुक्ति के सम्बन्ध में विशेष मापदण्ड विहित किये गये हैं। संविधान में उन अर्हताओं का भी उल्लेख किया गया है जिन्हें सामान्य रूप से उन्हें पूरा करना चाहिये। दो अन्य बातें भी हैं जिनके कारण संघ तथा राज्य लोक सेवाओं के सदस्य बिल्कुल स्वतंत्र हैं। आयोग की सदस्यता से पद निवृत्ति के बाद वह व्यक्ति सरकारी नौकरी में नहीं लिया जा सकता है। इसलिये किसी प्रकार के प्रलोभन का प्रश्न ही नहीं पैदा होता है और उनको नियुक्त करने का कार्य

राज्यपाल के सुपुर्द है। इस बात पर भी ध्यान दिया जाना चाहिये कि राज्य सरकारों में उन्हें ६० वर्ष तक और संघ में उन्हें ६५ वर्ष तक कार्य करना होता है।

इसलिय उन्हें सरकार से यथासंभव बिल्कुल स्वतंत्र रखने का पूरा पूरा प्रयत्न किया गया है। माननीय सदस्यों ने इस सम्बन्ध में अनेक उदाहण दिये हैं तथापि माननीय सदस्यों को यह जानना चाहिये कि भारत में इकाई प्रकार की सरकार नहीं है। और न संसद् ही सारी स्थिति के लिये उत्तरदायी ठहरायी जा सकती है। इसलिये माननीय सदस्य ने राज्य सेवाओं के सम्बन्ध में जो भी शिकायतें की हैं वह उन्हें राज्य विधान सभाओं के सदस्यों पर छोड़ देनी चाहियें। वे राज्य सरकारों से इनका प्रभावशाली तरीके से निपटारा करवा सकते हैं। मैं माननीय सदस्यों को यह भी बता दूं कि लोक सेवा आयोगों के सदस्य बहुत संतोषजनक तरीके से अपना कार्य कर रहे हैं।

श्री शंकरैय्या ने यह प्रश्न उठाया है कि केन्द्रीय सेवाओं में नियुक्ति के लिये स्थानीय विश्व-विद्यालयों द्वारा संचालित परीक्षाओं के अंकों पर विचार किया जाता है। इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन यह है कि हम पहले लिखित परीक्षा लेते हैं तत्पश्चात् इंटरव्यू होती है तत्पश्चात् सभी बातों पर विचार कर लोक सेवा आयोग सरकार से सिफारिश करता है जिसे सामान्यतः सरकार स्वीकार कर लेती है।

†**श्री सु. बिमन घोष:** जहां तक कि मेरे संकल्प का सम्बन्ध है कुछ सदस्यों का विचार है कि मैं अधिकारों का केन्द्रीयकरण करना चाहता हूं। माननीय मंत्री ने भी कहा है कि मेरा यह संकल्प एक विचित्र सा संकल्प है। किन्तु यह बात नहीं है। मेरा कहना तो यह है कि प्रशासन की सुघड़ता का सुनिश्चयन करने के लिये लोक सेवा आयोग को सलाहकार अथवा परामर्शदात्री निकाय नहीं बनाना चाहिये किन्तु इस का स्तर उच्चतम न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय सरीखा होना चाहिये। मैं यह नहीं कहता कि अधिकारों का केन्द्रीयकरण होना चाहिये। मेरा तो यही कहना है कि राज्यों में लोक सेवा आयोग को काम करने दो और राज्यपालों द्वारा उनके सदस्यों की नियुक्ति करने दो किन्तु उसके पश्चात् उन पर अपनी राय मत थोपो। आज इनकी नियुक्ति का अधि-कार कार्यपालिका को है और वह इस अधिकार को खोना नहीं चाहती इसीलिये माननीय मंत्री ने कहा है कि मेरा संकल्प बड़ा विचित्र सा है। मैं तो यही चाहता हूं कि संविधान में संशोधन होना चाहिये जिससे कि उनका अपना स्तर बन जाये। जब हमारे यहां दामोदर घाटी योजना, हिन्दुस्तान इस्पात आदि जैसी संस्थायें स्वायत्त हैं और वे स्वतंत्रतापूर्वक कार्य कर सकती हैं तो क्या इनको स्वा-यत्तता नहीं दी जा सकती। चूंकि कार्यपालिका इन आयोगों के चयन में हस्तक्षेप करती है इसी कारण अच्छे व्यक्ति सरकारी सेवा में नहीं आ पाते। इसीलिये इन आयोगों को कार्यपालिका के प्रभाव से अलग रखना होगा। लेकिन मैं देखता हूं कि अनिच्छुक व्यक्तियों के हाथ से अधिकार छीनना कठिन है अतः यही उपयुक्त है कि मैं अपना संकल्प वापस ले लूं।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : स्थानापन्न प्रस्तावों के बारे में क्या किया जाये ?

†**श्री श्रीनारायण दास** : मैं अपने स्थानापन्न प्रस्ताव पर आग्रह नहीं करता।

†**श्री राजेन्द्र सिंह** : जब माननीय मंत्री ने अपना दृढ़ विचार कर लिया है तो उन्हें सहमत नहीं कराया जा सकता अतः मैं भी अपना स्थानापन्न प्रस्ताव वापस लेता हूं।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अंत भला, तो सब भला।

क्या सभी सदस्यों की अनुमति है कि ये प्रस्ताव वापस ले लिये जाये ?

संकल्प और स्थानापत्र प्रस्ताव सभा की अनुमति से वापिस लिये गये।

---

†मूल अंग्रेजी में

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को अन्तरिम सहायता की दूसरी किस्त देने के बारे में संकल्प

†**श्री स० म० बनर्जी** (कानपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"इस सभा की यह राय है कि वेतन आयोग का प्रतिवेदन प्राप्त होने तक ३५० रुपये मूल वेतन पाने वाले केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को और अन्तरिम सहायता दी जाये ।"

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुये]

श्रीमान्, मैं इस संकल्प को प्रस्तुत करते हुये इस बात का उल्लेख कर देना चाहता हूं कि मुझे न केवल १७ लाख केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों का अपितु लाखों राज्य सरकारों, स्थानीय निकायों के कर्मचारियों तथा लाखों उन कर्मचारियों का समर्थन प्राप्त है जो गैर-सरकारी क्षेत्रों में काम करते हैं। आज सभी कर्मचारी यह बात जानने के लिये उत्सुक हैं कि क्या सरकार उनको अन्तरिम सहायता की दूसरी किस्त देने की मांग पर विचार करेगी। मेरे पास इस सम्बन्ध में बहुत से तार आये हैं। सदन को स्मरण होगा कि अगस्त, १९५७ में जब डाक तार कर्मचारी सभी प्रकार की बातचीत के पश्चात् अपनी मांग पूरी कर ने में असमर्थ हो गये तो उन्होंने हड़ताल करने का निश्चय किया। उनकी मांग थी कि द्वितीय वेतन आयोग बैठाया जाये। सभी विभागों के कर्मचारियों का इसे समर्थन प्राप्त था और अन्त में प्रधान मंत्री को यह मांग माननी पड़ी और द्वितीय वेतन आयोग की नियुक्ति हुई। इसकी नियुक्ति के समय भी अन्तरिम सहायता की मांग की गई और सरकार ने यह सहायता दी। और वेतन आयोग को भी इसका हवाला दे दिया। वेतन आयोग भी सभी ज्ञापनों के अध्ययन करने के पश्चात् इस निश्चय पर पहुंचा कि यह सहायता आवश्यक थी। यह सहायता २५० रु० मूल वेतन पाने वालों तक को दी गयी थी। किन्तु कर्मचारी इससे सन्तुष्ट नहीं हुये किन्तु इस प्रतीक्षा में रहे कि वेतन आयोग का प्रतिवेदन शीघ्र ही आयेगा। इस वृद्धि का निर्वाह व्यय से कोई सम्बन्ध नहीं था यह तो केवल कर्मचारियों को चुप करने भर के लिये था।

बहस के दौरान में हो सकता है माननीय मंत्री ऐसी भावना जाग्रत करने में समर्थ हो जायें कि इस संकल्प की कोई उपयुक्तता नहीं है क्योंकि वेतन आयोग के प्रतिवेदन को लाने के लिये भरसक प्रयत्न किया जा रहा है। किन्तु इतना अवश्य है कि अगर वेतन आयोग का प्रतिवेदन कल भी प्रस्तुत कर दिया गया तो इसके कार्यान्वित करने में कम से कम एक या दो वर्ष अवश्य लग जायेंगे।

[**श्री जयपाल सिंह** पीठासीन हुये]

चीजों के मूल्यों में निरन्तर वृद्धि हो रही है। समस्या सामने यह है कि केन्द्रीय कर्मचारी किस प्रकार इस बढ़ती हुई महंगाई का सामना करेंगे। राष्ट्रपति से ले कर साधारण आदमी तक इस बात को स्वीकार करता है कि चीज़ों का मूल्य इस हद तक बढ़ गया है कि परिवार के सदस्यों को भरपेट रोटी खिलाना भी कठिन है।

मैं यह चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी तथा राज्य सरकारों के कर्मचारियों के वेतन में जो अन्तर है वह पूरा कर देना चाहिये। हो सकता है कि शुरू में कुछ दिक्कत रहे किन्तु कुछ समय बाद इसकी पूर्ति हो सकती है। केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों में १०० रुपये से कम

†मूल अंग्रेजी में

वेतन वाले कर्मचारियों की संख्या बहुत ही अधिक है तथा साथ ही उनकी वार्षिक वृद्धि भी ८ आना प्रति वर्ष है—ऐसी स्थिति में जबकि चीजों के मूल्य इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं उनके लिये पेटभर रोटी जुटाना बड़ा कठिन है। और फिर उन्होंने यदि द्वितीय सहायता किस्त की मांग की है तो कोई अपराध नहीं किया है। आज उन्हें कर्ज़ लेने के लिये विवश होना पड़ा है। तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी अपनी सहकारी समितियों तथा भविष्य निधि से कर्ज़ लेकर अपना कार्य चला रहे हैं। इस बढ़ती हुई महंगाई को तथा सरकार की असफलता को देखकर लोगों का विश्वास हिल गया है।

प्रायः यह प्रश्न उठता है कि आर्थिक सहायता देने के लिये साधन कहां से आयेंगे। लेकिन अगर सरकार भ्रष्टाचार, अपव्यय आदि को रोके तो इसके लिये धन भी आसानी से मिल सकता है। मैं आशा करता हूं कि वित्त मंत्री इस बारे में अवश्य ही सोचेंगे। और उन्हें कुछ सहायता देकर सरकारी कर्मचारियों की भावनाओं को समझेंगे।

इस सम्बन्ध में मैं श्रम सम्मेलन के १५वें अधिवेशन का उल्लेख कर देना चाहता हूं जिसमें उन्होंने सर्वसम्मति से यह निर्णय किया है कि न्यूनतम वेतन क्या होने चाहियें। यहां तक कठोरहृदय पूंजीपति भी कर्मचारियों की वेतन वृद्धि करने से इन्कार नहीं कर सकते। मुझे आशा है कि केन्द्रीय सरकार यह मांग स्वीकार करके देश के अन्य नियोजकों के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करेगी ताकि वे भी अपने कर्मचारियों को उपयुक्त वेतन दे सकें। अन्त में मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि द्वितीय योजना की सफलता सार्वजनिक क्षेत्रों के कर्मचारियों पर निर्भर है और आपने यदि उन्हें यह दूसरी किश्त दे दी तो यह निश्चित है वे इस योजना को सफल बनाने के लिये भरसक प्रयत्न करेंगे। अतः मैं आशा करता हूं कि सरकार इस सम्बन्ध के अवश्य ही कुछ करेगी।

†**सभापति महोदयः** प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

कुछ संशोधनों की सूचना मुझे मिली है।

श्री श्रीनारायण दास तथा श्री राजेन्द्र सिंह अनुपस्थित हैं अतः उनके संशोधन प्रस्तुत नहीं किये जा सकते। श्री दी० चं० शर्मा का संशोधन प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं की जा सकती।

†**श्री सिंहासन सिंह :** (गोरखपुर): मैं अपना संशोधन संख्या १ प्रस्तुत करता हूं।

†**श्री वाजपेयी** (बलरामपुर): मैं अपना संशोधन संख्या ४ तथा ५ प्रस्तुत करता हूँ।

†**श्री तंगामणि** (मदुरै): मैं अपना संशोधन संख्या ६ प्रस्तुत करता हूं जिसमें मैं ने कहा है कि संकल्प के अंत में यह और जोड़ दिया जाये कि .५ रुपये की अन्तरिम सहायता अपर्याप्त है और वेतन आयोग की नियुक्ति हुए २० महीने हो गये हैं।

†**सभापति महोदय** : संकल्प तथा संशोधन सभा के सामने हैं।

इसके पश्चात् लोक-सभा, सोमवार, १६ फरवरी, १९५९ / २७ माघ, १८८० (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

---

†मूल अंग्रेजी में

दैनिक संक्षेपिका

[शुक्रवार, १३ फरवरी, १९५९]

---

२४ माघ, १८८० (शक)

विषय		पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		४३७—५९
तारांकित प्रश्न संख्या		
१९२	हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड	४३७—३९
१९३	तृतीय योजना के लिये टैक्नीकल कर्मचारी	४४०–४१
१९४	इण्डो–जर्मन प्रोटोटाइप वर्कशाप तथा प्रशिक्षण केन्द्र	४४२
१९५	अलौह धातुओं का आयात . . .	४४२—४५
१९६	मैसूर राज्य के छोटे पैमाने के उद्योगों के लिये इस्पात	४४५–४६
१९८	भारत का राज्य व्यापार निगम (प्राइवेट) लिमिटेड	४४६–४७
१९९	बेरूबाड़ी को पाकिस्तान के हवाले किया जाना	४४८—५०
२००	पटसन और मेस्टा की कीमतें	४५०—५४
२०२	नागपुर में केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिये क्वार्टरों का निर्माण .	४५४–५५
२०३	भोपाल में भारी विद्युत् उपकरण कारखाना	४५५–५६
२०४	तृतीय पंचवर्षीय योजना	४५७—५९
प्रश्नों के लिखित उत्तर		४५९—९८
तारांकित प्रश्न संख्या		
२०५	घाना के लिये भारतीय विशेषज्ञ	४५९
२०६	मोटर उद्योग	४६०
२०७	औद्योगिक कर्मचारियों के आवास की समस्या	४६०
२०८	रबड़ बोर्ड	४६०–६१
२०९	जल-संभरण योजना	४६१
२१०	भारत और मंगोलिया के बीच व्यापार . . .	४६१
२११	नारियल जटा और नारियल जटा उत्पादों के लिये विदेशी बाजार	४६१–६२

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर--(क्रमशः)		
तारांकित प्रश्न संख्या		
२१२	कर्मचारी राज्य बीमा योजना .	४६२
२१३	दिल्ली में ओखला में क्वार्टरों का निर्माण	४६२
२१४	कम मूल्य वाली मोटर गाड़ियां	४६२—६३
२१५	रूस को जूतों का निर्यात	४६३
२१६	राजस्थान का औद्योगिक विकास . .	४६३
२१७	त्रिपुरा में विस्थापित व्यक्तियों को कृषि योग्य भूमि का आवंटन	४६३
२१८	शंघाई में भारतीय	४६४
२१९	औद्योगिक सम्बन्ध . .	४६४
२२०	राज सहायता प्राप्त औद्योगिक आवास योजना	४६४—६५
२२१	चेचेमा स्मारक न्यास	४६५—६६
२२२	बाइसिकलों का निर्यात	४६६
२२३	छोटे पैमाने के उद्योग	४६६
२२४	गंधक का उत्पादन	४६७
२२५	ग्वाडर में भारतीय	४६७
२२६	जूट की खरीद	४६७—६८
२२८	तिब्बती प्राधिकारियों द्वारा लगाये गये व्यापार प्रतिबन्ध	४६८
२२९	हरिजनों सम्बन्धी चल चित्र	४६८
२३०	कलकत्ता निगम	४६९
२३१	उर्वरक निर्माता	४६९
२३२	ब्यास बेसिन में वन उद्योग	४६९—७०
२३३	खादी तथा हथकरघा का कपड़ा	४७०
२३४	सोडा ऐश	४७०
२३५	श्रमजीवी पत्रकार वेतन समिति	४७१
२३६	देश में प्रविधिक व्यक्तियों की कमी	४७१—७२
२३७	गीला अभ्रक पीसने का संयंत्र . .	४७२
२३८	औद्योगिक मजदूरों के लिये सामाजिक सुरक्षा योजना	४७२—७३
२३९	मैसर्स धनराज मिल्स (प्रा०) लिमिटेड .	४७३
२४०	नेपा अखबारी कागज़ कारखाना	४७२—७४
२४१	जूट के मूल्य	४७४—७५
२४४	इन्सुलीन कारखाना . . .	४७५

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)	
तारांकित प्रश्न संख्या	
२४५ प्राग औजार निगम	४७५
२४६ विस्थापित व्यक्तियों को नकद प्रतिकर के भुगतान का बंद किया जाना	४७६
२४७ बालोपयोगी चलचित्र	४७६-७७
२४८ कृषि मशीनों का निर्माण	४७७
२४९ मोटर उद्योग . . .	४७७-७८
२५० दिल्ली में अधोभूमि जल की सतह	४७८
२५१ जापानी विनियोग .	४७८
२५२ संयुक्त राष्ट्र का मानचित्र	४७९
अतारांकित प्रश्न संख्या	
२२९ पंजाब में गन्दी बस्तियों की सफाई	४७९-८०
२३० पंजाब में खादी सहकारी समितियां	४८०
२३१ सीमेण्ट के कारखाने	४८०
२३२ आयात प्रतिबन्ध	४८०-८१
२३३ जर्मनी को निर्यात . .	४८१
२३४ विदेशों में भारतीय फिल्मों पर प्रतिबन्ध	४८१
२३५ मक्खन निकले दूध पावडर का आयात	४८१-८२
२३७ फिल्मों का निर्यात .	४८२
२३८ आयरलैण्ड में दूतावास का भवन	४८२
२३९ जस्ते के भाव	४८२-८३
२४१ तम्बाकू का निर्यात	४८३
२४२ सिगरेट बनाने वाले कारखाने	४८३
२४३ हड्डियों के संग्रह और उपयोग सम्बन्धी जांच समिति	४८४
२४४ दिल्ली में गृह-निर्माण योजनायें	४८४-८५
२४५ केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों को हटाकर शिमला ले जाना	४८५
२४६ सीमेण्ट का उत्पादन .	४८५
२४७ उद्योगों में अनुशासन संहिता	४८६
२४८ "आजकल" नामक पत्रिका के लेखकों को मानदेय	४८६
२४९ इंगलैण्ड में श्री कैलाश राव का देहान्त	४८६-८७

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर--(क्रमशः)

अतारांकित
प्रश्न संख्या

२५०	आकाशवाणी में हिन्दी	४८७
२५१	पंजाब में कपड़े की मिलें	४८७
२५२	निष्क्राम्य सम्पत्ति	४८८
२५३	उत्तर प्रदेश में छोटे पैमाने के हथकरघा उद्योग	४८८
२५४	सिलाई की मशीनें	४८९
२५५	निर्यात जोखिम बीमा निगम	४७९
२५६	सूती वस्त्र उत्पादन	४८९-९०
२५७	कर्मचारी राज्य बीमा निगम	४९०
२५८	पोटेशियम परमैंगनेट का आयात	४९०
२५९	भारतीय दस्तकारी की वस्तुओं का निर्यात	४९०
२६०	अखिल भारतीय ताड़-गुड़ सम्मेलन	४९१
२६१	सीमा करार	४९१
२६२	सीमा घटनायें	४९१-९२
२६३	दक्षिण अफ्रीका में भारतीय	४९२
२६४	इण्डिया इलेक्ट्रिक वर्क्स लिमिटेड, कलकत्ता	४९२
२६५	काम दिलाऊ दफ्तर, दिल्ली	४९३
२६६	मनीपुर में श्रमिक सहकारी समितियां	४९३
२६७	अलौह धातुओं का पुनर्वेलन	४९३
२६८	सीमा पर हमले	४९४
२६९	बेकार और ऊसर भूमि को कृषि योग्य बनाना और उसका विकास करना	४९४-९५
२७०	हड्डियों का निर्यात	४९५
२७१	एक्स-रे सेटों का निर्माण	४९५
२७२	सीमा घटना	४९६
२७३	इमारतों के निर्माण पर व्यय	४९६-९७
२७४	राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण प्रतिवेदन	४९७
२७५	दीवार घड़ी, मेज घड़ी तथा कलाई की घड़ियों का आयात	४९८
२७६	गुड़गांव जिले में मेव किसानों के लिये भूमियां	४९८

विषय पृष्ठ

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ४९९

निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखे गये:—

(१) सरकारी भूगृहादि (अनधिकृत कब्जाधारियों का निष्कासन) अधिनियम १९५८ की धारा १३ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत दिनांक ८ दिसम्बर, १९५८ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ११५९ में प्रकाशित सरकारी भूगृहादि (अनधिकृत कब्जाधारियों का निष्कासन) नियम, १९५८ की एक प्रति।

(२) समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा ६३९ की उप-धारा (१) के अन्तर्गत सिंदरी फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स (प्राइवेट) लिमिटेड के वर्ष १९५७-५८ के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति लेखा-परीक्षित लेखे सहित।

(३) विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) अधिनियम, १९५४ की धारा ४० की उप-धारा (३) के अन्तर्गत विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) नियम, १९५५ में कुछ और संशोधन करने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति:—

(एक) जी० एस० आर० संख्या ६९९/आर० अमेन्डमेंट २५ दिनांक १६ अगस्त, १९५८।

(दो) जी० एस० आर० संख्या ७८०/आर० अमेन्डमेंट २६ दिनांक ६ सितम्बर, १९५८।

(तीन) जी० एस० आर० संख्या ८१४/आर० अमेन्डमेंट २७ दिनांक १३ सितम्बर, १९५८

प्राक्कलन समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित ४९९

छत्तीसवां प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया।

मंत्री द्वारा वक्तव्य—सभा-पटल पर रखा गया ५००

वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) ने १९ दिसम्बर, १९५८ को हुई फिल्म उद्योग के बारे में आधे घण्टे की चर्चा में बताये गये कच्ची फिल्मों के आयात के आंकड़ों को शुद्ध करने वाला एक वक्तव्य सभा-पटल पर रखा।

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव ५०१—३४

श्री कासलीवाल ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया। श्री जोकीम आल्वा ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया। चर्चा समाप्त नहीं हुई।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का प्रतिवेदन स्वीकृत ५३४-३५

चौतीसवां प्रतिवेदन, संशोधित रूप में, स्वीकृत हुआ।

विषय	पृष्ठ
गैर-सरकारी सदस्य का संकल्प—वापस लिया गया . . .	५३६—५१
देश के सभी लोक सेवा आयोगों पर केन्द्रीय नियन्त्रण संबंधी संकल्प पर अग्रेतर चर्चा समाप्त हुई और संकल्प सभा की अनुमति से वापस लिया गया ।	
गैर-सरकारी सदस्य का संकल्प—विचाराधीन . . .	५५२-५३
श्री स० म० बनर्जी ने केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को कुछ और अन्तरिम सहायता देने के सम्बन्ध में एक संकल्प प्रस्तुत किया । चर्चा समाप्त नहीं हुई ।	

सोमवार, १६ फरवरी १९५९/२७ माघ, १८८० (शक) के लिए कार्यावलि—

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव और तत्संबंधी संशोधनों पर अग्रेतर चर्चा ।